शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

उच्चतर शिक्षा संस्थानों
तथा
विश्वविद्यालयों हेतु
सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश और मानक

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विशेषज्ञ समिति

प्रो. गौरव रहेजा, श्री दीपेन्द्र मनोचा
प्रो. अमिताव मिश्रा, श्री सुभाष चंद्र वशिष्ठ,
डॉ. अनुप्रिया चड्ढा; डॉ. अभय जैन, डॉ. हिमांगशू दास।

जून, 2022

ग्राफिक्स डिजाइन

प्रो. गौरव रहेजा, संतोष मलोउथ

कवर डिजाइन

प्रो. गौरव रहेजा, संतोष मलोउथ

प्रकाशक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
भारत सरकार

उदघोषणा

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह है कि यह उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में सुगम्यता और समावेशिता प्राप्त करने के लिए एक वृहद स्रोत के रूप में अपनाए जाएं। विशिष्ट हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश और मानक लागू होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

उच्चतर शिक्षा संस्थानों
तथा
विश्वविद्यालयों हेतु
सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश और मानक

प्रो. एम. जगदीश कुमार
अध्यक्ष

Prof. M. Jagdeesh Kumar
Chairman

सत्यमेव जयते

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

University Grants Commission
Ministry of Education, Govt. of Indiaaaaa

संदेश

मुझे आपको यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों हेतु सुगम्यता संबंधी वृहद दिशानिर्देश और मानक'' तैयार कर रहा है। यह दिशानिर्देश हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुगम्य बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और तदनुसार इनका उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अनुपालन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षण और ज्ञानार्जन में प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, भाषायी अवरोधों को दूर करने, दिव्यांग छात्रों की सुगम्यता में वृद्धि करने, सभी शिक्षा संबंधी निर्णयों में पूर्ण समानता तथा समावेशिता को मुख्य आधार मानने सहित शैक्षिक आयोजना और प्रबंधन संबंधी प्रावधानों की भी परिकल्पना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सभी छात्र कामयाब हो सकें।

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 'एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन' (*सुगम्य भारत अभियान*) का आरंभ किया था ताकि तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात् निर्मित परिवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, और परिवहन के क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए अवरोधमुक्त शहरी विकास को सुगम बनाया जा सके। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) इस अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेन्सी है। दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करना तथा उनका विकास करना एक राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान रहा है।

शिक्षा में समावेशी पद्धतियां किसी भी शिक्षार्थी के लिए बिना भेदभाव, गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करती हैं। यह प्रतिक्रियात्मक और सहायक तरीके से विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एक साझा ज्ञानार्जन प्लेटफॉर्म तैयार करने की आवश्यकता है जो कि लचीला हो तथा विविध पृष्ठभूमि से आने वाले और विविध क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों सहित सभी छात्रों द्वारा एक साथ ज्ञानार्जन करने हेतु पहुंच के भीतर हो। इस प्रकार का समावेशी परिवेश न केवल शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी होगा बल्कि यह समग्र रूप से सामाजिक समावेशिता तथा सुगम्य परिवेश के लिए एक सुदृढ़ नींव तैयार करेगा। इस प्रकार, इसे अवसंरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षण–ज्ञानार्जन प्रक्रिया, 'कैम्पस' जीवन के शैक्षणिक तथा सामाजिक, दोनों पहलुओं में समान और

गुणवत्तायुक्त भागीदारी हेतु ऐसे सभी घटकों में अनिवार्य बदलाव लाकर अवरोधों को दूर करना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों की भागीदारी तथा ज्ञानार्जन से जुड़े अनुभवों में सुधार करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों सहित दिव्यांगजनों के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में बेहतर सुगम्यता तथा एक अवरोधमुक्त परिवेश को बढ़ावा मिलता है। समय–समय पर वि0अ0आ0, हमेशा से ही सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों की समान भागीदारी तथा उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों हेतु समावेशी पद्धतियों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

शिक्षा का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों हेतु एक ज्ञानार्जन का प्लेटफॉर्म तैयार करना है। विश्व अत्यंत तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है। विविध अवसर और अनेकानेक बदलावों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना है जो सबके कल्याण के लिए कार्य करें।

दिनांकः 4 जुलाई, 2022

(प्रो. एम. जगदीश कुमार)
अध्यक्ष

आमुख

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिव्यांगजनों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहल की हैं ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में उनकी बराबर भागीदारी तथा समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। 'बेंचमार्क' दिव्यांगताओं की संख्या में वृद्धि होने तथा उनकी आवश्यकताओं को पहचानते हुए, दिव्यांगजनों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में प्रभावी तरीके से सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना अनिवार्य हो चुका है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिव्यांगजनों हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश तथा मानक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिव्यांगजनों हेतु उपबंध तैयार करने का सुझाव देना तथा उन्हें सभी प्रकार से उनकी अवरोधमुक्त भागीदारी हेतु सुगम्य परिवेश उपलब्ध कराना है। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा उनके भवन में दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के आरंभ होने से लेकर पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रभावी सुगम्य प्रणाली विकसित करना अपेक्षित है।

संयुक्त राष्ट्र समझौते को लागू करने के लिए पूर्व के अधिनियम अर्थात् निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करते हेतु दिव्यांजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) विधेयक, 2016 अधिनियमित किया गया है। इसके अध्याय ष्ष (शिक्षा) की धारा 16, 17 तथा 18 शिक्षा संस्थानों के कर्त्तव्यों तथा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुगम्य बनाने के उपायों तथा वयस्क शिक्षा से संबंधित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में यह भी परिकल्पना की गई है कि आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेशिता तथा समानता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा ही मूल और प्राथमिक उपाय है। यह पाठ्यक्रम, अध्यापन, सतत् मूल्यांकन और छात्र सहायता प्रणाली में तदनुरूपी परिवर्तन कर समावेशी पद्धतियों को इंगित करता है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों की समावेशिता के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, यह दिशानिर्देश, आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन; विविध 'बैंचमार्क' दिव्यांगताओं हेतु सहायता संबंधी उपबंधों; सुगम्य जानकारी; संचार और ज्ञान अर्जन के संसाधन; समावेशी गतिशीलता अवसंरचना; निर्मित अवसंरचना में सार्वभौमिक पहुंच; सुगम्य पाठ्यचर्या, शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन प्रणालियां, सुगम्य मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली, संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच, समावेशी परिसर ('कैम्पस') जीवन सुगम्य तथा समावेशी पद्धतियों का अभिशासन और निगरानी जैसे मानदंडों को कवर करती है, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सभी प्रकार से समान भागीदारी प्रदान करने के लिए उपर्युक्त के अलावा अन्य उपबंध सम्मिलित कर सकते हैं।

यह आशा की जाती है कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कवर किए गए उपबंध, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक समावेशी तंत्र विकसित करने में मदद करेगें ताकि दिव्यांगजनों को एक सुलभ परिवेश उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्वतंत्र रूप से जीवन–यापन कर सके तथा अपने शैक्षणिक जीवन में सभी प्रकार से पूर्ण भागीदारी कर सकें।

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone: 011-23236288/23239337
Fax: 011-23238858
E-mail: secy.ugc@nic.in

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary

आभार

''उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों हेतु सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश और मानक'' को एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से तैयार किया गया है जिसकी अध्यक्षता, प्रो. गौरव रहेजा, वास्तुकला तथा आयोजना विभाग, आई.आई.टी. रुड़की, उत्तराखंड ने की तथा समिति के सदस्यों के रूप में डॉ. अनुप्रिया चड्ढा; श्री दीपेन्द्र मनोचा, निदेशक, 'डेवलपिंग कंट्रीज़, डेजी कन्सोर्शियम', नई दिल्ली; प्रो. अमिताव मिश्रा, स्कूल ऑफ एजूकेशन, इग्नू, नई दिल्ली; श्री सुभाष चंद्र वशिष्ठ, 'एक्ससेबिलिटी एंड इन्क्लूज़न' स्पेशलिस्ट', निदेशक, 'सेंटर फॉर एक्ससेबिलिटी इन बिल्ट इन्वायरमेंट फांऊडेशन' (सीएबीई), नई दिल्ली; डॉ. अभय जैन, सह आचार्य, वाणिज्य विभाग, श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स, दिल्ली; डॉ. हिमांगशू दास, निदेशक, 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विजूअल डिसेबिलिटीज़', देहरादून; उत्तराखंड, ने सहयोग दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के अमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रकट करता है।

डॉ. जी.एस. चौहान, संयुक्त सचिव, वि.अ.आ. ने समन्वय अधिकारी की भूमिका का निवर्हन किया। श्री किशोर कुमार, शिक्षा अधिकारी, वि.अ.आ.; श्री चंद्र प्रकाश, अनुभाग अधिकारी; अन्य अधिकारी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तकनीकी दल द्वारा दिए गए योगदान के लिए भी आभार।

डॉ. सी.पी. शर्मा (सह आचार्य, सेवानिवृत्त), अंग्रेज़ी विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, नई दिल्ली तथा डॉ. बरुन कुमार मिश्रा, सह आचार्य, अंग्रेज़ी विभाग, राजधानी कॉलेज, नई दिल्ली का दिशानिर्देशों व प्रूफ शोधन करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। डॉ. सुल्तान सिंह, शिक्षा विभाग, इर्विन कॉलेज के प्रयासों की भी सराहना की जाती है।

मैं, इन दिशानिर्देशों पर सुझाव/टिप्पणियां तथा जानकारी प्रदान करने के लिए मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) और उनकी टीम का आभारी हूँ। इसके अलावा, मैं इन दिशानिर्देशों को और भी समृद्ध बनाने के लिए हितधारकों और संबंधित विभागों तथा संकायों को उनके बहुमूल्य सुझावों तथा टिप्पणियों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न संघों विशेष रूप से छत्तीसगढ़ डेफ एसोसियेशन; कोल्लम डिस्ट्रिक्ट एसोसियेशन फॉर डेफ; मध्यांचल डेफ एसोसियेशन; नेशनल एसोसियेशन ऑफ डेफ (एनएडी); एसोसियेशन ऑफ द डेफ, हिमाचल प्रदेश के साथ–साथ टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल सांइसेज़, मुंबई को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रो. एम. जगदीश कुमार का इस दस्तावेज को तैयार करने में उनके मार्गदर्शन, परामर्श तथा अनवरत सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

अंत में, मैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस दस्तावेज को इन दिशानिर्देशों के रूप में तैयार करने हेतु योगदान दिया है।

ह0/–
प्रो. रजनीश जैन

विषयवस्तु

अध्यक्ष का संदेश

आमुख

आभार

1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुगम्यता : एक परिचय

1.1 सुगम्यता और समावेशी नीतिगत परिप्रेक्ष्य का परिचय

1.2 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को सुगम्य बनानाः एक समग्र दृष्टिकोण

2. आवश्यकता का आकलन और सहायता की व्यवस्था

2.1 दिव्यांगता संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं

2.2 विशिष्ट आवश्यकताएंः सुगम्य तथा समावेशी पाठ्यचर्या तैयार करना

2.3 विशिष्ट आवश्यकताएंः प्रवेश और संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

2.4 विशिष्ट आवश्यकताएंः प्रशासनिक और सहायता संबंधी पहलू

2.5 विशिष्ट आवश्यकताएंः शिक्षण और ज्ञान अर्जन

2.6 विशिष्ट आवश्यकताएंः आकलन, परीक्षा और मूल्यांकन

2.7 विशिष्ट आवश्यकताएंः छात्र क्रियाकलाप

2.8 विशिष्ट आवश्यकताएंः कुछ अन्य विचारण

3. सुगम्य सूचना, संचार और ज्ञान अर्जन संसाधन

3.1 आईसीटी सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए खरीद संबंधी दिशानिर्देश

3.2 अनुदेशात्मक सामग्री और ज्ञान अर्जन के संसाधनों की सुगम्यता

3.3 सुगम्य सम्प्रेषण

3.4 विविध आवश्यकताओं के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां

4. समावेशी आवागमन अवसंरचना

4.1 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों में आवागमन (लोक पारगमन प्रणाली)

4.2 परिसर में समावेशी आवागमन

4.3 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों में मार्गगत अवसंरचना

4.4 परिसर में दिशाज्ञान को बढ़ाने के लिए 'जीपीएस मैपिंग' अथवा 'ब्लूटूथ बीकन' आधारित प्रौद्योगिकियां

4.5 संकेतक और मार्ग ढूंढना

4.6 आवागमन अवसंरचना और उपकरण की मरम्मत/अनुरक्षण संबंधी प्रावधान

5. निर्मित अवसंरचना में सार्वभौमिक सुगम्यता

5.1 परिसरों की अवस्थिति आयोजना

5.2 शैक्षिक भवन और ज्ञान अर्जन स्थान

5.3 'असेम्बली एरिया'/सभागार

5.4 छात्रावास और अतिथि गृह

5.5 मेस, जलपानगृह और सामान्य खानपान सुविधाएं

5.6 सुगम्य स्वच्छता व्यवस्था

5.7 प्रशासनिक स्थल

5.8 मनोरंजन स्थल, विनोद कक्ष, कार्यकलाप कक्ष, जिम/योग हॉल

5.9 सुगम्य पार्किंग सुविधाएं

5.10 परिसर में सुविधाएं: बैंक, एटीएम, डाकघर, दुकानें आदि

5.11 परिसरों/भवनों में सुगम्य संकेतक

5.12 आपातकालीन तैयारी में सुगम्यता

6. सुगम्य पाठ्यक्रम, शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रणाली

6.1 पाठ्यक्रम तक समान पहुंच

6.2 सुगम्य पाठ्यक्रम प्रदान करना

6.3 सुगम्य पाठ्यक्रम में लचीलेपन और समायोजन की व्यवस्था

6.4 सामाजिक–भावनात्मक ज्ञान अर्जन (एसईएल)

6.5 शिक्षण–ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में अनुकूलन

6.6 सुगम्य पुस्तकालय संसाधन

6.7 'इक्विटेबल क्लासरूम' तैयार करने हेतु ज्ञान अर्जन के लिए सार्वभौमिक डिजाइन

6.8 ज्ञान अर्जन हेतु सार्वभौमिक डिजाइन को लागू करना

6.9 सुगम्य पाठ्यक्रम सामग्रियों को तैयार करना

6.10 उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समावेशी पाठ्यचर्या और शिक्षण हेतु आंतरिक नीति तैयार किया जाना

7. सुगम्यता का आंकलन और परीक्षा प्रणाली

7.1 सुगम्य मूल्यांकन की आवश्यकता

7.2 मूल्यांकन प्रक्रिया को सुगम्य बनाना

7.3 दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षाओं में छूट हेतु मौजूदा प्रावधान

7.4 सुलभ और लचीली मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार करना

8. संसाधनों तथा सेवाओं तक पहुंच

8.1 समावेशी पद्धति से संसाधनों तथा सेवाओं का समेकन

8.2 स्वास्थ देखभाल और परा–चिकित्सा सुविधाएं

8.3 ग्रंथालय सुविधाएं

8.4 शिकायत निवारण प्रणाली (जीआरएम)

8.5 सामान्य व्यवस्थाएं

9. समावेशी कैम्पस जीवन

9.1 समावेशी 'कैम्पस' जीवन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

9.2 समावेशिता हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों को तैयार करना

9.3 आवासीय निवास स्थानों/छात्रावासों में सुगम्यता

9.4 अतिथि गृह

9.5 सम्मेलन संबंधी सुविधाएं/सामान्य सुविधाएं

9.6 विश्वविद्यालयों में भौतिक/सांस्कृतिक/खेल–कूद का संवर्धन

9.7 अन्य महाविद्यालयों के बीच/महाविद्यालय के भीतर क्रियाकलाप

9.8 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

10. सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों का अभिशासन और निगरानी

10.1 संस्थागत अभिशासन के माध्यम से पहुंच तथा समावेशी पद्धतियां

10.2 उच्चतर शिक्षा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन तथा रैंकिंग हेतु सुगम्यता मूल्यांकन

1

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुगम्यता : एक परिचय

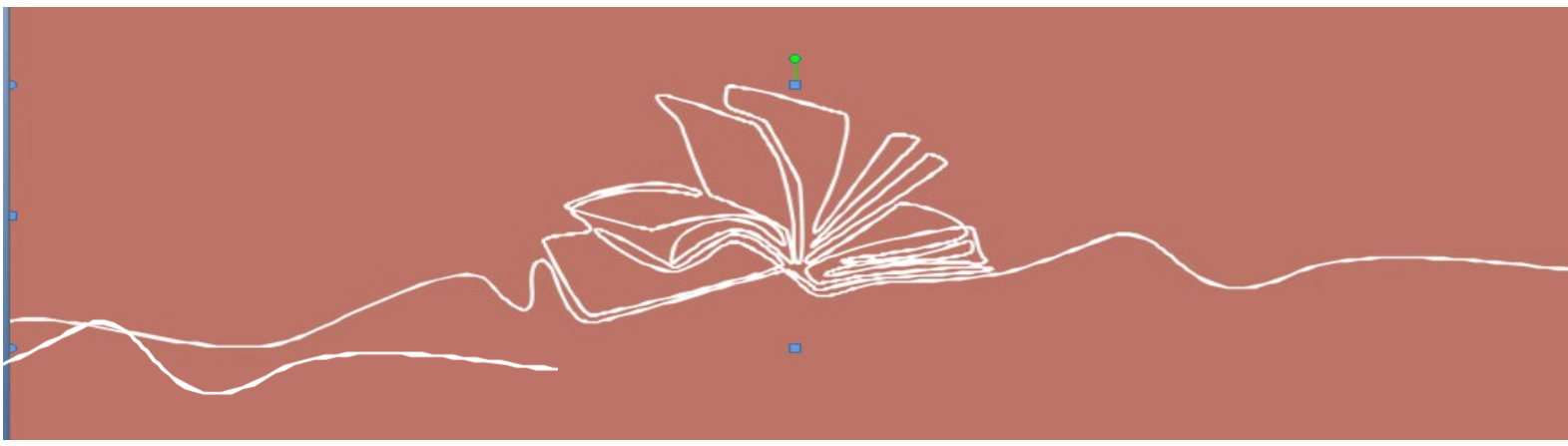

1

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुगम्यता : एक परिचय

भारत में उच्चतर शिक्षा वितरण को दिव्यांगजनों और ऐसे अनेकानेक अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए उसकी गति को अधिक उन्मुख और तीव्र बनाने की आवश्यकता है, जिन्हें पहुंच नहीं होने अथवा अपर्याप्तताओं के कारण सम्मिलित नहीं किया जा सका। नवीन भारत और नई शिक्षा नीति दोनों ही शिक्षा क्षेत्र के समावेशी विकास की दिशा में प्रतिबद्ध हैं, जिससे सभी तक इनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

1.1 सुगम्यता और समावेशी नीतिगत परिप्रेक्ष्य का परिचय

क) शिक्षा में समावेशी पद्धितयां किसी भी शिक्षार्थी को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करती हैं। इससे एक प्रतिक्रियाशील और सहायक पद्धति से विविध आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एक सामान्य शिक्षण आधार का निर्माण करने की आवश्यकता है जो सभी छात्रों के लिए लचीली और सुलभ हो जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमियों और विविध क्षमताओं के छात्र भी शामिल हैं। ऐसा समावेशी परिवेश न केवल शिक्षार्थियों को लाभान्वित करता है बल्कि समग्र रूप से सामाजिक समावेश और सुलभ परिवेश की एक सुदृढ़ नींव भी तैयार करता है। इस प्रकार, इसका परिणाम यह होना चाहिए कि परिसर जीवन के शैक्षणिक और सामाजिक, दोनों पहलुओं में समान और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी के लिए अवसरंचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण–ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया और ऐसे सभी घटकों में आवश्यक परिवर्तन लाकर बाधाओं को दूर किया जाए। यह उल्लेख करना अनावश्यक होगा कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक अवधारणा और संस्कृति के रूप में **सुगम्यता और समावेशन,** अंततः सभी को लाभान्वित करेगा।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों की भागीदारी और शिक्षण अनुभव में सुधार करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान, इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) योजना का प्रावधान किया जो अधिक पहुंच और बाधामुक्त परिवेश को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, प्रणाली को समावेशी बनाने की अत्यावश्यकता के परिणामस्वरूप, बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान 'महाविद्यालयों हेतु समान अवसर के केंद्र' योजना तैयार की गई जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिव्यांगजनों सहित वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और उनके समक्ष आने वाले अवरोधों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, समय–समय पर, दिव्यांगजनों की समान भागीदारी और शैक्षणिक प्रगति के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **समावेशी पद्धतियों** को सुकर बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है।

ग) मौजूदा अधिनियमों और नीतियों द्वारा विधिवत् रूप से समर्थित समावेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को तैयार करने के लिए प्रभावी दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक प्रावधानों की निरंतरता के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा के कल्याणकारी परिप्रेक्ष्य में एक उल्लेखनीय रूपांतरण को स्वीकार किया गया है, *जहां* भारत संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है और इसने इसका अनुसमर्थन भी किया है जिसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा पैरा 11, पृष्ठ 4 पर *"एक साम्यापूर्ण और भागीदारीपूर्ण शिक्षण अनुभव और परिवेश के साथ प्रासंगिक आयु सीमा के सभी छात्रों को सेवा प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बाधाओं को दूर करने और शिक्षा में*

सामग्री, शिक्षण विधियों, दृष्टिकोण, संरचनाओं और कार्यनीतियों में परिवर्तन और संशोधनों को शामिल करते हुए प्रणालीगत सुधार की एक ऐसी प्रक्रिया, जो उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम हों" (संयुक्त राष्ट्र, 2016), के रूप में दी गई है।

घ) संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र को प्रभावी बनाने के लिए, पूर्ववर्ती अधिनियम अर्थात् निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करते हुए निशक्त व्यक्ति अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया गया था। इसके अध्याय ण्ण (शिक्षा) की धारा 16, 17 और 18 क्रमशः समावेशी शिक्षा को सुविधा प्रदान करने और **बढ़ावा देने के लिए** शैक्षिक संस्थानों के कर्तव्य और किए जाने वाले विशिष्ट उपायों तथा वयस्क शिक्षा से संबंधित हैं। साथ ही, अधिनियम के अध्याय ण्ट की धारा 19 (कौशल विकास और रोजगार) का व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार प्रदान करने के कुछ उपबंधों को विनिर्दिष्ट करती है। इसके अतिरिक्त, रोजगार में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जैसे उपबंधों को भी लागू किया गया है और समय–समय पर प्रावधानों/निदेशों के अनुपालन पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार, अधिनियम के उद्भव के साथ, दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के ऐसे उपबंधों का अनुपालन करना उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य हो गया है।

ड.) इसके अलावा, **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** को भी उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण तथा उससे संसक्त मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके अध्याय ट (उभयलिंगी व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाएं और स्वास्थ्य) की धारा 13 और 14 के अनुसार संबंधित सरकारों द्वारा वित्तपोषित अथवा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए अन्य की तुलना में समान आधार पर बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा, खेल–कूद और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करेंगी।

च) **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020** में परिकल्पना की गई है कि आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेश और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उपाय है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षा–शास्त्र, निरंतर मूल्यांकन और छात्र सहायता प्रणालियों में संबंधित परिवर्तन करके समावेशी पद्धतियों पर प्रकाश डालती हैं। यह नीति स्वीकार करती है कि दिव्यांगजनों सहित सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के छात्रों को उच्चतर शिक्षा की ओर प्रभावी रूप से उन्मुख होने के लिए सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, *जिसमें* इन्हें प्रभावी ढंग से तथा कुशलता से क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि और शैक्षणिक संसाधनों के साथ–साथ उच्च गुणवत्ता वाले सहायता केंद्रों को शामिल करने की आवश्यकता है।

छ) इस प्रकार, एनईपी, (2020) के अनुसार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रवेश प्रक्रिया और पाठ्यक्रम को समावेशी बनाने के साथ–साथ बेहतर भागीदारी और ज्ञान अर्जन के परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी उपकरण विकसित करने के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्हें एसईडीजी को पर्याप्त वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियां प्रदान करने और एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्तियों तक उनकी व्यापक पहुँच बनाने की भी आवश्यकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भवनों और अवसंरचनाओं सुविधाओं जैसे **व्हीलचेयर** पहुंच के दायरे में हो और वे सभी के लिए **दिव्यांगजन अनुकूल** हों; ऐसे छात्रों, जो वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं, के लिए 'संक्षिप्त पाठ्यक्रम' तैयार किए जाएं और ऐसे सभी छात्रों के लिए उपयुक्त परामर्श और सलाह कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक–भावनात्मक और शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाए।

ज) सक्षमकारी उच्चतर शिक्षा परिवेश के माध्यम से यह सुकर बनाया जाना चाहिए कि सभी दिव्यांग छात्रों को शिक्षा तक पहुंच बनाने और उसमें भागीदारी करने का अधिकार, ज्ञानअर्जन की क्षमताएं और अपने स्वयं के शैक्षिक अनुभवों के प्रबंधन में अपनी आवाज उठाने, चयन करने का अधिकार और नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने और समुदाय में एक सक्रिय, सम्मानित नागरिक होने के उनके अधिकार और शिक्षा में सार्थक रूप से भागीदारी बनाने के लिए संसाधनों के उचित और पर्याप्त आवंटन के उनके अधिकार को पूरी तरह से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उच्चतर

शिक्षा संस्थानों को उनके शारीरिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रहने के अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

झ) सभी क्रियाकलापों में दिव्यांगजनों की समान भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करना राष्ट्र के प्राथमिक लक्ष्य हैं। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हर संभव तरीके से उच्चतर शिक्षा संस्थानों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि दिव्यांगजन बेहतर संख्या में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का अंग बन सकें। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सभी छात्रों के लिए सुलभ बनाना आयोग के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है।

1.2 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुगम्य बनानाः एक समग्र दृष्टिकोण

क) भारत सरकार ने तीन व्यापक क्षेत्रों अर्थात् निर्माण परिवेश, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और परिवहन में दिव्यांगजनों के लिए अवरोधमुक्त और सार्वभौमिक रूप से सुलभ निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान प्रारम्भ किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। यह निर्माण संबंधी परिवेश, परिवहन तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से जुड़ी अवसंरचना के पारिस्थितिकी–तंत्र के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच और सक्षमता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अग्रणी अभियान रहा है।

ख) भारत सरकार के विभिन्न नोडल मंत्रालयों ने दिव्यांगजनों के लिए समान और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजनों हेतु वास्तविक परिवेश, परिवहन तथा सूचना और संचार से संबंधित सुगम्यता दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जो उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जैसे अन्य के साथ–साथ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रमशः निर्मित परिवेश, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और ई–सामग्री संबंधी दिशानिर्देशों पर '**भारत के लिए सार्वभौमिक पहुंच संबंधी सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश, 2021**'। यह दिशानिर्देश हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुगम्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और तदनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

ग) उच्चतर शिक्षा प्रणाली में न केवल कक्षाओं, प्रयोगशालाओं अथवा पुस्तकालयों आदि जैसे निर्मित परिवेश ही शामिल नहीं हैं बल्कि ज्ञान अर्जन और सामाजिक परिवेश भी शामिल हैं, जहां विभिन्न सामाजिक और विविध पृष्ठभूमियों के छात्र भाग लेते हैं और देश के लिए एक उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। इसलिए, प्रत्येक परिवेश को सभी छात्रों के लिए उनकी क्षमताओं और अक्षमताओं के अनपेक्षतः सुगम्य होने की आवश्यकता है। प्रभावी दिशानिर्देश और नीतियां इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान कर सकती हैं। **समावेशी नीतियां**, समावेशी पद्धतियों की ओर ले जाती हैं और अंततः उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक ऐसा परिवेश तैयार करके समावेशी संस्कृति की ओर ले जाती है जहां हर कोई स्वयं को महत्वपूर्ण और समर्थित महसूस करता है। यह उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सभी स्वरूपों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की विविध श्रेणियों के लिए सुलभ परिवेश और समावेशी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अधिदेश है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत में कोई भी, विशेषकर उनकी जरूरतों, कार्यात्मक सीमाओं अथवा अक्षमताओं के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षा से वंचित एवं अछूता न रहे अथवा उससे भेदभाव करते हुए उनकी पहुंच से वंचित न किया जाए।

घ) उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई)/विश्वविद्यालयों के लिए विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले दिव्यांगजनों को पहचानना, उन्हें समायोजित करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना उनका प्राथमिक उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे ऐसी सुविधाएं अथवा परिवेश

प्रदान करें जो विविध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों से आने वाले दिव्यांगजनों को **स्वतंत्र रूप से रहने** और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपने शैक्षिक जीवन के सभी पहलुओं में **पूरी तरह से भाग लेने** के लिए समर्थ बनाएं।

ड.) दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से रहने और उनके शैक्षिक जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने के लिए एक सुलभ परिवेश प्रदान करने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थाएं इन कदमों को उठाते हुए समावेशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होंगी (प) प्रवेश प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक बाधामुक्त और एक समावेशी तंत्र सुनिश्चित करना, (पप) उसकी अवसरंचना प्रणालियों में सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करना, (पपप) शिक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान और सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि दिव्यांग छात्रों सहित सभी छात्र समावेशी तरीके से अध्ययन कर सकें (पअ) बेहतर भागीदारी और शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकीय और सहायक उपकरणों का विकास करना और (अ) 'कॉरपोरेट' जीवन में अन्य के साथ समान आधार पर भागीदारी को सुकर बनाना।

च) सभी एचईआई/विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संबंधित परिसरों में योजना बनाने और उन्हें लागू करते हुए सुगम्यता को प्राथमिकता से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में माना जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए इन दिशानिर्देशों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 'पहुंच' के संबंध में समग्र परिप्रेक्ष्य और बोध को विकसित करने के लिए व्यापक रूप से दस खंडों में संरचित किया गया है। यह खंड हैं:

(प) समावेशी पद्धतियों और पहुंच को बढ़ावा देना
(पप) आवश्यकता का आकलन और सहायता की व्यवस्था
(पपप) आईसीटी तक पहुंच
(पअ) आवागमन अवसंरचना
(अ) निर्मित अवसंरचना
(अप) सुगम्य पाठ्यक्रम, शिक्षण और ज्ञान अर्जन
(अपप) सुगम्यत का आकलन और परीक्षा प्रणाली
(अपपप) संसाधनों/सेवाओं तक पहुंच
(पग) समावेशी कैम्पस जीवन, और
(ग) सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों का अभिशासन और निगरानी।

छ) बधिर और कम सुनने वाले छात्रों को भारत की सांकेतिक भाषा (आईएसएल) सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और भारत में बधिर समुदाय की भाषायी पहचान को मान्यता और प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। समिति, शिक्षा में भेदभाव के संबंध में 'यूनेस्को के कन्वेंशन' की ओर राज्य पक्षकारों का ध्यान आकर्षित करती है, जो बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाने के अधिकार की पुष्टि करता है, और राज्य पक्षकारों को स्मरण कराता है कि अनुच्छेद 30(4) के तहत उनकी सांकेतिक भाषा और बधिर संस्कृति सहित उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषायी पहचान को मान्यता तथा सहायता प्रदान कर, दिव्यांगजनों को दूसरों के साथ समान आधार पर यह अधिकार दिया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, कम सुनने वाले छात्रों के पास गुणवत्तापूर्ण वाक् चिकित्सा सेवाओं, 'इंडक्शन लूप' तकनीक और 'कैप्शनिंग' तक पहुंच होनी चाहिए।

ज) दिव्यांगजनों के संगठनों (ओपीडी), विभिन्न एजेंसियों, विकास संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अभिभावकों/देखभालकर्ताओं के माध्यम से दिव्यांगजनों सहित सभी हितधारकों के बीच भागीदारी और समन्वय बनाना।

संयुक्त राष्ट्र (2016), सामान्य टिप्पणी सं. 4, अनुच्छेद 24: समावेशी शिक्षा का अधिकार www.refworld.org/docid/57c977e34.html

.....

2

आवश्यकता का आकलन और सहायता की व्यवस्था

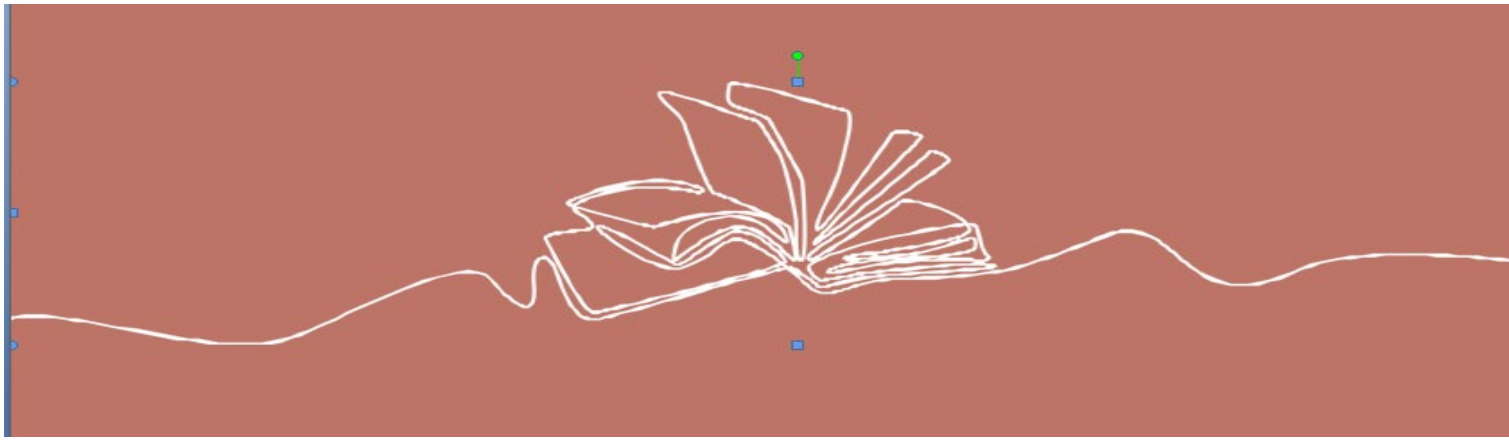

2

आवश्यकता का आकलन और सहायता की व्यवस्था

उच्चतर शिक्षा में पहुंच और आवश्यकता आकलन के विभिन्न पहलुओं में शामिल हैं: पाठ्यचर्या और निर्देश; 'ऑन एंड ऑफ–कैंपस' सेवाएं; भौतिक स्थान; तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)। नीतियों और विशिष्ट आवश्यकताओं के आकलन से लेकर पाठ्यक्रम की योजना और समीक्षा करने, शिक्षा प्रदान करने के तरीके, प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आशोधन करना, सहायक प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, परिसर के परिवेश, समारोह, आवासीय और गैर–आवासीय सुविधाएं और हितधारकों की क्षमता निर्माण एक समावेशी भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विकसित करने हेतु मुख्य क्षेत्र हैं। तथापि, सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, समकक्ष समूहों सहित एचईआई के सभी हितधारकों द्वारा दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझना ताकि प्रत्येक संस्थान द्वारा सूचना, अवसरंचना और अकादमिक अनुसंधान, परिसर संस्कृति और प्रणालियों के समग्र शिक्षण में पहुंच और समावेशन के लिए उपयुक्त उपाय शुरू किए जा सकें। यह भाग, विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं और विविधताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं; और ऐसे प्रावधानों के बारे में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सभी पहलुओं में सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं।

दिव्यांगजनों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय में उचित आवास के लिए आवश्यकता आकलन प्रक्रिया का विधिवत् पालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का समग्र रूप से आकलन करना और उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उनकी शिक्षा को सुकर बनाने के लिए उचित आवास के रूप में उनके लिए सहायक प्रावधान करना है। कुछ सांकेतिक चरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

चरण 1 : निर्धारित प्रारूप में उपयोगकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले आवेदन।

चरण 2 : आंतरिक समिति द्वारा मूल्यांकन और उचित आवास प्रदान करना।

चरण 3: जहां आंतरिक समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं होती है, वहां बाह्य सहयोगकर्ता जैसे सीआरसी/डीडीआरसी आदि से सहायता प्राप्त कर सकती है और आंतरिक समिति अथवा बाह्य समिति के सहयोग से उन्हें उचित आवास प्रदान कर सकती है।

विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आवश्यकता के आकलन के लिए समय–समय पर निकटतम पुनर्वास/उचित आवास सहायता जैसे सीआरसी/डीडीआरसी से जुड़ना होगा। ऐसा दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा/पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं और शिक्षा/परिसर में निवास करने संबंधी आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से आकलन करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया के आरंभ में किया जा सकता है।

चरण–1 स्वास्थ्य/चिकित्सा एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकताएं

संस्थान/विश्वविद्यालय में शिक्षा आरंभ करते समय, एक औपचारिक बोर्ड अर्थात् आवश्यकता आकलन बोर्ड द्वारा आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा, जो दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगा।

चरण–2 शिक्षा तथा परिसर में रहने संबंधी आवश्यकताएं

एक बार व्यक्ति विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश ले लेता है तो शिक्षा अथवा समावेशी परिसर में निवास करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु एक संपूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा।

सस्ता आवास

2.1 दिव्यांगता संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं

दिव्यांगजनों की संबंधित निशक्तताओं के कारण उनकी कार्यात्मक सीमाएं हो सकती हैं जिन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से बेहतर तरीके से समर्थित किया जा सकता है।

व्यापक रूप से, जिन पहलुओं पर सुगम्यता संबंधी विचार किए जाने की आवश्यकता हो सकती है उनमें सचलनता; हस्त सचलनता; चिकित्सा और दवा; वाक् और सम्प्रेषण; दृष्टि; भावनात्मक–व्यवहारगत सहायता; मनो–सामाजिक सहायता; संज्ञानात्मक और बौद्धिक कौशल; स्व–देखभाल और दैनिक जीवन से जुड़े कौशल; स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताएं; अवसंरचना का उपयोग; सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आदि का उपयोग शामिल है।

दिव्यांगता की प्रत्येक श्रेणी में नीचे सूचीबद्ध विशिष्ट आवश्यकताएं परिपूर्ण नहीं हो सकती हैं। तथापि, यह विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के लिए विविध आवश्यकताओं का व्यापक और सामान्य बोध प्रदान करता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाए कि इन आवश्यकताओं को सीमाओं के रूप में नहीं बल्कि शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाली सहायता के कार्यक्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में, उन्हें विविध निशक्तताओं के लिए अपेक्षित पहुंच संबंधी विचार अथवा प्रावधान के रूप में माना जा सकता है।

2.1.1 शारीरिक दिव्यांगता–

क. ऊपरी अंगों (हाथ से लेकर कंधे तक) की स्थायी शारीरिक दिव्यांगता (पीपीडी)।

ख. निचले अंगों (नितम्ब से पंजे तक) तक पीपीडी।

ग. रीढ़ की पीपीडी।

घ. अंगच्छेदन वाले व्यक्तियों में पीपीडी।

ड. अंगों (हाथ से कंधे तक तथा नितम्ब से पंजे तक) में जन्मजात दिव्यांगताओं अन्य स्थितियों की पीपीडी।

विशिष्ट आवश्यकताएं

- मोटर और/अथवा फाइन–मोटर कार्यकरण, लोकोमोटर और गैर–लोकोमोटर कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बैठने, संचलनता, आने–जाने और अंग–संचालन में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- वस्तुओं को पकड़ने, पृष्ठ पलटने, पेन अथवा पेंसिल से लिखने, की–बोर्ड पर टाइप करने और/ अथवा अध्ययन सामग्री का पुनः स्मरण करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा अथवा दवा की आवश्यकता हो सकती है।

- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिकता के स्थान पर बैठने की जरूरत हो सकती है।
- अवसरंचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.2 शारीरिक दिव्यांगता–

2.1.2.1 तेजाब से हमलों के पीड़ित व्यक्ति

विशिष्ट आवश्यकताएं

- बोलने और संवाद में सीमाएं हो सकती हैं।
- हाथ को चलाने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- दृश्य तीक्ष्णता में सीमाएं हो सकती हैं इसलिए, अतिरिक्त आवश्यकताएं होंगी जो दृष्टि अक्षमताओं के लिए लागू हैं।
- बार–बार चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिकता के स्थान पर बैठने की जरूरत हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.2.2 प्रमस्तिष्क पक्षाघात

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- बैठने, चलने–फिरने, इधर–उधर जाने और अंग–संचालन में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- वस्तुओं को पकड़ने, पृष्ठ पलटने, पेन अथवा पेंसिल से लिखने, की–बोर्ड पर टाइप करने और/अथवा अध्ययन सामग्री का पुनः स्मरण करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिकता के स्थान अथवा आवश्यकता के अनुरूप बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- संबद्ध बौद्धिक अथवा व्यवहार स्थितियां हो सकती हैं और बौद्धिक अक्षमताओं पर यथा लागू अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।
- स्व–देखभाल और दैनिक जीवन कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- दृष्टि अथवा श्रवण अक्षमता का अनुभव हो सकता है और इसलिए दृष्टि, श्रवण और वाक् अक्षमताओं के लिए लागू अतिरिक्त आवश्यकताएं होंगी।
- दर्द से राहत और शरीरिक मुद्रा पर नियंत्रण में सहायता के लिए बैठने के विशिष्ट फर्नीचर की आवश्यकता हो सकती है।
- वाक् और सम्प्रेषण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा, चिकित्सा हस्तक्षेप, शल्य चिकित्सा अथवा दवा की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसरंचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.2.3 कुष्ठ–रोग उपचारित व्यक्ति

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- हाथ को चलाने में समस्या हो सकती है और इस प्रकार उन्हें वस्तुओं को पकड़ने, पृष्ठ पलटने, पेन अथवा पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/अथवा अध्ययन सामग्री का पुनः स्मरण करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- दृश्य तीक्ष्णता की सीमाएं हो सकती हैं, इसलिए दृष्टि अक्षमताओं पर लागू अतिरिक्त आवश्यकताएं होंगी।
- सचलता, वाक् और सम्प्रेषणगत सीमाएं हो सकती हैं इसलिए, शारीरिक और वाक् अक्षमताओं के लिए लागू अतिरिक्त आवश्यकताएं होंगी।
- बार–बार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा अथवा दवा की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिकता के स्थान पर बैठने की जरूरत हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहार और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसरंचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.2.4 छोटा कद/नाटापन

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- बैठने और चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- संबद्ध दृष्टि, शारीरिक, श्रवण और वाक् अक्षमताओं से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताएं हो सकती हैं।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहार और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसरंचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.2.5 मांसपेशी दुष्पोषण

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- बैठने, चलने–फिरने, आने–जाने और अंग–संचालन में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है।
- वाक् और संवाद में सीमाएं हो सकती हैं।
- चीजों को हाथ से पकड़ने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है।
- बार–बार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

- अवसरंचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.3 दृष्टि संबंधी दिव्यांगता

2.1.3.1 नेत्रहीनता और कम दृष्टि

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- विभिन्न तरीकों से जानकारी तक पहुँच बना सकते हैं: ब्रेल, ऑडियो, संवर्धित प्रिंट, डिजिटल प्रारूप, स्क्रीन रीडिंग सॉफ़्टवेयर अथवा अन्य स्पर्श और संवेदी प्रणालियाँ।
- अभिविन्यास और चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवधारणा विकास में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहार और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसरंचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.4 श्रवण संबंधी दिव्यांगता

2.1.4.1 बधिर और सुनने में कठिनाई

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- वाक् और संप्रेषण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) और सभी के साथ संप्रेषण को सीखने की आवश्यकता हो सकती है।
- मौखिक जानकारी/निदेशों जैसे कक्षा की घंटी, घोषणाओं आदि जैसी आवाज़ें सुनने में कठिनाई के कारण इन्हें समझने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है ।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है।
- श्रवण यंत्र और कर्णावत प्रत्यारोपण जैसे उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहार और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- प्रौद्योगिकीय अथवा वैकल्पिक साधनों जैसे कि साथियों के माध्यम आदि से नोट लेने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- विद्यालय से महाविद्यालय अथवा स्नातक से स्नातकोत्तर आदि में अंतरण हेतु सहायता प्रदान करना।

- स्पष्ट अनुदेश अथवा निरूपण की पेशकश करना।

2.1.5 वाक् और भाषा संबंधी दिव्यांगता

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- अभिव्यक्ति–भाषागत ध्वनियों को उत्पन्न करने; भाषा के प्रवाह और लय अथवा आवाज, स्वर की गुणवत्ता, प्रतिध्वनि अथवा जोर से बोलने में समस्या हो सकती है।
- वाक् और सम्प्रेषण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहार और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है
- बार–बार वाक् उपचार अथवा अन्य चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.6 बौद्धिक दिव्यांगता

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- वाक्, संप्रेषण और सामाजिक कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली (निर्णय लेना, तर्कशक्ति, समस्या–समाधान आदि) में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बैठने और चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- हाथ चलाने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- जानकारी को समझने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- स्वयं की देखभाल और दैनिक जीवन के कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा अथवा अन्य चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.7 विशिष्ट ज्ञान अर्जन संबंधी दिव्यांगता

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- वाक्, सम्प्रेषण और सामाजिक कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहार और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

- समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी अथवा गणितीय गणना करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- मौखिक और लिखित जानकारी/निदेशों को समझने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.8 आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- वाक्, सम्प्रेषण और सामाजिक कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहार और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- संबद्ध बौद्धिक अथवा व्यवहार संबंधी स्थितियां हो सकती हैं।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- संज्ञानात्मक कार्यकरण (तर्कशक्ति, समस्या–समाधान, आदि) में सहायता की आवश्यकता हो सकती है
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- तेज रोशनी, तेज आवाज, व्यस्त 'हॉलवे', बनावट, गंध आदि के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं
- बार–बार उपचार अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.9 मानसिक रोग

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- वाक्, सम्प्रेषण और सामाजिक कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- संबद्ध बौद्धिक अथवा व्यवहार संबंधी स्थितियां हो सकती हैं।
- एकाग्रता, स्मृति, ध्यान भंग, आवेगशीलता, चिड़चिड़ापन, भय, चिंता आदि कठिनाइयों के कारण शैक्षणिक क्रियाकलापों में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- विचार, मनोदशा, अनुभूति, अभिमुखीकरण, स्मृति के विकारों के कारण संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली (तर्कशक्ति, समस्या–समाधान आदि) में सहायता की आवश्यकता हो सकती है जो निर्णय लेने, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता, अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- तेज रोशनी, तेज आवाज, व्यस्त 'हॉलवे', बनावट, गंध आदि के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

- बार–बार उपचार अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.10 चिरकालिक तंत्रिका संबंधी रोग–'मल्टीपल स्केलेरोसिस'

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- 'मोटर' और/अथवा 'फाइन–मोटर' कार्यकरण, लोकोमोटर और 'गैर–लोकोमोटर' कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बैठने और चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- वस्तुओं को पकड़ने, पन्ने पलटने, पेन अथवा पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/अथवा अध्ययन सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए हाथ से काम करने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.11 चिरकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति–पार्किंसंस रोग

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- 'मोटर' और/अथवा 'फॉइन–मोटर' कार्यकरण, 'लोकोमोटर' और गैर–'लोकोमोटर' कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बैठने और चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- वस्तुओं को पकड़ने, पन्ने पलटने, पेन अथवा पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/अथवा अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए हाथ से काम करने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.12 रक्त विकार–'सिकल सेल' रोग

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- 'मोटर' और/अथवा 'फाइन–मोटर' कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बैठने और चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

- दृश्य तीक्ष्णता संबंधी सीमाएं हो सकती हैं।
- वस्तुओं को पकड़ने, पन्ने पलटने, पेन अथवा पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/अथवा अध्ययन सामग्री पुनः प्राप्त करने के लिए हाथ से काम करने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार उपचार, शल्य चिकित्सा अथवा दवाओं की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.13 रक्त विकार–'थैलेसीमिया'

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- बार–बार चिकित्सा अथवा अन्य चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
- 'मोटर' और/अथवा 'फाइन–मोटर' कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.14 रक्त विकार–'हीमोफीलिया'

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- बार–बार चिकित्सा अथवा अन्य चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
- 'मोटर' और/अथवा 'फाइन–मोटर' कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.15 बहु निशक्तताएं

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- वाक्, स्पर्शनीय सांकेतिक भाषा, सम्प्रेषण और सामाजिक कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली (तर्कशक्ति, समस्या–समाधान आदि) में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

- दृष्टिगत अथवा श्रवण अक्षमता का अनुभव हो सकता है।
- संबद्ध बौद्धिक अथवा व्यवहारगत संबंधी स्थितियां हो सकती हैं।
- दर्द से राहत और आसन–नियंत्रण में सहायता के लिए बैठने के विशिष्ट स्थान की आवश्यकता हो सकती है।
- बैठने और चलने–फिरने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- 'मोटर' और/अथवा 'फॉइन–मोटर' कार्यकरण, 'लोकोमोटर' और गैर–'लोकोमोटर' कार्यकरण में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बैठने, चलने–फिरने, आवाजाही और संचलन में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- जानकारी को समझने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- स्वयं की देखभाल और दैनिक जीवन कौशल में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- अवसंरचना अथवा आईसीटी के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- बार–बार चिकित्सा, शल्य चिकित्सा अथवा अन्य चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
- चल रहे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्राथमिक रूप से बैठने की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.16 सामान्य से अधिक सहायता संबंधी आवश्यकताएं

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- उच्चतर शिक्षा में पहुंच के संदर्भ में सामान्य से अधिक सहायता की आवश्यकता वाले किसी व्यक्ति को दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में सहायता (एडीएल), अन्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा अन्यथा स्वतंत्र और संसूचित निर्णय लेने, परिवार और सामुदायिक जीवन, उपचार/चिकित्सा और रोजगार सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में सुविधाओं तक पहुँच बनाने और भागीदारी करने के लिए गहन सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए एक परिचारक/देखभालकर्ता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.17 समावेशन के लिए लैंगिक आवश्यकताएं

- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

2.1.18 उभयलिंगी व्यक्ति

विशिष्ट आवश्यकताएं:

- भावनात्मक–व्यवहारगत और मनो–सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- परिसर के रिकॉर्डों और दस्तावेजों में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

- क्रियाकलापों में भाग लेने अथवा सुविधाओं के उपयोग में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

सभी दिव्यांगताओं के लिए ऊपर सूचीबद्ध आवश्यकताएं व्यापक नहीं हैं और दिव्यांगता से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह/उप–समूह आगे विविध आवश्यकताओं को प्रदर्शित कर सकता है क्योंकि यह एक प्रासंगिक और गतिशील अवधारणा है। इसलिए, आवश्यकताओं का उचित आकलन और उसका दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है। समय के साथ जरूरतें बदल सकती हैं और दिव्यांगजनों के अनुरोध पर अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थान के संकाय/हितधारकों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर आवश्यकता मूल्यांकन को दोहराना आवश्यक हो सकता है।

2.2 विशिष्ट आवश्यकताएँ: सुगम्य और समावेशी पाठ्यचर्या तैयार करना

विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुलभ और समावेशी पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता होगी। कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को तैयार करने और विकसित करते समय पाठ्यचर्या पहलुओं में समर्थकारी प्रावधान अवश्य शामिल होने चाहिए जो पाठ्यचर्या डिजाइन और विकास; पाठ्यचर्या आयोजना और कार्यान्वयन; शैक्षणिक लचीलेपन; पाठ्यचर्या संवर्धन; और प्रतिक्रिया प्रणालियों के स्तर पर विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देते हों।

- विषयों के विकल्प (सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों) के साथ पाठ्यचर्या में लचीलापन।
- पाठ्यक्रम में कटौती, विषय छूट, अथवा विषय प्रतिस्थापन की योजना बनाना।
- 'प्लस'–पाठ्यचर्या अथवा विस्तारित–मुख्य पाठ्यचर्या के विषयों की पेशकश करना।
- पाठ्यक्रम–कार्यक्रम और शैक्षिक कैलेंडर में लचीलापन।
- अलग–अलग गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों हेतु पाठ्यक्रम की विषयवस्तु की गति में लचीलेपन को अनुमति देना।
- उपस्थिति संबंधी अपेक्षाओं में लचीलापन।
- प्रत्येक विविधता के लिए प्रासंगिक समग्र ज्ञान अर्जन लक्ष्यों और विशिष्ट ज्ञान अर्जन उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट करना।
- ज्ञान अर्जन उद्देश्यों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और 'साइको–मोटर' क्षेत्रों को कवर करना सुनिश्चित करना।
- ज्ञान अर्जन की विविध शैलियों हेतु अनुदेश की अनेक शिक्षण पद्धतियों की पेशकश करना।
- छात्रों को अर्जित ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए अनेक विकल्पों को सुझाना (उदाहरण के लिए लेखन–आधारित, समस्या–आधारित कार्य)
- विविध शिक्षण शैलियों और कार्यात्मक आवश्यकताओं (जैसे व्याख्यान, 'टीम'–आधारित शिक्षण, समस्या–आधारित शिक्षण, 'सुकरात' पद्धति, अनुकरण, भूमिका–निभा कर, वाद–विवाद द्वारा, सेवा–शिक्षा आदि) के लिए प्रत्येक विषय में विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों की पेशकश करना।
- स्पष्ट 'रूब्रिक और ग्रेडिंग' मानक विकसित करना।
- बेहतर गुणवत्तायुक्त आकलन और मूल्यांकन पद्धतियों में लचीलापन।
- छात्र की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सुलभ प्रारूपों में पाठ्यक्रम की उपलब्धता (डिजिटल कॉपी, हार्ड–कॉपी, ब्रेल, बड़े–प्रिंट, मौखिक वर्णन के साथ चित्र, भारतीय सांकेतिक भाषा प्रारूप, उपयुक्त रंग योजनाएं, आदि)।
- संदर्भ सामग्री, पठन सामग्री और पाठ्यपुस्तकों की एक सूची शामिल करें जो सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध हैं (उदाहरण के लिए उपशीर्षक के साथ दृश्य मीडिया, स्क्रीन रीडरों के साथ सुसंगत डिजिटल सामग्री आदि)।

- विविधता, समावेशन और समग्र 'एन्गेजमेंट' के मुद्दों का समाधान करने वाले एक स्पष्ट विवरण को शामिल करना।
- एक जांच सूची विकसित करना जिसकी छात्रों को अपने ज्ञान अर्जन (ऑफ–लाइन और ऑनलाइन कक्षा दोनों) को बढ़ाने के लिए आवश्यकता हो सकती है।

पाठ्यचर्या विकास और कार्यान्वयन के संबंध में विवरण के लिए अध्याय–6 देखें।

2.3 विशिष्ट आवश्यकताएँ: प्रवेश और संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

पाठ्यक्रम/परिसर से जुड़े क्रियाकलापों की प्रभावशीलता को मापने/विश्लेषण करने के लिए विज्ञापन और सर्वेक्षण सहित सभी संवर्धनात्मक क्रियाकलाप। इसमें प्रवेश प्रक्रियाओं; विज्ञापन संबंधी अधिसूचना; प्रवेश–प्रपत्र भरना; प्रवेश के लिए कार्रवाई; परामर्श; दाखिला, प्रवेशन तथा अभिविन्यास में भी सहायता प्रदान करना शामिल होगा।

- सुनिश्चित करें कि प्रवेश संबंधी घोषणाएं और विज्ञापन सुलभ प्रारूपों में परिचालित किए जाएं।
- सुनिश्चित करें कि वेबसाइट, ई–मेल और सोशल मीडिया अभियानों की सामग्री को विभिन्न सहायक तकनीकों द्वारा पढ़ा जा सकता हो; उसे बडा करके देखा जा सके; रंग और चमक संबंधी अनुपात आवश्यकताओं को पूरा करता हो; दृश्य सामग्री के विकल्प शामिल हों; 'वीडियो क्लोज–कैप्शन' और विवरण का उपयोग करते हों।
- भारतीय सांकेतिक भाषा प्रारूपों में ई–विषयवस्तु के अनुवाद को उत्तरोत्तर प्रोत्साहित करें।
- सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम और साक्षात्कार (व्यक्तिगत अथवा आभासी) सुलभ स्थानों और प्रारूपों में कराए जाएं।
- प्रवेश के सभी चरणों/प्रक्रियाओं में वैकल्पिक संचार सहायता की पेशकश करें।
- कार्यक्रम की जानकारी के लिए बहु प्रारूपों की पेशकश करें जैसे बड़े प्रिंट, ऑडियो अथवा वीडियो जानकारी।
- डिजिटल, बड़े प्रिंट, ब्रेल आदि आवेदन प्रपत्रों के लिए बहु प्रारूपों की पेशकश करें, साथ ही इसमें भरा हुआ नमूना प्रारूप भी शामिल करें।
- सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन सामग्री और उपकरण डब्ल्यूसीएजी अनुपालन पर खरे उतरते हों।
- प्रत्येक प्रवेश सामग्री में विविधता और समावेशन विवरण शामिल करें और इसके बारे में जानकारी दें कि सुलभता संसाधनों तक किस प्रकार पहुंच बनाएं।
- छात्रों को सहायता प्रदान करने वाले परिसर में मौजूदा संसाधनों पर जानकारी शामिल करें जो पाठ्यक्रम में वर्णित नहीं है जैसे परामर्श केंद्र, एलजीबीटी संसाधन केंद्र आदि।
- यह स्पष्ट करें कि आप उनकी विविध पृष्ठभूमि और पहचान को महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
- नामांकित छात्रों के लिए सहज अंतरण सुनिश्चित करने हेतु छात्र सहायता सेवाओं के साथ सहयोग कर कार्य करें।

2.4 विशिष्ट आवश्यकताएँ: प्रशासनिक और सहायता संबंधी पहलू

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान, विविध व्यक्तियों तथा दिव्यांगताओं हेतु आवश्यक प्रशासनिक और अन्य सहायता में पहुंच मुहैया कराने संबंधी सुविधा प्रदान करेंगे। उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय अपने दिव्यांगता/समान अवसर प्रकोष्ठ के माध्यम से उचित आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगे।

प्रणाली में छात्रों के प्रभावी अंतरण के लिए सभी क्रियाकलापों में सहायता मुहैया कराना जिसमें पंजीकरण, शैक्षिक सहायता; ठहरने और परिवहन की सुविधा; शुल्क जमा करने; प्रायोजन; समय सारणी, अनुसूचियां और 'अकादमिक कलैंडर'; शिकायत निवारण; अंक तालिका, प्रमाणन, डिप्लोमा, प्रतिलेख, प्रवासन प्रमाणपत्रों आदि को जारी करना/प्रदान करना; परामर्श (परीक्षा–पूर्व, परीक्षा–उपरांत, कैरियर–आयोजना आदि); अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियां; और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण शामिल हैं।

यदि उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसर में चिकित्सा सुविधाएं हैं, तो चिकित्सा/चिकित्सीय सहायता की सुविधा को प्रदान किया जाए।

दिव्यांगता की प्रत्येक श्रेणी के लिए सुगम्यता संबंधी विचारों में: सचलता; हाथ का बेहतर ढ़ंग से उपयोग; उपचार और दवा; वाक् और सम्प्रेषण; दृष्टि; भावनात्मक–व्यवहारगत सहायता; मनोवैज्ञानिक–सामाजिक सहायता; संज्ञानात्मक और बौद्धिक कौशल; स्वयं की देखभाल और दैनिक जीवन कौशल; स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताएं; अवसंरचना का उपयोग; सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) आदि का उपयोग करना शामिल है। किए गए उपायों के कुछ उदाहरणों में निम्नवत शामिल हैं :–

- परिसर और इसकी विभिन्न सुविधाओं में एक सार्वभौमिक रूप से सुगम्य परिवेश तैयार करना जिसमें प्रशासनिक से लेकर शैक्षणिक, सचलता से लेकर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हों।
- पाठ्यक्रम छूट अथवा प्रतिस्थापन अथवा कम पाठ्यक्रम भार का विकल्प प्रदान करना।
- उपस्थिति, समय सारणी/कार्यक्रम आदि के साथ लचीलापन।
- सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनुमति देना।
- सुविधाजनक रूप से मौजूदा पार्किंग सुविधा प्रदान करना।
- एक सुलभ स्थान पर कक्षाओं को पुनर्संचालित करने का अवसर प्रदान करना।
- सुविधाओं में 'सर्विस एनीमल' की अनुमति देना।
- प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण सुविधा प्रदान करना।
- कक्षा संबंधी अनुसूची और/अथवा कमरे में परिवर्तन की अग्रिम सूचना प्रदान करना।
- परिसर, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और सभी सुविधाओं के लेऑउट के साथ छात्र को परिचित कराना, उन्हें निकटतम निकास और आपातकालीन उपकरण आदि की जानकारी प्रदान करना।
- परिसर के उभरे हुए लाइनदार नक्शे और ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय मॉडल की सुविधा प्रदान करना।
- कक्षा के कार्यक्रम और/अथवा कमरे में परिवर्तन की अग्रिम सूचना देना।
- बड़े प्रिंट, ब्रेल, प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित एक डिजिटल प्रारूप आदि जैसे सुलभ स्वरूपों में परिणाम और दस्तावेज जारी करना।
- सहायक प्रयोगशाला उपकरण जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर, 'लाइट प्रोब', 'टैक्टाइल टाइमर' आदि उपलब्ध कराना।
- ब्रेल, प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित एक डिजिटल प्रारूप आदि जैसे सुलभ स्वरूपों में परिणाम और दस्तावेज जारी करना।
- डब्ल्यूसीएजी अनुपालन के साथ सुलभ वेबसाइटों, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सामग्री/उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विविधता अनुकूल संचार बेंचमार्क स्थापित करना।
- सुरक्षा, निजता और गोपनीयता संबंधी उपाय।
- शिक्षण सहायकों की नियुक्ति।
- पहुंच, नामांकन, प्रतिधारण, भागीदारी और उपलब्धि दर्शाने के उपाय करना।
- 'एलायंस क्लबों' आदि की स्थापना।

दृश्य संबंधी दिव्यांगता के लिए अन्य विशिष्ट विचार (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि)

- 'प्लस–करिकुलर' (विस्तारित मुख्य–पाठ्यक्रम) संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से शैक्षणिक सहायता प्रदान करना
  - ब्रेल पठन और ब्रेल लेखन।
  - अभिविन्यास और गतिशीलता।
  - स्वतंत्र जीवन कौशल।
  - संवेदी प्रशिक्षण–श्रवण/स्पर्श/गंध/स्वाद, ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करने की दक्षता कौशल।
  - 'टेलर फ्रेम' और 'अबेकस' जैसे गणितीय उपकरणों का उपयोग।
  - मुख्य पाठ्यक्रम जैसे अवधारणा विकास, संगठन और अध्ययन कौशल, स्पर्शनीय ग्राफिक्स, श्रृव्य सामग्री आदि तक पहुंच बनाने के लिए प्रतिपूरक कौशल अनिवार्य है।
  - सामाजिक संपर्क कौशल।
  - मनोरंजन और आमोद–प्रमोद कौशल।
  - कैरियर संबंधी शिक्षा।
  - सहायक प्रौद्योगिकी।
  - आत्मनिर्णय कौशल जैसे विकल्प चुनना, निर्णय लेना, समस्या–समाधान, व्यक्तिगत परामर्श, लक्ष्य निर्धारण, संघर्ष समाधान आदि।

श्रवण संबंधी दिव्यांगता (बधिर और सुनने में कठिनाई) तथा वाक् और भाषायी संबंधी दिव्यांगता के लिए अन्य विशिष्ट विचार

- 'सांकेतिक भाषा दुभाषियों' की व्यवस्था कराना।
- कक्षा–घंटी अथवा मौखिक घोषणाओं जैसी ध्वनि–आधारित जानकारी के लिए दृश्य विकल्प प्रदान करना।
- 'प्लस–करिकुलर' (विस्तारित मुख्य–पाठ्यक्रम) क्रियाकलापों के माध्यम से शैक्षणिक सहायता प्रदान करना।
  - श्रृवण विज्ञान (ऑडियोलॉजी)।
  - कैरियर शिक्षा।
  - संचार (मौखिक/श्रवण–मौखिक; 'वर्बल यूनी–सेंसरी'; सांकेतिक भाषा; संपूर्ण संचार)।
  - कार्यात्मक कौशल जैसे अध्ययन और संगठन, अवधारणा विकास, सांस्कृतिक जागरूकता आदि।
  - आत्मनिर्धारण और परामर्श।
  - सामाजिक–भावनात्मक कौशल।
  - दुभाषियों और 'ट्रांसलेटरों' का उपयोग करना।
  - प्रौद्योगिकी।

बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट ज्ञान अर्जन दिव्यांगता, आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रोग, बहु दिव्यांगता और अधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए अन्य विशिष्ट विचारः

- विद्यालय से महाविद्यालय अथवा स्नातक से स्नातकोत्तर आदि में परिवर्तन संबंधी सहायता प्रदान करना।
- प्रत्येक प्रशासनिक पहलू के लिए 'स्कॉफहोल्डिंग' अथवा चरण–दर–चरण दिशानिर्देश प्रदान करना।
- एक से अधिक तरीकों से प्रस्तुत किए जाने वाले अत्यधिक संरचित अनुदेश अथवा प्रदर्शन की पेशकश करना।

- 'प्लस–करिकुलर' (विस्तारित मुख्य–पाठ्यक्रम) क्रियाकलापों के माध्यम से शैक्षणिक सहायता प्रदान करना
  - स्व–सहायता और स्वतंत्र जीवनयापन कौशल।
  - वाक्, शारीरिक, व्यावसायिक अथवा संवेदी आवश्यकताओं के लिए चिकित्सीय सहायता।
  - मुख्य पाठ्यक्रम जैसे अवधारणा विकास, संगठन और अध्ययन कौशल, स्पर्शनीय ग्राफिक्स, श्रृव्य सामग्री आदि तक पहुंचने के लिए प्रतिपूरक कौशल अनिवार्य है।
  - सामाजिक संपर्क कौशल।
  - मनोरंजन और आमोद–प्रमोद कौशल।
  - कैरियर संबंधी शिक्षा।
  - सहायक प्रौद्योगिकी
  - स्वनिर्धारण कौशल जैसे विकल्प चुनना, निर्णय लेना, समस्या–समाधान, व्यक्तिगत परामर्श, लक्ष्य निर्धारण, विवाद समाधान आदि।

2.5 विशिष्ट आवश्यकताएँ: शिक्षण और ज्ञान अर्जन

ज्ञान अर्जन और कौशल विकास से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं हेतु सहायता की व्यवस्था करना, जिसमें निम्नवत सम्मिलित हैं:

- छात्र नामांकन और प्रोफाइल।
- छात्र विविधता के लिए प्रावधान।
- शिक्षण–ज्ञान अर्जन प्रक्रिया।
- शिक्षक प्रोफाइल और गुणवत्ता।
- मूल्यांकन प्रक्रिया और सुधार।
- छात्र निष्पादन और ज्ञान अर्जन परिणाम।
- छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण।
- सिद्धांत पाठ्यक्रम से परिचय कराना।
- प्रायोगिक पाठ्यक्रम से परिचय कराना।
- सुगम्य शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता।
- गृह कार्य, परियोजना और पाठ्यक्रम कार्य।
- अन्य विभागों के ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों में भाग लेना।
- कैम्पस जीवन से जुड़े क्रियाकलापों में भाग लेना।
- प्रतियोगिताओं और आयोजनों में भाग लेना।
- भ्रमण और दौरों में भाग लेना।
- छुट्टियों के दौरान विचार।
- पुस्तकालय और अध्ययन से जुड़े संसाधन।
- डिजिटल पहुंच।

शारीरिक दिव्यांगता के लिए सहायता के कुछ उदाहरण–।

- 'नोट्स टेकर्स' और उपयुक्त सहायक तकनीक का उपयोग।
- पाठ की डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराएं (सुलभ संदर्भ दस्तावेजों की पूर्ण सूची के साथ)
- यह सुनिश्चित करना कि सभी 'ऑफ–डेस्क' क्रियाकलाप शारीरिक रूप से सुलभ हैं अथवा वैकल्पिक कार्य विकल्प उपलब्ध कराएं।
- अध्ययन/कार्य समूह तैयार करते समय छात्रों को शामिल करना।

- कार्य/प्रस्तुतीकरण के लिए अतिरिक्त समय देना।
- बैठने के स्थान/फर्नीचर में बदलाव।

शारीरिक दिव्यांगता के लिए सहायता के कुछ उदाहरण–II

- कक्षा तक पहुँचने, कार्य/परियोजना आदि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना।
- ऑडियो/वीडियो पद्धति में व्याख्यान रिकॉर्ड करने की अनुमति प्रदान करना।
- कक्षा के दौरान कुछ समय के लिए बाहर जाने अथवा घूमने की अनुमति प्रदान करना।
- ज्ञान अर्जन का प्रदर्शन करने के लिए अनेक विकल्प देना (उदाहरण के लिए लेखन–आधारित, समस्या–आधारित कार्य आदि)

दृश्य संबंधी दिव्यांगता के संबंध में सहायता के कुछ उदाहरण (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि)

- छात्रों को देखने, सुनने और यदि संभव हो तो प्रस्तुत की गई सामग्री को छूने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैठने हेतु आदर्श स्थान निर्धारित करने की अनुमति देना।
- प्रयोगशाला सामग्री की 'लेबलिंग' करने में छात्रों की सहायता करना ताकि सामग्री आसानी से पहचानी जा सके।
- कक्षा संबंधी क्रियाकलापों का मौखिक विवरण, जैसे कि जब हाथ उठाने का अनुरोध किया जाता है, तो यह बताना कि कितने हाथ उठाए गए थे।
- नोट्स प्राप्त करने के लिए वॉयस रिकॉर्डर, कम्प्यूटर, डिजिटल स्लेट, स्टॉइलस।
- व्याख्यान का ऑडियो/वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति देना।

श्रवण संबंधी दिव्यांगता के बारे में सहायता के कुछ उदाहरण (बधिर और सुनाई देने में कठिनाई)

- बैठने की ऐसी जगह जहां से अनुदेशक, दुभाषिया और बोर्ड स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
- कैप्शन वाले वीडियो सहित चाक्षुष सहायक सामग्री।
- वर्ड–प्रोसेसर तक पहुंच, निदेशों के लिए आईएसएल दुभाषिए का उपयोग।
- लिखित अनुदेश, गृह कार्य और निर्देशों के साथ अनुपूरित करना।
- अपरिचित शब्दावली को लिखित रूप में, बोर्ड पर अथवा 'हैंडआउट' में उपलब्ध कराना।
- व्याख्यान को ऑडियो/वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति देना।

वाक् और भाषायी दिव्यांगता के संबंध में सहायता के कुछ उदाहरण

- उनके भाषण के बीच में अंतराल को भरने में अवांछित सहायता के बिना बोलने के लिए समय दें।
- गृह कार्य में संशोधन जैसे 'वन–टू–वन' प्रस्तुतीकरण अथवा 'वॉयस सिंथेसाइज़र' के साथ कम्प्यूटर का उपयोग करना।
- एक मौखिक कक्षा रिपोर्ट के लिए वैकल्पिक कार्य।
- सहायक उपकरणों और वैकल्पिक संचार विधियों का उपयोग करना।

बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम संबंधी दिव्यांगता और आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार के संबंध में सहायता के कुछ उदाहरण

- पूरी अवधारणा की अपेक्षा छात्रों को किसी विषय/परियोजना के कुछ भागों पर ध्यान केंद्रित करने दें।
- श्रवण प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए वर्तनी–जांच और/अथवा ध्वनि 'आउटपुट' के साथ 'वर्ड प्रोसेसर'।
- समय–सारणी के दौरान अंतरण हेतु सहायता।
- कार्य में विकल्प के लिए अनुमति।
- कक्षाओं के दौरान विराम दें (यदि आवश्यक हो)।

मानसिक रोग के संबंध में सहायता के कुछ उदाहरण

- बैठने की प्राथमिकता पूर्ण व्यवस्था (कक्षा के दरवाजे के निकट अथवा कक्षा के पीछे बैठना आदि) करें।
- समय प्रबंधन और अध्ययन कौशल सहायता।
- पूर्व–निर्धारित अथवा बार–बार विराम लेना।
- व्यक्तिगत और निजी प्रतिक्रिया।

चिरकालिक तंत्रिका विकार संबंधी स्थितियों और रक्त विकारों के संबंध में सहायता के कुछ उदाहरण

- पानी पीने, शौचालय, चिकित्सा कक्ष/दवा लेने के लिए बार–बार विराम लेने दें।
- पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों के दौरान समय–समय पर विश्राम लेने दें।
- रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान/पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराएं।
- स्वच्छता और साफ–सफाई पर अत्यधिक ध्यान दें।

बहु–दिव्यांगता और बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों (उदाहरण जैसे बधिर–दृष्टिबाधित आदि) के संबंध में सहायता के कुछ उदाहरण

बधिर–नेत्रहीन व्यक्तियों को निम्नवत के माध्यम सहायता प्रदान की जाएगी

- ब्रेल लिपि में अध्ययन सामग्री।
- स्पर्शनीय सांकेतिक भाषा की व्याख्या; और
- 'ब्रेल नोट टेकर्स' जैसी सहायक तकनीकों को उपलब्ध कराना।

बधिर–नेत्रहीन सहित बहु–दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को निम्नलिखित के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी

- उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक प्रत्येक कार्य/क्रियाकलाप के लिए 'स्कॉफहोल्डिंग' अथवा चरण–दर–चरण दिशानिर्देश।
- कक्षा और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी क्रियाकलापों को करने में सहायता।
- कक्षा में सचलता और संचार संबंधी सहायता।
- एकाग्रता, ध्यान भंग, समय प्रबंधन, संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक कौशल आदि में चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता।

लैंगिक अपेक्षाओं और उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में सहायता के कुछ उदाहरण

- लैंगिक अनुकूल कक्षा परिवेश और संव्यवहार।
- छात्रों के बीच सकारात्मक आत्म–संकल्पना और आत्म–सम्मान का विकास करना।

2.6 विशिष्ट आवश्यकताएँः आकलन, परीक्षा और मूल्यांकन

सतत आकलन और परीक्षा से संबंधित सभी शैक्षणिक प्रक्रियाओं में विशिष्ट आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- परीक्षाओं की तैयारी
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अनुशिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करना
- परीक्षा और मूल्यांकन के लिए सतत सहायता
- परीक्षा में बैठना
- मूल्यांकन
- परिणामों और पुनर्मूल्यांकन, पुनर्योग आदि से संबंधित प्रक्रियाओं तक पहुंच।

शारीरिक निःशक्तता–ट और ठ की उप–श्रेणियों के लिए सहायता के कुछ उदाहरण

- वैकल्पिक परीक्षा प्रारूपों जैसे रीडर का उपयोग, लिखित परीक्षा आदि
- परीक्षा के उत्तर दर्ज करने के लिए स्क्राइब अथवा 'स्पीच–टू–टेक्स्ट' सॉफ्टवेयर का उपयोग
- परीक्षा के लिए समय विस्तार
- वैकल्पिक परीक्षा स्थान
- परीक्षा आदि के दौरान कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों/उपकरणों आदि का उपयोग

दृश्य निःशक्तता (दृष्टिबाधित और कम दृष्टि) के लिए सहायता के कुछ उदाहरण

- परीक्षा के लिए प्रतिपूरक समय
- ब्रेल/लार्ज–प्रिंट प्रश्नपत्र अथवा ऑडियो, रीडर का उपयोग आदि जैसे वैकल्पिक परीक्षा प्रारूप का प्रावधान
- कम्प्यूटर अथवा सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग

श्रव्य निःशक्तता (बधिर और कम श्रव्यता) तथा वाक् और भाषा निःशक्तता हेतु सहायता के कुछ उदाहरण

- लिखित अथवा किसी अन्य वैकल्पिक तरीके से मौखिक परीक्षण/मौखिक परीक्षा आदि को प्रतिस्थापित करना।
- परीक्षा की घंटी अथवा घोषणाओं के लिए वैकल्पिक गैर–मौखिक पद्धति उपलब्ध कराना।
- श्रवण सहायक यंत्र, अंतःकर्ण–गह्वर प्रत्यारोपण और संचार उपकरणों के उपयोग की अनुमति देना।
- परीक्षा के लिए प्रतिपूरक समय प्रदान करना।
- सम्प्रेषण संबंधी निःशक्तता वाले छात्रों को वैकल्पिक अथवा संवर्धित संचार का उपयोग कर स्वयं को अभिव्यक्त करने और ज्ञान अर्जन का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें असीमित रूप से भारतीय सांकेतिक भाषा, 'स्पीच ऑउटपुट' वाले टैबलेट, 'वॉयस–आउटपुट' संचार सहायक उपकरण (वीओसीएएस) अथवा 'कम्यूनीकेशन बुक' जैसे कम अथवा उच्च–तकनीकी संचार सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं।

- शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक संचार प्रणालियों तक पहुंच को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य पक्षकारों को विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के विकास में निवेश करना चाहिए। लिखित अथवा किसी अन्य वैकल्पिक साधन जैसे भारतीय सांकेतिक भाषा को मौखिक परीक्षण/मौखिक परीक्षा आदि के साथ प्रतिस्थापित करना।

बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट ज्ञान अर्जन निःशक्तता और 'ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम' विकार, बहु–निःशक्तताएं और अधिक सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सहायता के कुछ उदाहरण

- परीक्षा और मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक साधन; अथवा वैकल्पिक/अनुकूलित प्रश्न–पत्र।
- शांत, विचलन–मुक्त परीक्षा स्थल।
- परीक्षा के दौरान विराम।
- पृष्ठवार अथवा खंडवार परीक्षा लेना।
- परीक्षा के लिए 'स्कैफोल्डिंग' अथवा चरण–दर–चरण दिशानिर्देश।

मानसिक रोग के लिए सहायता के कुछ उदाहरण

- मांग के अनुसार परीक्षा।
- परीक्षा के लिए विस्तारित समय अथवा परीक्षा के दौरान विराम।
- शांत, विचलन–मुक्त परीक्षा स्थल।
- पृष्ठवार अथवा खंडवार परीक्षा लेना।

चिरकालिक तंत्रिकीय रोग की स्थितियों और रक्त विकारों हेतु सहायता के कुछ उदाहरण

- परीक्षा के लिए विस्तारित समय।
- 'स्क्राइब' का उपयोग।
- परीक्षा से जुड़े आशोधन, उदाहरण के लिए अपेक्षाकृत लघु परीक्षा अवधि, माँग के अनुसार परीक्षा, आदि।
- परीक्षा के दौरान प्रसाधन, दवा लेने, घूमने–फिरने आदि के लिए विराम की अनुमति देना।

2.7 विशिष्ट आवश्यकताएं: छात्र क्रियाकलाप

मुख्य छात्र क्रियाकलापों में विशिष्ट आवश्यकता सहायता का प्रावधान, जिसका संचालन और प्रबंधन छात्र परिषद द्वारा किया जाएगा और जिसमें छात्र सहायता और प्रगति; परिसर जीवन; छात्र भागीदारी और क्रियाकलाप; पूर्व छात्र सहायता और जुड़ाव; सहयोगी समूह विकास; कैम्पस भर्ती आदि शामिल हैं।

छात्र परिषद को छात्रों के विविध समूहों के साथ जुड़ना चाहिए और निम्नलिखित के लिए सुगम्यता संबंधी विचारों की दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए:

- शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देना।
- छात्रों, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सम्प्रेषण को बढ़ावा देना।
- छात्रों के बीच मित्रता और सम्मान को प्रोत्साहित करना।

- छात्रों के विचारों और चिंताओं का निराकरण करना।
- अध्ययन के प्रथम वर्ष के लिए प्रवेशक और/अथवा मार्गदर्शक बनकर सहायता करना।
- महाविद्यालय की नीति आदि के विकास में योगदान करना।

2.8 विशिष्ट आवश्यकताएं: कुछ अन्य विचारण

सुगम्यता में सुधार करने और इसे सुनिश्चित करने हेतु कुछ क्षमताओं हेतु संशोधन हमेशा आवश्यक होंगे; और इसमें तभी सुधार किया जा सकता है जब हम नए आवेदकों और दिव्यांगजनों के अनुभवों को खुले तौर पर सुनें।

हमें नवीनतम शोध और सर्वोत्तम पद्धतियों पर निःशक्तता के विद्वानों से सीखने के लिए स्वयं को अद्यतन बनाना चाहिए और मौजूदा पारंपरिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में गंभीर रूप से विचार करना चाहिए।

यद्यपि, सुगम्यता में सुधार करने के लिए पहले से ही बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं जिनका विकास राष्ट्रीय संस्थानों, एनसीईआरटी, गैर–सरकारी संगठनों, डीपीओ, राज्य और केंद्र स्तर के संगठनों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि द्वारा किया गया है; तथापि इन्हें मिलाकर एक व्यापक दस्तावेज विकसित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और सुविधाओं तक पूर्ण और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, समग्र दृष्टिकोण के तहत निम्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु विचार करना चाहिए:

- अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सहायता
- उपचारात्मक शिक्षा के लिए सहायता
- 'प्लस' पाठ्यचर्या के लिए सहायता
- चिकित्सा सहायता
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता
- संपूर्ण स्वास्थ्य सहायता
- महामारी और आपदा के दौरान सहायता
- ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच
- सुगम्य वेब/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, जो सहायक प्रौद्योगिकी आदि को समर्थकारी बनाते हैं।

सुगम्यता संबंधी विचारों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए ताकि दिव्यांगजन इसमें अपने अन्य सामान्य साथियों के समान भाग ले सकें और उनके समान ही उनके पास विकल्प उपलब्ध हों। उच्चतर शिक्षा के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भागीदारी करने के लिए किसी व्यक्ति को रोकने, बाधित करने, निवारण करने अथवा कठिनाइयाँ उत्पन्न करने वाली किसी भी बाधा को दूर करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त विचार एक ऐसे परिवेश को तैयार करने में सहायता करेंगे, जो वास्तुकला/वास्तविक; प्रणालीगत/संगठनात्मक, सूचना/सम्प्रेषण, अभिवृत्तिक और प्रौद्योगिकीय बाधाओं से मुक्त हों।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सभी प्रकार के दिव्यांगताओं हेतु ज्ञान अर्जन को सुकर बनाने और उपयुक्त प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक सम्प्रेषण प्रणालियों तक सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

.....

3

सुगम्य सूचना, संचार और ज्ञान अर्जन संसाधन

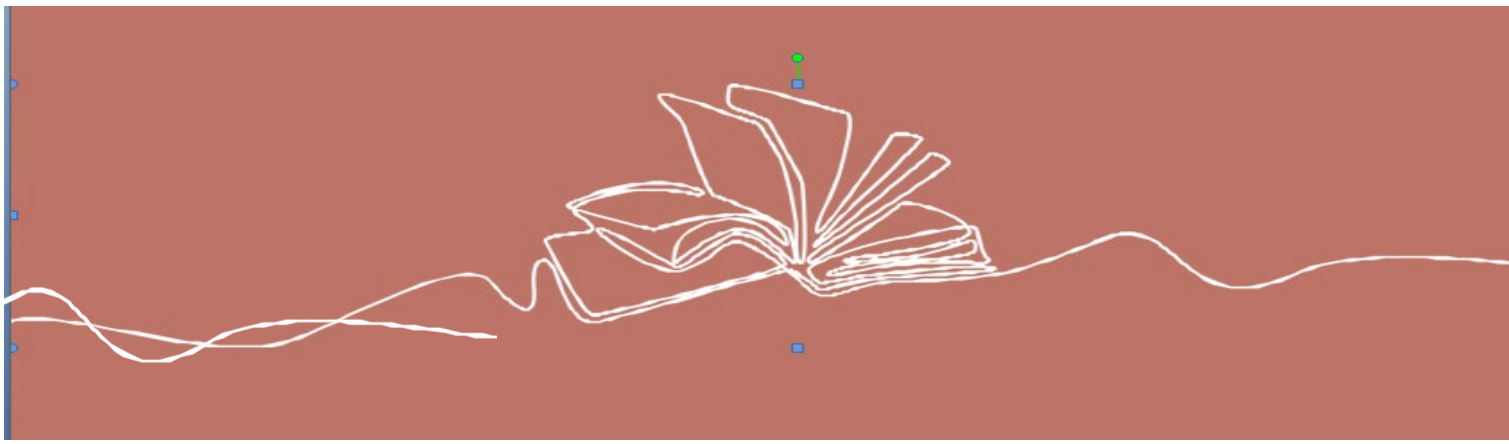

3

सुगम्य सूचना, संचार और ज्ञान अर्जन संसाधन

सूचना तक पहुंच, मुख्यरूप से उच्चतर शिक्षा में विविध उद्देश्यों के लिए सूचना सृजित और प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें परिसर के अंदर और उसके आसपास आना–जाना, प्रशासनिक प्रणालियों के साथ वार्ता करना, शिक्षा क्रियाकलापों में भाग लेना और इनमें शामिल होना तथा उच्चतर शिक्षा के परिवेश का भाग समझी जाने वाली कोई भी अन्य बात शामिल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां (आईसीटी) आज के शिक्षा के परिवेश में और जानकारी तक पहुंच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक दिशानिर्देश के रूप में, यह अनुशंसा की जाती है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय, विविध उपयोगकर्ताओं, जिनमें दृश्य और श्रवण बाधित व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम संभव आईसीटी और संचार के अन्य माध्यमों को एकीकृत करने का प्रयास करेंगे। यह अध्याय देशभर में उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कार्यान्वयन के लिए आईसीटी के माध्यम से सुगम्यता के प्रावधानों के विभिन्न आयामों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

3.1 आईसीटी सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए खरीद संबंधी दिशानिर्देश

निर्मित परिवेश की सुगम्यता के समान, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी अथवा छात्र के रूप में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुगम्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि संस्थान की बायोमेट्रिक्स और सॉफ्टवेयर–आधारित उपस्थिति प्रणाली वाक् अथवा 'हैप्टिक्स ऑउटपुट' के साथ प्रयोग करने योग्य नहीं है, तो नेत्रहीन व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 16 और 17 (शिक्षा के संबंध में अध्याय 3) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच के संबंध में धारा 42, सभी शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य बनाता है कि वे दिव्यांगजनों के लिए आईसीटी अवसंरचना सहित अपने परिवेश को सुगम्य बनाएं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने आईसीटी सुगम्यता पर मानकों, नामतः आईएस 17802 को अधिसूचित किया है। यह मानक परिभाषित करते हैं कि सुगम्य आईसीटी उत्पाद और सेवाओं के क्या अर्थ हैं? यह अनिवार्य है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध शिक्षा संस्थानों द्वारा क्रय किए गए अथवा निर्मित किए गए सभी आईसीटी उत्पाद अथवा सेवाएं इन मानकों का पालन करें।

उदाहरण के लिए, यदि कोई संस्थान भुगतान आधार पर सेवाओं को लेता है अथवा अपनी वेबसाइट तैयार करता है, तो उसे बीआईएस मानक के भीतर वेबसाइटों से संबंधित खंडों और मानकों पर खरा उतरने संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए (यह ˘३६ वेब विषयवस्तु सुगम्यता दिशानिर्देश स्तर ।। के अनुरूप हैं)। आईसीटी उत्पाद और सेवाओं में वेबसाइट, ऐप, शिक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ, कार्यालय उपस्कर, सॉफ्टवेयर आदि शामिल होंगे।

इसी प्रकार, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि जैसे आईसीटी उत्पाद और सेवाओं पर दरसूची आमंत्रित करने अथवा निविदाएं जारी करने के लिए तैयार विनिर्दिष्टताओं को आईएस 17802 के अंतर्गत यथा उपबंधित बीआईएस मानक ईटीएसआई ईएस 200 381–2 का पालन करने वाले खंड का

उल्लेख करने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, संस्थान किसी भी ऐसे आईसीटी उपकरण अथवा सेवाओं का क्रय नहीं करेगा, जो दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग करने योग्य नहीं हैं।

किसी भी आईसीटी, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के क्रय के समय सुगम्यता सुनिश्चित की जाएगी।

3.2. अनुदेशात्मक सामग्री और ज्ञान अर्जन के संसाधनों की सुगम्यता

अनुदेशात्मक सामग्री, लिखित पत्राचार, परिपत्र, अथवा कोई भी अन्य कार्यालयी दस्तावेज, दिव्यांगजनों सहित सभी के लिए सुपाठ्य और समझने योग्य प्रारूप में होना चाहिए। यह संस्थान की जिम्मेदारी है कि यदि सामग्री अपने मूल प्रारूप में सुगम्य नहीं है, तो उसे ऐसे प्रारूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जो दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग करने योग्य हो। भारतीय प्रतिलिप्यधिकार संशोधन अधिनियम (2012) की धारा 52(1)(इ) प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिलिप्यधिकार वाली सामग्री के रूपांतरण की अनुमति देती है।

3.2.1 डिजिटल विषयवस्तु के लिए अनुपालन किए जाने वाले मानक

सभी शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी ई–सामग्री (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन), सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों का पालन करते हुए, शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी ई–सामग्री सुगम्यता दिशानिर्देशों का पालन करें[1]।
उदाहरण के लिए, किसी दस्तावेज़ की स्कैन की गई छवि स्क्रीन रीडिंग सॉफ़्टवेयर के साथ पढ़ने योग्य नहीं है। इसी प्रकार, यदि किसी भारतीय भाषा का डिजिटल दस्तावेज़ ऐसे 'फॉन्ट' का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो यूनिकोड मानकों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे दस्तावेज़ सुगम्यता सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ भी सुगम्य नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक है कि डिजिटल दस्तावेज़ों में यूनिकोड मानकों के अनुरूप 'फॉन्ट' में संपादित किए जाने योग्य पाठ हो। संदर्भ में सुगम्यता के लिए, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न डिजिटल विषयवस्तु के प्रारूपों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देशों और उनके सत्यापन के साधनों की सूची उपलब्ध कराई गई है:

तालिका 3.1 डिजिटल सामग्री के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और उनके सत्यापन के साधन

सामग्री का स्वरूप	मानक	सत्यापनकर्ता
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट	कार्यालय सुगम्यता दिशानिर्देश	'वर्ड एक्ससेबिलिटी चैकर'
पीडीएफ	पीडीएफ–यूए	'पीडीएफ एक्ससेबिलिटी चैकर'
ईपीयूबी	ईपीयूबी सुगम्यता दिशानिर्देश	एसीई ('ईपीयूबी के लिए एक्ससेबिलिटी चैकर')
वेबसाइट, वीडियो और ऐप	डब्ल्यूसीएजी (वेब सामग्री सुगम्यता दिशानिर्देश) अथवा जीआईजीडब्ल्यू	एएक्सई, डब्ल्यूएवीई, आदि
ऑडियो	डीएआईएसवाई	डीएआईएसवाई सत्यापनकर्ता
उपर्युक्त सभी प्रकारों में भारतीय भाषाओं के लिए फॉन्ट	यूनिकोड	...

3.2.2 सुगम्य बनाई जाने वाली विषयवस्तु

सभी डिजिटल विषयवस्तु के गैर–सुगम्य संस्करण तैयार करने के पश्चात् उनके सुगम्य प्रारूपों में पुनर्निर्मित और पुनर्प्रकाशित करना संभव नहीं है जैसे भारतीय भाषाओं के लिए गैर–यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग करना। इस प्रकार, संस्थान द्वारा किसी डिजिटल सामग्री के निर्मित किए जाने के चरण में ही ई–सामग्री दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें 'हैंडआउट', पत्राचार, अनुदेशात्मक सामग्री, प्रश्न–पत्र, और कोई अन्य दस्तावेज और प्रकाशन शामिल हैं। इससे प्रयास और संसाधनों के दोहराव से बचा जा सकता है। साथ ही, ई–सामग्री सुगम्यता दिशानिर्देशों का पालन करने वाली डिजिटल विषयवस्तु न केवल दिव्यांगजनों के लिए, बल्कि सभी के लिए एक समृद्ध पठन अनुभव प्रदान करती है।

इस प्रयोजनार्थः–

- सामग्री तैयार करने वाले और प्रकाशन प्रभागों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
- सुगम्यता संबंधी पद्धतियों के संबंध में सामग्री निर्माताओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया जाएं।
- सामग्री तैयार करने और उत्पादन के लिए तैयार की गई सभी प्रक्रियाओं के भाग में सुगम्यता दिशानिर्देश सुनिश्चित किए जाएं।

3.2.3 अनुदेश सामग्री को सुगम्य प्रारूप में रूपांतरित करने के लिए सेवा

अनुदेशात्मक सामग्री जैसे विहित पुस्तक, अनुशंसित पठन सामग्री, संकाय द्वारा अपने छात्रों को सुझाई गई पुस्तकें अथवा उनके द्वारा प्रदान किए गए हैंडआउट आदि ऐसे प्रारूप में होने चाहिए, जिन्हें दिव्यांगजन स्वयं पढ़ सकें। यदि सामग्री का मूल प्रारूप सुगम्य नहीं है, तो शिक्षण सामग्री को सुगम्य प्रारूप में रूपांतरित करना संस्थान की जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, हार्ड कॉपी प्रिंट की किताबें अथवा फोटोकॉपी की गई सामग्री दृष्टिबाधित व्यक्ति, कम दृष्टि वाले व्यक्ति, डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति आदि के लिए पढ़ने योग्य नहीं होती हैं। यदि कक्षा में ऐसे छात्र हैं, तो संस्थानों को सभी आवश्यक अनुदेश सामग्री को सुगम्य प्रारूपों जैसे कि सुगम्य प्रारूप जैसे कि ईपीयूबी, ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियो, पढ़ने में सहज, सहज भाषा और सांकेतिक भाषा, आदि के रूप में तैयार करने हेतु सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रारूप का चयन न केवल निशक्तता, बल्कि सहायक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता अथवा ऐसे व्यक्तियों के कौशल स्तर पर, जिन्हें ऐसी सुगम्य सामग्रियों की आवश्यकता है अथवा दिव्यांग विद्यार्थियों की पसंद पर भी निर्भर करेगा।

नोटः यदि अनुदेशात्मक सामग्री को उपर्युक्त सुगम्य डिजिटल प्रारूप में रूपांतरित किया जाता है, तो उसे दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रारूपों जैसे ब्रेल, श्रव्य अथवा बड़े प्रिंट में वितरित किया जा सकता है। इस प्रकार, अधिकांश मामलों में, सुगम्य प्रारूप में अनुदेशात्मक सामग्री उपलब्ध कराने में हार्ड कॉपी में मौजूद सामग्री का सुगम्य डिजिटल प्रारूप में रूपांतरण शामिल है।

यह भी उचित होगा कि दिव्यांगजनों को स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाले कम्प्यूटर/स्मार्ट फोन, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, डेज़ी प्लेयर, आदि जैसी सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए ताकि संस्थान सुगम्य डिजिटल प्रारूप में सामग्री के रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह डिजिटल दस्तावेज़ तब दिव्यांगजन के उपकरण पर श्रव्य, ब्रेल अथवा बड़ा प्रिंट बन जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को ब्रेल में अपनी सामग्री की आवश्यकता है, तो यह बेहतर

होगा कि ऐसे छात्रों को एक रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के साथ–साथ उस पर पठनीय डिजिटल टेक्स्ट उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार, श्रवण–बाधित व्यक्तियों के लिए सामग्री को संकेत भाषा अथवा भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद हेतु उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

संस्थानों के लिए सुझाया गया कार्यप्रवाह :

1. संकाय और दिव्यांग छात्र, अपेक्षित अनुदेशात्मक सामग्री एक सुगम्य प्रारूप में निर्धारित करते हैं।

2. संस्थान के निर्दिष्ट व्यक्ति को मांग सौंपी जाती है।

3. विनिर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित के माध्यम से अनुदेशात्मक सामग्री की सुगम्य प्रारूप प्रति की व्यवस्था करेगा

क. सुगम्य प्रारूप पुस्तकों के संसाधनों की खोज करना और यदि पहले से सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध नहीं हो तोः

;पद्ध संस्थान के भीतर पुस्तक रूपांतरण सुविधा के माध्यम से सामग्री को सुगम्य प्रारूप में रूपांतरित करवाना अथवा

;पपद्ध भुगतान अथवा स्वैच्छिक योगदान के आधार पर ऐसी सेवाएं प्रदान करते हुए रूपांतरण कंपनियों अथवा गैर सरकारी संगठनों जैसे बाह्य संसाधनों के माध्यम से पुस्तक को रूपांतरित करवाना।

ख. सुगम्य पुस्तकालय (सुगम्य प्रारूप में पुस्तकों का राष्ट्रीय भंडार) पर सुगम्य पुस्तक अपलोड करना।

ग. दिव्यांगजनों को वांछित प्रारूप में पुस्तक प्रदान करना अथवा उन्हें सूचित करना कि उनकी पुस्तक सुगम्य पुस्तकालय पर उपलब्ध करवा दी गई है जहां से वे पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।

3.2.4. सुगम्य पुस्तकालय

सुगम्य पुस्तकालय, भारत सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया सुगम्य प्रारूप में पुस्तकों का एक साझा ऑनलाइन पुस्तकालय है। ूेनहंउलंचनेजांसंलंण्पद के माध्यम से इस तक ऑनलाइन पहुंच बनाई जा सकती है। सुगम्य प्रारूप की पुस्तकों के इस ऑनलाइन भंडार का मुख्य उद्देश्य सुगम्य प्रारूप में पुस्तकों के रूपांतरण के दोहराव से बचना है। शिक्षण सामग्री को सुगम्य प्रारूप में रूपांतरित करने के लिए बहुत अधिक वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक संस्थान में आवश्यक अनुदेशात्मक सामग्री पूरे देश में कई संस्थानों के लिए उपयोगी होगी। जब सुगम्य प्रारूप में किसी पुस्तक की आवश्यकता होती है, तो संस्थानों को सुगम्य पुस्तकालय पर पुस्तक की खोज करने की आवश्यकता होती है। यदि पुस्तक वहां उपलब्ध नहीं है, तो केवल सुगम्य प्रारूप में पुस्तक का रूपांतरण किया जाना चाहिए और फिर इसे राष्ट्रीय संग्रह में जोड़ने के लिए सुगम्य पुस्तकालय पर अपलोड किया जाना चाहिए।

सुगम्य पुस्तकालय को 'प्रिंट संबंधी दिव्यांगता' से ग्रसित व्यक्तियों के लिए प्रतिलिप्यधिकार अपवाद के तहत तैयार किए गए सुगम्य प्रारूप सामग्री की एक सुरक्षित वितरण प्रणाली के रूप में सृजित किया गया है। यह एक्सेसेबल बुक कंसोर्टियम (एबीसी), ग्लोबल बुक सर्विस का भाग है जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) जोकि मारकेश संधि को लागू करने वाली राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, द्वारा सृजित किया गया है। यह सेवा प्रतिलिप्यधिकार अपवाद के तहत पहुंच योग्य प्रारूप में पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय विनियम को सक्षम बनाती है। सुगम्य पुस्तकालय सीधे ही सहायक प्रौद्योगिकीय उपकरण जैसे कम्प्यूटर, स्मार्टफोन ओर डेजी प्लेयर्स पर पुस्तकें उपलब्ध कराने में सक्षम है।

इस प्रकार, संस्थानों को निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- सुगम्य पुस्तकालय की सदस्यता लें।
- उस पर सुगम्य प्रारूप में रूपांतरित अनुदेश सामग्री और पुस्तकों को अपलोड करें।
- 'प्रिंट' संबंधी दिव्यांगताओं से ग्रसित सभी छात्रों और संकाय सदस्यों को इसकी सदस्यता उपलब्ध कराएं।

3.3 सुगम्य संम्प्रेषण

किसी भी शिक्षा संबंधी परिवेश के लिए और विशेषरूप से श्रवण–बाधित छात्रों के लिए संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी शेष श्रवण क्षमता का लाभ उठाने के लिए, लूप इंडक्शन और/अथवा एफएम प्रणाली जैसे प्रवर्धन प्रणाली को संस्थापित करने की सिफारिश की जाती है क्योंकि वे चेतावनी सहित ध्वनिक सूचना तक पहुंच बनाने में लाभदायक होते हैं।

समावेशन को और बढ़ाने के लिए कतिपय विषयों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में वीडियो तैयार किए जाने चाहिए जिसमें एक बधिर शिक्षक, सांकेतिक भाषा में कुछ अवधारणाओं को विस्तार से समझता हो। यह उन लोगों के लिए एक अतिरिक्त 'लिंक' होना चाहिए, जिन्हें इसकी आवश्यकता हो।

उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय, श्रवण संवर्धन प्रणालियों, क्लोज कैप्शनिंग, सांकेतिक भाषा अर्थ–निरूपण और रिले' सेवाओं के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकीय सहायता के साथ–साथ अपनी शैक्षणिक प्रणालियों के भाग के रूप में समग्र संचार कार्यनीतियों के विकास को बढ़ावा देंगे।

3.4 विविध आवश्यकताओं के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां

सहायक प्रौद्योगिकी, विशेषरूप से शिक्षा में, निशक्तता के कारण उत्पन्न हुई सीमाओं पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से युक्त एक कम्प्यूटर दृष्टिबाधित छात्रों को अन्य लोगों की भाँति, उसी प्रारूप अथवा मुख्यधारा की लिपि में स्वतंत्र रूप से पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अपनी सभी पढ़ने और लिखने की आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो जाते हैं।

एक उचित समायोजन के भाग के रूप में संस्थान को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक दिव्यांगता से ग्रसित प्रत्येक छात्र अथवा संकाय अथवा कर्मचारी को उनके द्वारा अपेक्षित सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए। उपकरण के साथ उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। जहां प्रासंगिक हो, इसके साथ विभिन्न हितधारकों जैसे शिक्षकों, परिवार के सदस्यों आदि के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले क्रियाकलापों और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उन्हें इन समाधानों की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जा सके और परिवर्तन टिकाऊ और दीर्घकालिक हों। सहायक प्रौद्योगिकी समाधानों के क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना भी आवश्यक है ताकि दिव्यांगजन इन समाधानों का पूरा लाभ उठा सकें और अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीविका की संभावनाओं को आगे बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग करने हेतु कौशल प्राप्त कर सकें।

इस प्रयोजनार्थ, उच्चतर शिक्षा संस्थान निम्नवत कार्य करेंगे:

क) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीविका की संभावनाओं के लिए संगत नवीनतम सहायक प्रौद्योगिकी समाधानों पर प्रति वर्ष कम से कम एक जागरूकता और अभिविन्यास संगोष्ठी अथवा कार्यशाला आयोजित करना।

ख) सहायक प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र की स्थापना करना अथवा उनके साथ संबद्ध होना, जहां दिव्यांगजन सहायक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की सहायता से उपयुक्त सहायक प्रौद्योगिकी समाधान का उपयोग कर, उपर्युक्त सहायक प्रौद्योगिकी का चयन कर सकें।

ग) संबद्ध दिव्यांगजनों को रियायती दरों पर अथवा निःशुल्क उपयुक्त सहायक प्रौद्योगिकी उपकरण प्रदान करना।

घ) सहायक प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग करने के लिए दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ङ) सहायक प्रौद्योगिकी समाधानों के बारे में दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षकों और परिवार के सदस्यों के लिए जागरूकता और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि इन समाधानों के माध्यम से विकसित की गई सक्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके और उन्हें विभिन्न शिक्षण और ज्ञान अर्जन पद्धतियों का अंग बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, दस्तावेज़ों के सुगम्य प्रारूप किस प्रकार तैयार किए जाएं, इस संबंध में शिक्षकों, निशक्त छात्रों और उनके समकक्षों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना।

च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दिव्यांगजनों को राजसहायता योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाली सहायक प्रौद्योगिकी समाधानों की एक सुझावात्मक सूची का रखरखाव करेगा। इस उद्देश्य के लिए विशेष योजना तैयार की जा सकती है।

छ) दिव्यांगजनों के साथ कार्य करना ताकि उनके दौरों के समय उन्हें सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने की जा सके, स्थानीय समुदायों और पैनलबद्ध विक्रेताओं से परामर्श करना ताकि वे विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके उपयोग हेतु सहायक प्रौद्योगिकी का समेकन कर सकें।

[1] https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/CWSN_E_Content_guidelines.pdf

4

समावेशी आवागमन अवसंरचना

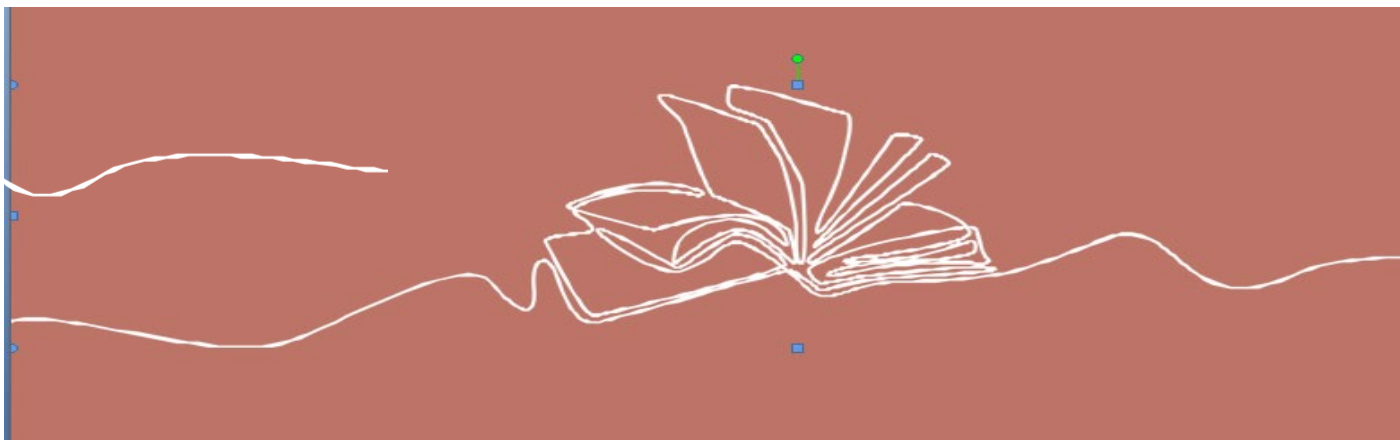

4

समावेशी आवागमन अवसंरचना

गतिशीलता, शिक्षा सहित जीवन के सभी स्वरूपों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के भीतर, उनसे बाहर अथवा बाहर से उन तक आवागमन को ध्यान में रखते हुए समावेशी गतिशीलता संबंधी अवसंरचनाओं के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों तक पहुंच को बढ़ाना अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। इसमें 'पैरा ट्रांजिट सिस्टम' के साथ सड़कों, पटरियों, फुटपाथ आदि आवागमन के लिए भौतिक बुनियादी अवसंरचना शामिल हैं, जो एक परिसर अपने भीतर गतिशीलता के लिए प्रदान करता है।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विविध छात्रों और कर्मचारियों के लिए पहुंच और सतत् गतिशीलता बुनियादी अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए परिसर में एक गतिशीलता संपरीक्षा सर्वेक्षण कराना चाहिए और इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक 'गतिशीलता कार्य योजना' तैयार करना चाहिए।

4.1 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों में आवागमन (लोक पारगमन प्रणाली)

उच्चतर शिक्षा संस्थानों तक तथा वहां से बाहर जाने के लिए विश्वसनीय और सुलभ गतिशीलता विकल्पों के नहीं होने के कारण न केवल दिव्यांग छात्रों के नामांकन और उन्हें शिक्षा में बनाए रखने में एक बड़ी बाधा हो सकती है बल्कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी बाधा हो सकती है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एचईआई परिसर तक और वहां से वापस आने के लिए स्थायी और सुगम्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक अथवा राज्य परिवहन एजेंसियों के साथ संपर्क करने की आवश्यकता है। इन सार्वजनिक परिवहन के साधनों को केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए यात्रा पास/छात्र रियायती पास को मान्यता देनी चाहिए। जब तक सुगम्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं, तब तक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दिव्यांगजनों को आने–जाने के लिए उपयुक्त सुगम्य परिवहन उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए सुलभ वाहन या तो 'लो–फ्लोर' वाले होने चाहिए अथवा 'लिफ्ट' की सुविधाओं के साथ होने चाहिए और अन्य सहायता प्रणालियों के अलावा बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए 'व्हीलचेयर रिस्ट्रेंड' प्रणाली होनी चाहिए।

परिसर गतिशीलता प्रणाली विकसित करने के लिए उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने के अलावा, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालय, परिवहन के विभिन्न साधनों के साथ सुगम्य कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएं।

4.2 परिसर में समावेशी आवागमन

विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा संस्थान, सभी के लिए समावेशी गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु अपने परिसरों में यात्रा के आरंभ से अंत तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। उच्चतर शिक्षा संस्थान, व्हीलचेयर–सुलभ बैटरी–चालित शटल सेवा वाहन अथवा अन्य उपयुक्त विकल्प उपलब्ध कराएगा ताकि परिसर के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए विशिष्ट गंतव्यों तक पहुंच बनाई जा सके। इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर में निकटतम आवागमन केंद्रों से सुगम्य आवागमन सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल हो सकती है। परिसर के भीतर समावेशी गतिशीलता जैसे छात्रावासों से लेकर विभागों, कक्षाओं, पुस्तकालयों आदि तक के लिए सुनने, दृष्टि, संज्ञानात्मक आदि से संबंधित अदृश्य दिव्यांगता सहित विभिन्न दिव्यांगताओं हेतु आवश्यकताओं को पूरा किया जाना अपेक्षित होगा। दिव्यांगजनों के

लिए व्यक्तिगत रूप से आवागमन को मौजूदा सरकारी योजनाओं के उपयोग हेतु अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्तर पर नई योजनाओं को शुरू करके, जैसा भी उचित समझा जाए, आवश्यकता–आधारित व्यक्तिगत गतिशीलता उपकरणों जैसे व्हीलचेयर, व्हीलचेयर के लिए बैटरी–चालित 'एडाप्टेशन', 'एडाप्टिड स्कूटर', 'स्मार्ट केन' और अन्य सहायक प्रौद्योगिकियों की पेशकश करके बढ़ाया जाएगा। आवश्यकताओं का आकलन करते समय, दिव्यांगजनों से उनकी प्राथमिकता और आवागमन के उपकरण की उपयुक्तता के लिए परामर्श किया जाएगा।

4.3 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों में मार्गगत अवसंरचना

4.3.1 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर में सुलभ पैदल यात्री मार्गों के साथ सड़क की बुनियादी अवसंरचना को विकसित करना चाहिए जो दोनों ओर चलने के लिए कम से कम 1800 मि.मी. चौड़ी हो। यह मार्ग अवरोधक मुक्त हो और टूटा–फूटा न हो, एक स्तर पर हो और फिसलन रहित सतह होनी चाहिए और कम रोशनी की स्थिति में उपयोग के लिए अच्छी प्रकाश व्यवस्था हो। सम पार, उपयुक्त जंक्शनों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के उपाय, सुगम्य 'बोलार्ड', चलने के उभार वाला स्पर्शनीय मार्ग, सड़क अवसंरचना में बैठने हेतु उपयुक्त ऊंचाई और आवागमन हेतु बुनियादी अवसंरचना के तत्वों की एक पूरी श्रृंखला जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक, 2021 सहित विभिन्न प्रासंगिक संहिताओं का अनुपालन करना अपेक्षित है।

4.3.2 परिसर में प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर सड़क के साथ–साथ बैठने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जो पैदल यात्री की आवाजाही को अवरुद्ध न करे। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु प्राथमिकता के आधार पर चलने की क्षमता को बढ़ाने और 'वॉकवे व्हीलचेयर' के अनुकूल बनाने की पुरज़ोर सिफारिश की गई है। इससे न केवल अधिक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अग्रिम उपाय भी किए जा सकेंगे। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि सड़क और आवागमन संबंधी अवसंरचनाओं को बेहतर तरीके से डिजाइन किया जाए, उनकी नियमित रूप से निगरानी और रखरखाव किया जाए, सुगम्यता के लिए लेखापरीक्षा की जाए ताकि सभी के लिए समावेशी आवाजाही सुनिश्चित हो सके। जहां व्यवहार्य हो, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर में आवाजाही के विकल्प जैसे कि साइकिल चलाना और 'बाइक–शेयरिंग सिस्टम' जैसे संबंधित बुनियादी ढांचे को भी विकसित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कारों और अनुकूलित वाहनों के लिए सुलभ पार्किंग स्थानों सहित पार्किंग स्थान को दिव्यांगजन और कर्मचारियों के अनुरूप सभी महत्वपूर्ण इमारतों के पास निर्धारित किया जाएगा।

4.3.3 परिसर में उतरने और चढ़ने वाले सुगम स्थान उपलब्ध कराए जाने चाहिए जहां उपयोगकर्ता सुविधाओं, इकाइयों अथवा विभागों के पास सार्वजनिक/उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर अलग–अलग परिवहन के साधनों में सुरक्षित रूप से चढ़ और उतर सकें। उपर्युक्त के अलावा, दिव्यांगजनों के 'एडॉप्टिड' स्कूटरों अथवा अन्य आवाजाही के उपकरणों के लिए सुगम्य पार्किंग की व्यवस्था और आरक्षित कार और दोपहिया पार्किंग के निर्माण को सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अपनाया जाए।

4.3.4 सुगम्य सड़क अवसंरचना के विभिन्न तत्वों जैसे पटरी, पटरी रैंप, 'स्ट्रीट फर्नीचर', स्पर्श मार्ग आदि हेतु अधिक विवरण, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक, 2021 से संदर्भित किए जा सकते हैं।

4.4 परिसर में दिशाज्ञान को बढ़ाने के लिए 'जीपीएस मैपिंग' अथवा 'ब्लूटूथ बीकन' आधारित प्रौद्योगिकियां

जबकि परिवेश का एक परकेंद्रिक बोध, स्पर्श और दृश्य मानचित्रों के निर्माण और परिवेश में चलकर प्राप्त होता है, परकेंद्रिक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने और सुदृढ़ करने के लिए सुगम्य जीपीएस मैपिंग एक बेहतरीन तरीका है और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों, विशेषरूप से दृष्टिबाधित लोगों की सुलभ गतिशीलता और दिशाज्ञान प्राप्त करने हेतु सहायक होता है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को जीपीएस मैपिंग अथवा 'ब्लूटूथ बीकन' आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके परिसर की सुगम्यता को बढ़ाना चाहिए ताकि दिव्यांग व्यक्ति प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों, भवनों, सेवाओं आदि का पता लगा सकें।

4.5 संकेतक और मार्ग ढूंढ़ना

उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालयों के परिसरों में उपयुक्त मार्ग ढूढ़ने की प्रणाली, डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण और अन्य उपायों के माध्यम से सुगम्य सूचना प्रणालियों हेतु बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। परिसर के भीतर बेहतर तरीके से दिशाज्ञान के लिए, सुगम्यता संबंधी विनियमों के अनुपालन में पहुंच योग्य संकेत, सूचनात्मक और दिशात्मक–सुलभ संकेतों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालयों के परिसर और इमारतों के भीतर मार्ग खोजने को सुगम बनाने के लिए समान रूप से दृश्य और स्पर्श मानचित्र उपलब्ध कराए जाएंगे। एक समग्र तरीके से बेहतर 'ऑउटडोर नेविगेशन' के लिए दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने हेतु फुटपाथ के साथ–साथ ऊपर उठी पटरी अथवा 'टेक्टाइल पेवर' लगाए जाएंगे। श्रृव्य सहायता और उच्च दृश्य व्यतिरेकी वाले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संकेत प्रणाली भी विविध उपयोगकर्ताओं हेतु सुगम्यता में वृद्धि करने के लिए तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं। पाठ के फॉन्ट के आकार और रोशनी के स्तर, अनुमोदित पहुंच मानकों के अनुरूप होने चाहिए ('हार्मोनाइज्ड गाईडलाइन एंड स्टैंडर्ड फॉर यूनीवर्सल एक्ससेबिलिटी इन इंडिया, 2021' का अध्याय 5 देखें)।

आपातकालीन प्रणालियों और अलार्म के लिए संकेतकों की उच्च प्राथमिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो विशेषरूप से निकटतम निकास और पहुंच योग्य सार्वजनिक एकत्रित होने के क्षेत्रों तक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी संकेतक और सूचना प्रणालियों को पर्याप्त रूप से प्रकाश से प्रदीप्त किया जाए और सभी के लिए आवागमन और मार्ग ढूंढ़ने की सुविधा प्रदान करने का रखरखाव किया जाए।

4.6 आवागमन अवसंरचना और उपकरण की मरम्मत/अनुरक्षण संबंधी प्रावधान

उच्चतर शिक्षा संस्थान को वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से निशक्त व्यक्तियों के लिए सृजित आवागमन संबंधी अवसंरचना और उन्हें प्रदान किए गए आवागमन उपकरणों के निरंतर रखरखाव और अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। छोटी–मोटी मरम्मत करने के लिए मरम्मत काउंटरों को स्थापित किया जा सकता है जिनके लिए प्रतिस्थापना की आवश्यकता नहीं होती है और उस स्थिति में, दिव्यांगजनों को परिसर के क्रियाकलापों में भाग लेना जारी रखने के लिए एक वैकल्पिक उपकरण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक शैक्षिक परिसर में यह सुनिश्चित करने के लिए कि रखरखाव से जुड़ी समस्याएं न्यूनतम स्तर पर रहें, रखरखाव से जुड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए उपयुक्त गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

दिव्यांगों को विभिन्न सहायक उपकरणों और उपस्करों का उपयोग करने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

.....

5

निर्मित अवसंरचना में सार्वभौमिक सुगम्यता

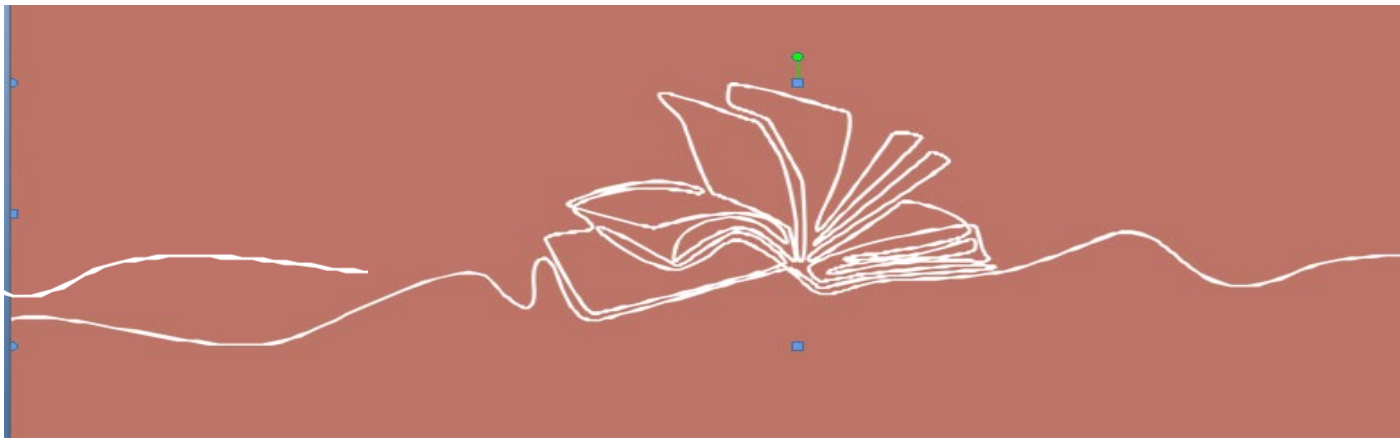

5

निर्मित अवसंरचना में सार्वभौमिक सुगम्यता

उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों को न केवल भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि सभी परिसरों में लागू सार्वभौमिक सुगम्यता के विचार को समयबद्ध तरीके से समग्रता से लागू किया जाए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्येक परिसर अथवा भविष्य में बनने वाले किसी विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में सर्वोत्तम समावेशी अवसंरचना के सृजन की भावना के साथ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सुगम्यता मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी मौजूदा परिसरों के लिए, उचित सुगम्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए उचित सुगम्यता लेखापरीक्षा के माध्यम से सुगम्यता के लिए उनका मूल्यांकन करने की सिफारिश की जाती है जिससे एचईआई की निर्मित अवसंरचना के विभिन्न पहलुओं में सुगम्यता को लागू करने की कार्य योजना बनाई जा सके। अंततः, एक सुगम्य परिसर के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए ''दिव्यांगों के लिए सुगम्यता'' का एक उचित प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए।

सुगम्यता संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्राथमिकतापूर्ण कार्य योजना को उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। निर्मित अवसंरचना की सुगम्यता के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता (समय–समय पर यथा अद्यतन किया गया) के साथ–साथ आरपीडब्ल्यूडी नियमों के नियम 15 में यथा उपबंधित मानकों का पालन किया जाएगा। **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त करने** के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए यथा उपर्युक्त निर्मित परिवेश पहुंच मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुगम्यता एक गतिशील अवधारणा है और यह स्थिर नहीं है। यदि एक सुगम्य निर्मित अवसंरचना का बेहतर तरीके से रखरखाव अथवा देखभाल नहीं की जाए, तो दूसरे शब्दों में कहें तो वह भी दुर्गम हो सकती है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के निर्मित परिवेश के रखरखाव और देखभाल को न केवल स्थापना के चरण में बल्कि हर समय सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से सुदृढ़ किया जाए। यह भाग उनके निर्मित परिवेश के लिए परिसर सुगम्यता के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और विभिन्न तत्वों को सुलभ बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है।

5.1 परिसरों की अवस्थिति आयोजना

5.1.1 उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके परिसरों की अवस्थिति आयोजना में शैक्षिक परिवेश की समग्र आयोजना शामिल होती है जिसे शुरुआत से ही सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को शामिल करने वाले मानव केंद्रित दृष्टिकोण की संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। सार्वभौमिक सुगम्यता, परिसर के प्रवेश द्वार से शुरू होकर इसके हर पहलू में समग्रता से अनुभव किए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह गतिशीलता हो, चाहे वह अधिगम हो, चाहे वह मनोरंजन हो अथवा क्रियाकलापों का कोई अन्य रूप हो। स्थल आयोजना, परिसर में निर्मित और अनिर्मित परिवेश में सुगम्यता के समग्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक चरणों में से एक है जिसमें बंद और खुले स्थानों की आयोजना शामिल है।

5.1.2 अवस्थिति आयोजना के माध्यम से सुगम्यता के लिए संघटकों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिजाइन और योजनाबद्ध करने की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ में पटरी, पटरी के रैंप, 'सॉइड

वॉक', खुले स्थान, 'वॉक वेज, पार्किंग, समपार, संकेतक और परिसर के नक्शे, सड़क क्रॉसिंग, स्ट्रीट फर्नीचर, स्पर्श मार्ग, सार्वजनिक शौचालय, पीने का पानी आदि शामिल हैं। इन संघटकों के विभिन्न सुगम्यता पहलुओं को समझने हेतु भारत के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु सुसंगत दिशानिर्देश, 2021 का पालन किया जा सकता है।

5.1.3 तथापि, शिक्षा के परिवेश के लिए विशिष्ट रूप से, बाहरी परिवेश में सुगम्य ज्ञान अर्जन और 'इंटरेक्टिव' स्थलों के लिए संवेदनशील रूप से योजना और डिजाइन तैयार करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कैम्पस स्थल में पैदल यात्रियों और व्हीलचेयर के लिए उचित पहुंच मार्ग के साथ संबंध हेतु सभी मौसम में उपयोग किए जाने वाले स्थलों की व्यवस्था को परिसर स्थल में शामिल करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। उपयुक्त सामग्रियों के उपयोग के माध्यम से स्पर्श मार्ग इन पहुंच मार्गों पर निरंतर बने रहेंगे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की स्वतंत्र रूप से आवाजाही में सहायता करने के लिए उनमें उचित आपसी संपर्क होगा।

5.1.4 स्थल आयोजना के लिए विविध अथवा सीमित कार्यात्मक क्षमताओं अथवा असमर्थताओं वाले व्यक्तियों सहित सभी के लिए खेल अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। 'ऑउटडोर और इनडोर' खेल परिसरों तक पहुंच एक छात्र के समग्र जीवन में भागीदारी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी।

5.1.5 विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए भारत के विविध भौगोलिक और जलवायु को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक कठोर जलवायु की परिस्थितियों जैसे भारी वर्षा, बर्फ वाले क्षेत्रों अथवा अत्यधिक उच्च तापमान आदि में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है। निर्मित भवनों के डिजाइन, उनके तत्वों और सामग्री विशिष्टताओं को सदैव सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त स्थितियों में भी उचित रूप से कार्य की आवश्यकता होती है।

उच्चतर शिक्षा संस्थान के परिसरों की आयोजना और डिजाइन प्रक्रिया को आरंभ से ही एक एकीकृत इकाई के रूप में तैयार और डिजाइन किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक चलने में सक्षम तथा असक्षम उपयोगकर्ताओं के लिए वाहन से उतरने के स्थल, रास्ते, पार्किंग, रैंप, स्पर्श भूमि सतह संकेतकों, शौचालयों और प्रसाधनों सुविधा/घटक, लिफ्टों, सीढ़ियों, संकेतकों, आदि जैसे सुगम्यता और सार्वभौमिक डिज़ाइन योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। सुगम्यता एक बार तैयार करके छोड़ा नहीं जा सकता है और इसे सुविधा अथवा उत्पाद के टिकाऊपन के लिए सार्वभौमिक रूप से सुगम्य बनाया जाना चाहिए।

5.1.6 'मिनट एक्सेस' विशेषताएं, जैसे स्थिर, मजबूत, एक समान फर्श, फिसलन–रोधी, जिसे सभी प्रकार के फर्श, रास्ते, रैंप और सीढ़ियों पर प्राथमिक रूप से मैट फिनिश सतह वाला होना चाहिए, अपेक्षित भार सहन क्षमता के लिए दोनों तरफ गोलाई में रेलिंग संस्थापित की जानी चाहिए; दरवाजे– उनके लीवर हैंडल, चौड़ाई, खोलने के लिए लगाया जाने वाला बल, विजन पैनल और 'किक प्लेट्स', वॉश–बेसिन की ऊंचाई, नियंत्रण, कमोड सीटें, 'बेवेलिंग थ्रेशहोल्ड' और स्तर में परिवर्तन का समाधान, दर्पण, टीजीएसआई प्लेसमेंट, उपयोगकर्ता अनुकूल, बेहतर रंग के व्यतिरेक में उभरे हुए स्पर्शनीय और ब्रेल के साथ दीवार संकेतक आदि को ऊपर अनुमोदित राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में अपेक्षित डिजाइन मानकों का खरा उतरना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

5.1.7 पैदल यात्रा मार्ग समतल, मजबूत होना चाहिए तथा पैदल चलने और पहिए वाले किसी उपकरण के चलने के लिए उपयुक्त समतल सतह होनी चाहिए। असमतल सतहों जैसे कि कोबल पत्थर, दरदरा उभरा हुआ पूरी तरह से कंक्रीट, ईंटें, आदि सामान्यतः उतार–चढाव भरी यात्रा का कारण बनते हैं और इससे बचा जाना चाहिए। दोतरफा यातायात के लिए पैदल मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 1800 मि.मी. होनी चाहिए। मार्ग में दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं हेतु दिशाज्ञान को बढ़ाने के लिए एक 'टेक्टाइल ओरियेन्टेशन' होना चाहिए और चौराहों पर पटरी रैंप होना चाहिए। मार्ग द्वारा परिसर में सभी उपभवन और इकाईयां जुड़नी चाहिए।

5.1.8 पहुंच मार्गों/तल की सतहों में कोई बाहर निकली वस्तुएं, रास्ते में रखा सामान, अथवा स्तर में अप्रत्याशित भिन्नता नहीं होनी चाहिए। सुगम्य मार्ग पर 2100 मि.मी. की खड़ी निकासी सुनिश्चित की

जानी चाहिए और मार्ग अथवा पहुंच मार्ग में ऐसी कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए जोकि बाहर की ओर निकली हुई हों। जहां अपरिहार्य हो, बाहर की ओर निकली हुई वस्तुओं द्वारा सुगम्य मार्ग अथवा मुड़ने आदि के लिए स्थान की स्पष्ट चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए। किसी पहुंच मार्ग के भीतर खुले कॉलम और खंभे 200 मि.मी. की एक पट्टी के भीतर होने चाहिए, चलने हेतु मार्ग पर फर्श की सतह से 1400 मि.मी. और 1600 मि.मी. की ऊंचाई के बीच हो। मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए और प्रकाश उपकरण, जमीन के स्तर से 04 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा नहीं होने चाहिए। स्पर्श फुटपाथ के रंग के व्यतिरेक को सुनिश्चित करने के लिए औसतन 35–40 लक्स के सफेद प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को रात में दिखाई दे। यह सुनिश्चित करें कि पौधे लगाने के स्थान पर बिजली के खंभे पैदल मार्ग की चौड़ाई को कम न करें।

5.2 शैक्षिक भवन और ज्ञान अर्जन स्थान

(कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अन्य ज्ञान अर्जन परिवेश)

5.2.1 शैक्षिक और ज्ञान अर्जन स्थान

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत रूप में अन्य ज्ञान अर्जन के स्थानों में विस्तारित शैक्षिक प्रयोजन की बुनियादी अवसंरचना को कक्षाओं, व्याख्यान थिएटर, संगोष्ठी कक्ष, अनुशिक्षण कक्ष, सभी प्रकार की प्रयोगशालाओं जैसे स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी 'इंटरैक्टिव' स्थानों (इनडोर और ऑउटडोर दोनों) सहित सार्वभौमिक रूप से सुगम्य बनाया जाए।

शैक्षिक स्थल, रैंप और लिफ्टों के माध्यम से निर्मित परिवेश में विभिन्न स्तरों तक सुलभ पहुंच प्रदान करेंगे और आवाजाही के उपकरणों अथवा सहायक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों जैसे वॉकर, व्हीलचेयर, आदि का उपयोग करने वाले व्यक्तियों हेतु उन्हें चलाने अथवा मुड़ने के लिए पर्याप्त परिसंचरण स्थान प्रदान करेंगे। पहुंच योग्य ऊंचाइयों और बैठने, काम करने और 'लर्निंग टेबल' तक विभिन्न नियंत्रण प्रदान किए जाने चाहिए, जहां घुटने हेतु 680 से 700 मि.मी. तक स्थान की व्यवस्था करें और पहुंच और उपयोग के लिए 900 मि.मी. ग 1350 मि.मी. का स्थान उपलब्ध कराएं।

5.2.2 पुस्तकालय सुविधाएं

शिक्षण बोर्ड अधिमानतः एक समायोज्य ऊंचाई की विशेषता अथवा कम ऊंचाई वाले होंगे ताकि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले शिक्षण संकाय अथवा छोटे कद वाले व्यक्ति भी आसानी से इसका उपयोग कर सकें। जहां कहीं भी संभव हो, संकाय के लिए ऊंचे प्लेटफार्मों से बचा जाना चाहिए और जहां अपरिहार्य हो वहां सुरक्षित व सुविधाजनक रैंप द्वारा पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। कक्षा में बैठने के लिए स्थानों को विभिन्न ज्ञान अर्जन की शैलियों और क्षमताओं वाले छात्रों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कक्षा में मौजूद फर्नीचर के गलियारों में व्हीलचेयर को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान हो। स्थान संबंधी आयोजना के सभी सामान्य प्रयोजनों के लिए 1500 से 1800 मि.मी. की सीमा को व्हीलचेयर मोड़ने का व्यास माना जाता है।

पुस्तकालय और ज्ञान संसाधन केंद्र सभी के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करेंगे। इसमें, पुस्तकालय सुविधाओं और उपकरणों के अन्य पहलुओं के साथ एक सुलभ प्रवेश सुविधा शामिल है और उपकरण सुगम्य होने चाहिए तथा पुस्तकों के सभी खुले 'स्टैक' को निशक्त व्यक्तियों के लिए सुगम्य ऊंचाइयों पर रखा जाना चाहिए अथवा वे उन्हें नीचे खींच सकें। पुस्तकालय में गलियारे में इतना स्थान होना चाहिए कि व्हीलचेयर को मोड़ना सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे बधिर और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समावेशी अवसंरचना और स्थानिक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन्हें पढ़ते समय सहायता की आवश्यकता होती है। जहां कहीं भी, पुस्तकालय अवसंरचना, यथोचित व्यवस्था को परिसीमित करती है, यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि पुस्तकालय सेवाएं छात्रों/निशक्त व्यक्तियों को प्रदान की जाएं।

5.2.3 मिश्रित शिक्षा में सुगम्यता

उच्चतर शिक्षा संस्थान के निर्मित परिवेश को शिक्षा के 'हाइब्रिड' और मिश्रित पद्धति की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आवश्यक उपकरण, प्रौद्योगिकी को कक्षा में लगाया जाना चाहिए जो 'हाइब्रिड' ज्ञान अर्जन को संभव बनाए ताकि विविध क्षमताओं वाले छात्रों को शामिल किया जा सके। जहां छात्रों को उपकरण, डेटा कनेक्टिविटी आदि के संदर्भ में सहायता की आवश्यकता हो, वहां इसे विभिन्न योजनाओं के तहत एचईआई द्वारा प्रदान किया जाए। इसके उपरांत विनिर्दिष्ट खरीद संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए ऐसे उपस्करों और प्रौद्योगिकियों की खरीद की जानी चाहिए।

5.2.4 ज्ञान अर्जन के स्थलों पर प्रकाश की व्यवस्था

शिक्षा परिवेश में सुधार करने के लिए कक्षाओं और ज्ञान अर्जन के स्थलों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था से छात्र सुरक्षित महसूस करते हैं, इससे ज्ञान अर्जन में भी सुधार होता है। एक कक्षा के लिए 250 से 300 लक्स की प्रकाश व्यवस्था उपयुक्त है, जहां छात्र अपना अधिकांश समय बिताते हैं और ज्ञान अर्जन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां शिक्षक होते हैं, उस स्थान पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए 500 से 750 लक्स के उच्च प्रकाश का स्तर बेहतर होता है। प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए ताकि संकाय के चेहरे पर पर्याप्त रूप से प्रकाश पड़ सके जिससे बधिर छात्रों के लिए उनके होठ में होने वाली गति को पढ़ना संभव हो सके। वयस्कों को 500 लक्स के प्रकाश की आवश्यकता होती है क्योंकि आयु के साथ दृष्टि तीक्ष्णता कम हो जाती है। ढ़के हुए प्रकाश स्रोत तकलीफदेह चकाचौंध को रोकते हैं, आंखों को लंबे समय तक ताजा रखते हैं।

एक 'पुरातन ब्लैकबोर्ड' अथवा एक आधुनिक 'व्हाइटबोर्ड' दोनों के लिए कमरे के पीछे से भी इष्टतम ग्रहणबोध और सुपाठ्यता सुनिश्चित करने के लिए उस क्षेत्र में उच्च डिग्री के एक समान 500 लक्स के प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। प्रोजेक्शन सिस्टम, प्रस्तुतियों अथवा स्मार्ट बोर्डों के उपयोग के लिए प्रकाश व्यवस्था को मंद करना अथवा केवल आवश्यकता के अनुसार कमरे के कुछ भागों को रोशन करना संभव होना चाहिए और इस प्रकार के नियंत्रण सुगम्य होने चाहिए।

कक्षा के प्रकाश में चमचमाहट और चकाचौंध होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी मामलों में इससे बचा जाना चाहिए क्योंकि वे छात्रों के लिए परेशानी के साथ–साथ, आंखों के तनाव और सिरदर्द का कारण बन सकते हैं और शिक्षण–ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। एलईडी प्रकाश प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो न केवल ऊर्जा किफायती हैं बल्कि छाया को भी कम करते हैं और दृश्यता में सुधार करते हैं।

भवनों को जलवायु प्रतिक्रियाशील डिजाइन के साथ–साथ दिन के प्रकाश का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने हेतु उन्मुख करने और कक्षा अथवा आंतरिक स्थानों में पर्याप्त व्यतिरेक सुनिश्चित करने को प्रोत्साहित किया जाता है। 'प्रोजेक्टर' और डिजिटल आधारित समकालीन जरुरतों के अनुरूप उत्तरदायी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए।

5.2.5 कक्षा में ध्वनि संबंधी स्थिति

सुनना और समझना, ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। एक कोलाहलभरी कक्षा अथवा ज्ञान अर्जन परिवेश इन कार्यों को मुश्किल बना सकता है। कक्षा के डिजाइन में यह सुनिश्चित करने के लिए तत्वों को शामिल करना चाहिए कि पार्श्व शोर को शिक्षण–ज्ञान अर्जन को सुकर बनाने के लिए न्यूनतम रखा जा सकता है। श्रवण संबंधी दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों को सर्वोत्कृष्ट ध्वनि सुविधा वाले कमरों में भी सुनने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कक्षाओं में बेहतर ध्वनि संबंधी परिवेश को (क) कक्षाओं का वास्तुशिल्प डिजाइन, (ख) 'इनडोर सर्फेस ट्रीटमेंट' के लिए उपयुक्त सामग्री का उपयोग (अधिमानतः सॉफ्ट बोर्डों, आदि जैसे ध्वनि अवशोषित करने वाली सामग्री), (ग) विशेषरूप से बड़ी कक्षाओं अथवा व्याख्यान थिएटरों के लिए ध्वनि उत्सर्जन हेतु स्पीकर सिस्टम, माइक्रोफोन, आदि उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, कक्षाओं में बधिर व्यक्तियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान को निम्नवत संस्थापित कर उपलब्ध कराना चाहिए।

क) श्रवण शक्ति के ह्रास से बचने के लिए उपयुक्त अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां। उदाहरण के लिए, 'लूप इंडक्शन सिस्टम', ट्रांसक्रिप्शन के साथ डिजिटल इंटरफेस, 'स्पीच टू टेक्स्ट अनुवाद' आदि।

ख) कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, सभागारों, बैठक हॉल, सम्मेलन कक्षों आदि जैसे अधिगम के स्थानों पर शैक्षिक अथवा गैर–शैक्षिक सभी क्रियाकलापों के लिए 'सांकेतिक भाषा आशु अनुवाद'।

5.2.6 भवन में अलग–अलग तलों पर आवागमन

उच्चतर शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी भवन तथा इसके सभी तल जोकि संकाय, कर्मचारियों अथवा छात्रों द्वारा उपयोग हेतु खुले हों वे रैंप/लिफ्टों के माध्यम से सुगम्य हों और सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सभी स्तरों के परिवर्तनों को शामिल किया जाए। 150 मि.मी. तक के ऊर्ध्वाधर ऊँचाई अथवा स्तर के अंतर के लिए, 'हेंड रेलिंग' की आवश्यकता के बिना 'कर्ब रैंप' अथवा 'स्लोप रैंप' उपलब्ध कराए जाएंगे।

150 मि.मी. से अधिक के स्तर के अंतर के लिए, रैंप दो स्तरों (700 मि.मी., 900 मि.मी.) पर दोनों तरफ रेलिंग के साथ होंगे जो लैंडिंग सहित पूरी ढाल पर निरंतर पकड़/गिरफ्त प्रदान करते हैं।

चलने में सक्षम अधिकतर दिव्यांगजन अपने कदम आसानी से और सुरक्षित रूप से रख पाते हैं। इसलिए, कदमों और रैंप दोनों के माध्यम से पहुंच प्रदान करना बेहतर है। जहां 'पहुंच रैंप' की क्षैतिज लम्बाई 9000 मि.मी. से अधिक है, वहां चलने में सक्षम दिव्यांगजनों को 'रैंप पहुंच' के अलावा, एक वैकल्पिक 'सीढ़ीदार पहुंच', उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रैंप ग्रेडिएंट (1:12 से 1:20 के बीच) और चौड़ाई (1200 मि.मी.–1800 मि.मी. के बीच) जिस ऊर्ध्वाधर ऊँचाई के लिए रैंप को बनाया जा रहा है उसके अनुरूप, अनुमोदित मानकों के अनुसार होगी।

निर्मित पायदानों/सीढ़ियों में अलग–अलग लंबाई वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ओर दो स्तरों पर रेलिंग के साथ क्रमशः 300 मि.मी. और 150 मि.मी. का एक समान 'ट्रैड और राइजर' होगा। सीढ़ी के किनारों को एक 40 मि.मी. रंग के व्यतिरेक बैंड के साथ उपलब्ध कराया जाएगा ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति, स्तर परिवर्तन का स्पष्ट रूप से पता लगा सकें। रैंप/सीढ़ी के 300 मि.मी. पहले और बाद में 'टेक्टाईल वार्निंग पेवर' उपलब्ध कराया जाएगा।

जहां ऊंचाई में बड़ा बदलाव होता है जिसके लिए अनेक 'रैंप' और 'लैंडिंग' संयोजनों की आवश्यकता होती है, सुगम्य लिफ्ट/एलीवेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसी लिफ्ट, जो लिफ्ट कार के अंदर व्हीलचेयर के 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए 1500 मि.मी. × 1500 मि.मी. स्थान को समायोजित करती है, उसे अधिमानतः 13 यात्री वाली लिफ्ट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। सुगम्य लिफ्ट आदि की पहचान के लिए, दरवाजे की 900 मि.मी. की स्पष्ट चौड़ाई और कार के भीतर और लिफ्ट लॉबी में लिफ्ट नियंत्रण, पहुंच योग्य ऊंचाइयों और अन्य पहुंच सुगम्य विशेषताएं जैसे ब्रेल, स्पर्श नियंत्रण, दृश्य–श्रव्य घोषणाएं, हैंड रेल, व्यू मिरर, और संकेतकों को अनुमोदित मानकों का अनुपालन करते हुए, उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3 'असेम्बली एरिया'/सभागार

उच्चतर शिक्षा संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों में एकत्रित होने के बड़े स्थानों जैसे असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर, कन्वेंशन सेंटर, कान्वोकेशन हॉल अथवा सीनेट हॉल आदि विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए एक वर्ष के अलग–अलग समय पर विशिष्ट उद्देश्य रखते हैं। यह अनिवार्य है कि विभिन्न परिसरों में विभिन्न नामों द्वारा जाने जाने वाले ऐसे सभी स्थानों के डिजाइन, 'लेऑउट' और उनके संचालन में सार्वभौमिक सुगम्यता सुनिश्चित की जाए।

इसमें इन स्थानों के बाहर सुगम्य पार्किंग की व्यवस्था (आरक्षित), सुगम्य प्रवेश द्वार, सभी के लिए साम्यता सुनिश्चित करते हुए सीढ़ी/बैकस्टेज क्षेत्रों तक पहुंच सहित सुगम्य बैठने के स्थान की व्यवस्था शामिल है।

दिव्यांगजनों के लिए रंगमंच और फर्श पर बैठने का स्थान, दोनों तक पहुंचना संभव होना चाहिए। व्हीलचेयर पर बैठकर कार्यक्रम देखने के स्थान के लिए फर्श, व्हीलचेयर चलाने हेतु एक सुगम्य पथ के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए और 1200 मि.मी. तक आंखों के स्तर तक अबाधित रूप से दिखाई देना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि खड़े होने वाले दर्शकों के कारण दिखाई देना कम हो जाए। पंक्तियों और सीट नम्बरों के पहचान संकेत दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रेल में अंकित होने चाहिए और स्पर्श द्वारा पठनीय होने चाहिए।

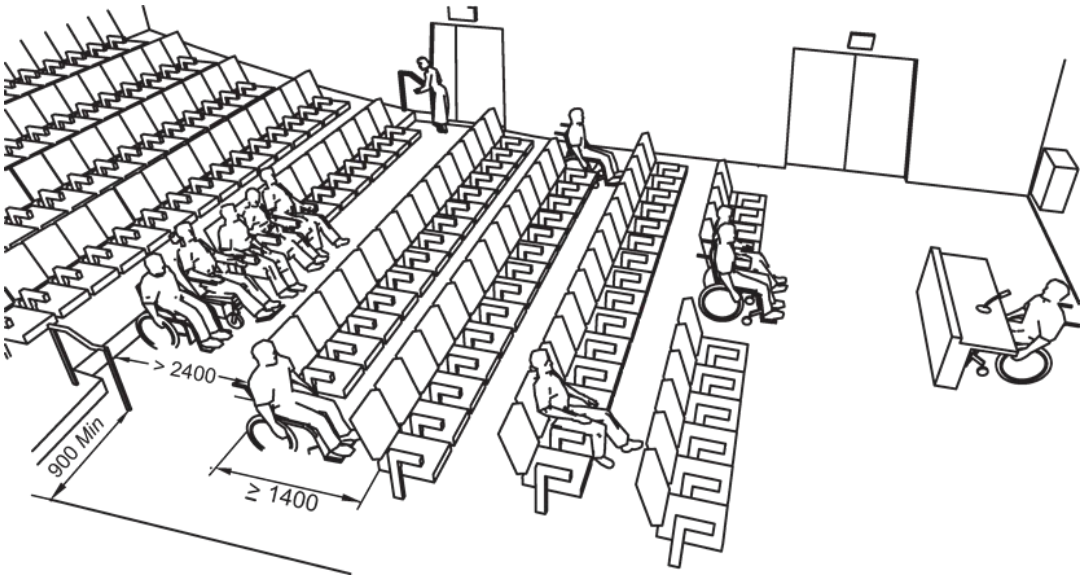

चित्र 5.1 असेम्बली एरिया/सभागार में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए देखने हेतु स्थानों के उदाहरण (स्रोतः एनबीसी 2016)

5.4 छात्रावास और अतिथि गृह

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रावास और अतिथि गृह को सार्वभौमिक डिजाइन और सुगम्यता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और इसमें चौड़े दरवाजे, पहुंच योग्य ऊंचाइयों पर नियंत्रण प्रणाली और अन्य सुगम्यता हेतु अन्य सुविधाओं में परिसंचरण स्थान होने चाहिए। 10 प्रतिशत छात्रावास के कमरों को व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल बनाया जाना चाहिए और अनुमोदित मानकों का अनुपालन करते हुए सुलभ शौचालय जुड़े होने चाहिए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिथिगृहों में **कम से कम दो कमरे** सुगम्य होने चाहिए जिनमें साथ सुगम्य शौचालय जुड़े हुए हों। जहां छात्रावास शयनगृह उपलब्ध कराए जाते हैं, अनुमोदित मानकों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक तल पर सुलभ 'यूनिसेक्स वॉशरूम' और स्नान/'शॉवर एरिया' की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

5.5 मेस, जलपानगृह और सामान्य खानपान सुविधाएं

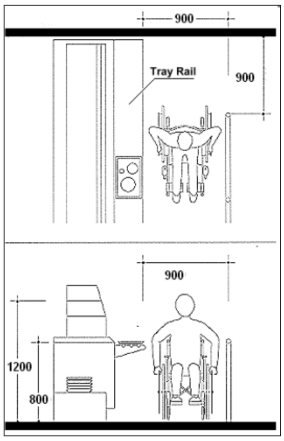

उच्चतर शिक्षा संस्थान में उपलब्ध कराए जाने वाली मेस और जलपानगृह की सेवाएं सार्वभौमिक डिजाइन और सुगम्यता के आधार पर पहुंच योग्य होनी चाहिए और मौजूदा सुविधाओं को 'रेट्रोफिट' किया जाना चाहिए। स्व–सेवा जलपानगृह/मेस में, ट्रे–स्लाइड और काउंटर, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए फर्श से 800 मि.मी. के स्तर पर उठे होने चाहिए।

'फूड शेल्फ' 1200 मि.मी. की अधिकतम ऊंचाई पर होने चाहिए और गलियारे हेतु न्यूनतम 900 मि.मी. स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। सेंट्रल पेडेस्ट्रल, जोकि व्हीलचेयर की पहुंच के लिए रूकावट बन सकते हैं, के स्थान पर प्रत्येक कोने में, कैंटिलीवर टेबल अथवा सीधे पैर वाली टेबल होनी चाहिए। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए स्टूल और ऊँचे टेबल उपयुक्त नहीं हैं।

इसलिए, साथ ही, सुगम्य टेबल भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। *(चित्र देखें: सुलभ पहुंच के लिए फूड शेल्फ और गलियारे हेतु स्थान की ऊंचाई)*

5.6 सुगम्य स्वच्छता व्यवस्था

स्वच्छता प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता, देश भर में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुगम्यता के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बनी हुई है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि सभी महत्वपूर्ण स्थान, जहां कहीं भी महिला पुरूष दोनों के लिए शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं, वहां एक सुगम्य 'यूनिसेक्स' शौचालय उपलब्ध कराया जाए। सुगम्य शौचालयों को हमेशा सुगम्यता के अंतर्राष्ट्रीय संकेतकों के 'साइनपोस्ट' से सुसज्जित होना चाहिए।

सुगम्य शौचालय और अन्य शौचालय के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश, 2021 का अनुपालन करना होगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संवेदी दिव्यांगता (दृष्टिबाधित अथवा बधिर) व्यक्ति, तंत्रिका से जुड़े विविध रोगों और अनेक अन्य निशक्त व्यक्तियों से ग्रस्त व्यक्ति को अनुकूलित सुविधाओं के साथ सामान्य शौचालय का उपयोग करने जैसे कि कम ऊंचाई वाले 'वॉश बेसिन', 'ग्रैब रेल' के साथ कम ऊंचाई वाले मूत्रालय, 'ग्रैब रेल' के साथ अनुकूलित भारतीय डब्ल्यूसी और बच्चों के कपड़े आदि बदलने वाले स्थानों सहित अन्य सहायक सुविधाओं का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।

सभी स्थानों पर जहां एक सामान्य शौचालय उपलब्ध कराया जाता है वहां स्वतंत्र प्रवेश द्वार और बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे मुहैया करवाए जाने चाहिए। अधिक सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों और बहु–निशक्तताओं से ग्रसित व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'यूनिसेक्स' शौचालय भी डिजाइन किया जाना चाहिए।

विशेषरूप से सुलभ 'यूनिसेक्स' शौचालयों में 'डबल एक्शन' दरवाजों का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, जो दोनों दिशाओं में खुल सकें।

पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों के मामले में, चलने में सक्षम दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक घनाकार शौचालय, जिसमें बाहर की ओर दरवाजा खुलने वाली सुविधा हो (900 मि.मी. ग 1500 मि.मी. के आंतरिक आयाम के साथ) उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

पुरुषों के लिए शौचालयों में जहां पहुंचने के लिए किसी सीढी/स्तर का अंतर नहीं हो वहां 'फ्रंट हैंड रेल' सहायता के साथ चलने में सक्षम दिव्यांगजनों के लिए एक एक मूत्रालय होना चाहिए। विधि के अनुसार, 'ट्रांसजेंडर' व्यक्तियों के लिए एक अलग शौचालय इकाई की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है।

'यूनिसेक्स' शौचालय और महिला शौचालयों में इस्तेमाल किए गए 'सैनिटरी नैपकिन' को एकत्रित करने के लिए डिब्बे तथा भस्मीकरण सुविधाएं होनी चाहिए। सामान्य रूप से, शौचालय सुविधाओं में उच्च स्तर की स्वच्छता होनी चाहिए और इसे नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

(अधिक जानकारी के लिए, 'हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स, 2021' देखें)

5.7 प्रशासनिक स्थल

उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक स्थान भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य होने चाहिए। 'ग्रेडिएंट' और विनिर्देशों का पालन करते हुए सीढ़ीमुक्त प्रवेश द्वारों अथवा रैंप और /लिफ्टों के माध्यम से पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। अन्य चीजों के अलावा, सुगम्य स्वागत काऊंटर के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यालयों में सहायता और सुलभ बैठने के स्थान और डेस्क भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अलावा, प्रशासनिक कर्मचारिवृंदों का कार्यालय, दिव्यांगजनों और विविध आवश्यकताओं वाले अन्य व्यक्तियों के प्रति प्रशासनिक कर्मचारियों की संवेदनशीलता के साथ–साथ द्वारों, आवागम और मुड़ने के स्थानों, फर्नीचर के भिन्न प्रकारों आदि के माध्यम से भी सुगम्यता सुनिश्चित करेंगे।

5.8 मनोरंजन स्थल, विनोद कक्ष, कार्यकलाप कक्ष, जिम/योग हॉल

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सभी मनोरंजक स्थलों, विनोद कक्ष, कार्यकलाप कक्ष अथवा कक्ष, व्यायामशाला, योग हॉल आदि में सुगम्य पहुंच होनी चाहिए और सीढ़ीमुक्त पहुंच हेतु चौड़े दरवाजों के साथ 'यूनिवर्सल डिजाइन' और पहुंच मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। खेल और मनोरंजन के उपकरण सुगम्य होने चाहिए और पहुंच एवं उपयोग हेतु स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो, विशेषीकृत व्यायाम/खेल उपस्करों की संस्थापना के लिए दिव्यांगजनों से परामर्श किया जाना चाहिए।

5.9 सुगम्य पार्किंग सुविधाएं

समर्पित सुगम्य पार्किंग सुविधाओं को चिह्नित किया जाना चाहिए, विभिन्न विभागों, भवनों के 30 मीटर के दायरे के भीतर कारों और 'साॅइड व्हील्स्' के साथ अनुकूलित चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए साइनपोस्ट लगाया जाना चाहिए। गैर–दिव्यांग उपयोगक्ताओं द्वारा इन सुविधाओं के दुरुपयोग को विनियामक साधनों के माध्यम से रोका जाना चाहिए और इसकी उत्तरोत्तर निगरानी की जानी चाहिए।

पार्किंग सुविधाएं, सभी के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग की सुविधा प्रदान करते हुए भवन के मुख्य प्रवेश के साथ जुड़ेंगी। ऐसे सभी सुगम्य मार्गों पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए स्पर्श मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

5.10 परिसर में सुविधाएं: बैंक, एटीएम, डाकघर, दुकानें आदि

परिसर में मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित की जाएगी। बैंकों और एटीएम में रेलिंग के साथ रैंप होंगे, सुलभ पहुंच हेतु बड़े दरवाजे होंगे। काउंटर की ऊंचाई दोहरी होगी ताकि खड़े हुए और बैठे हुए उपयोगकर्ता आसानी से बैंकों में लेन–देन कर सकें। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संस्थापित एटीएम/वेंडिंग मशीनें 'घुटने हेतु स्थान' ('नी क्लीयरेंस') के साथ कम ऊंचाई वाली होंगी, जिसमें सुगम्यता और उपयोग के लिए स्थान होगा और अनुमोदित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली सुरक्षा विशेषताएं होंगी। यह ब्रेल सक्षमकारी होनी चाहिए और इनमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुनने हेतु 'ऑउटपुट' के लिए एक जैक अथवा वैकल्पिक प्रणाली होनी चाहिए।

{नीचे चित्र को देखें–सुगम्य 'वेंडिंग' मशीन (स्रोतः एनबीसी)}

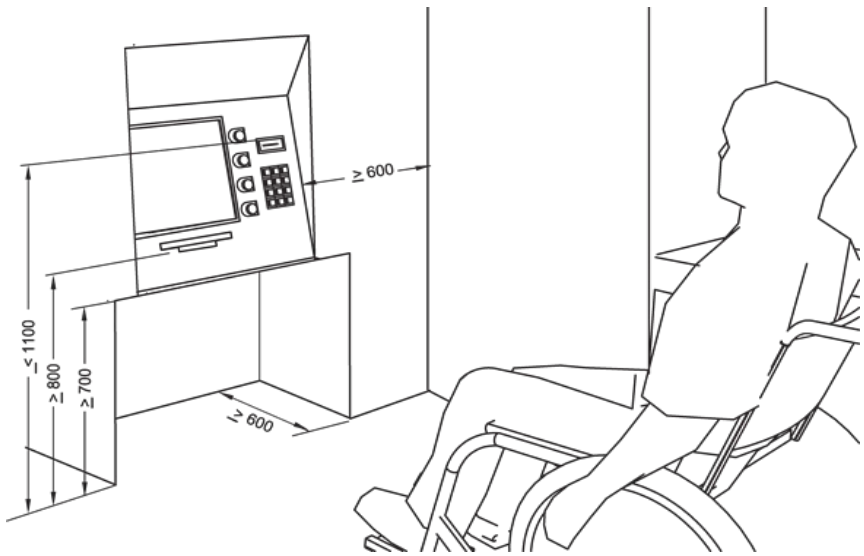

5.11 परिसरों/भवनों में सुगम्य संकेतक

व्यक्तियों को भवनों की दिशा का बोध करने और उनका स्वतंत्र उपयोग करने के उद्देश्य से स्थानों के प्रयोजनों और लेऑउट के बारे में स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः, दृश्य और स्पर्श जानकारी को श्रव्य जानकारी द्वारा सुदृढ़ बनाया जाता है। यह जानकारी, दृश्य जानकारी (उदाहरण के लिए, संकेत, नोटिस बोर्ड), श्रव्य जानकारी (उदाहरण के लिए, सार्वजनिक संबोधन और सुरक्षा प्रणालियां, 'इंडक्शन लूप', टेलीफोन, और 'इंफ्रारेड' उपकरण) अथवा स्पर्श जानकारी (उदाहरण के लिए, उभरे हुए अक्षरों अथवा ब्रेल में संकेतक) का रूप ले सकती है।

परिसर में दिक् विन्यास और मार्ग ढूंढ़ने को सुकर बनाने के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करते हुए अपने परिसर में एक संकेत लेखापरीक्षा करानी चाहिए:

क. स्थान, सुगम्यता, लेऑउट, और संकेतकों की ऊंचाई;

ख. 'फांट' के स्वरूप, अक्षरों का आकार, चिह्न, और उनकी पढ़ने की दूरी;

ग. स्पर्श अक्षरों और प्रतीकों और ब्रेल का उपयोग;

घ. दृश्य व्यतिरेक और प्रकाश व्यवस्था/संकेतक प्रकाश;

ड.. संकेतों और प्रतीकों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की तैयार सतहें;

च. श्रव्य संकेतों का एक साथ उपयोग;

छ. किसी भी अन्य संचार प्रणालियों के साथ समेकन;

ज. स्पर्श मानचित्र और दिक् विन्यास हेतु मॉडल।

सुगम्यता के अंतरराष्ट्रीय प्रतीकों को सभी सुगम्य प्रवेश द्वारों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रवेश द्वार सुगम्य नहीं हो तो चिह्न सहित एक सुगम्य मार्ग के लिए दिशाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार के दिशानिर्देश लिफ्ट, निकासी स्थल और 'रिफ्यूज एरिया, शौचालयों और स्नान सुविधाओं के लिए भी हैं।

संकेतों को पढ़ने में असमर्थ दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं और श्रृवण संबंधी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति, जो भवन का रास्ता समझने के लिए मौखिक निदेशों को समझने में असक्षम हों, उनकी मदद करने के लिए स्पर्श मानचित्र अथवा मॉडलों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

संकेत सामग्री गैर–परावर्तक होनी चाहिए, अधिमानतः एक 'मैट फिनिश' पर होनी चाहिए। इसकी गैर–चमकदार, बिना चकाचौंध वाली सतह होनी चाहिए। प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश ऐसा होना चाहिए ताकि संकेतक की सतह पर चकाचौंध उत्पन्न न हो। सभी संकेतक की सामग्री का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उनमें कम टूट–फूट हो तोड़–फोड़ के परिणामस्वरूप संभावित क्षति कम हो साथ ही उनका रखरखाव किया जाना आसान हो।

5.12 आपातकालीन तैयारी में सुगम्यता

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुगम्य 'अग्नि निकास' के संकेत को संकेतक लगाकर चिह्नित किया जाना चाहिए। आग लगने के दौरान बचाव की योजना, दृष्टिबाधित और बधिर उपयोगकर्ताओं हेतु सुगम्यता के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर श्रव्य ('हूटर' के प्रकार का) और दृश्य (चमकते बल्ब) आपातकालीन अलार्म–दोनों उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निकासी मार्ग ऊँचा–नीचा नहीं होना चाहिए अर्थात् उसका समान स्तर होना चाहिए और इसे फर्नीचर, कूलर, ए.सी. यूनिटों, फूल–दान आदि जैसी बाधाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। संकेतों को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया जाना चाहिए। निकास मार्ग कम से कम 1200 मि.मी. चौड़ा होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति, उस मार्ग पर एक साथ

आमने–सामने से आ जा सकें। अग्निशामक यंत्रों को भवन में महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा जाए, बेहतर यह है कि वे अंदर धंसे हुए हों ताकि आने–जाने के स्थान पर सफेद स्टिक द्वारा पहचान सीमा से परे उभरे हुए अवरोध न बने। दिव्यांगजनों के लिए बचाव सहायता/शरण स्थल हेतु 'एकत्रित होने के स्थान' ('असेम्बली प्वाईंट') को निर्धारित किया जाना चाहिए और उन्हें एक साथ जोड़ने वाले मार्ग के माध्यम से सुगम्य बनाया जाना चाहिए। चिह्नित क्षेत्र प्राथमिक रूप से, ऊपर से खुला होना चाहिए और सुलभता से सुगम्य होना चाहिए तथा वहां आपातकालीन बचाव दलों द्वारा बचाव करना भी आसान होना चाहिए।

एक संचार प्रणाली, जिसमें 'दृश्य और श्रवण' दोनों प्रकार की दो–तरफा संचार व्यवस्था हो–एकत्रित होने के स्थल/शरण स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए। अनेक दिव्यांगजन आपदा प्रशमन जैसे अग्नि और अन्य आपात स्थितियों में सक्रिय योगदानकर्ता हो सकते हैं। उन्हें हमेशा निष्क्रिय सहायता प्राप्तकर्ता नहीं माना जाना चाहिए। अग्निशमन यंत्र को फर्श से 750–900 मि.मी. की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में दिव्यांगजन भी इसे संचालित कर सकें। दिव्यांगजनों को भी ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे आपातकालीन स्थिति में स्वयं और दूसरों की मदद कर सकें। *अधिक जानकारी के लिए अनुमोदित सुगम्यता मानकों जैसे कि 'हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स, 2021' और 'राष्ट्रीय भवन संहिता' को देखें।*

.....

6

सुगम्य पाठ्यक्रम, शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रणालियां

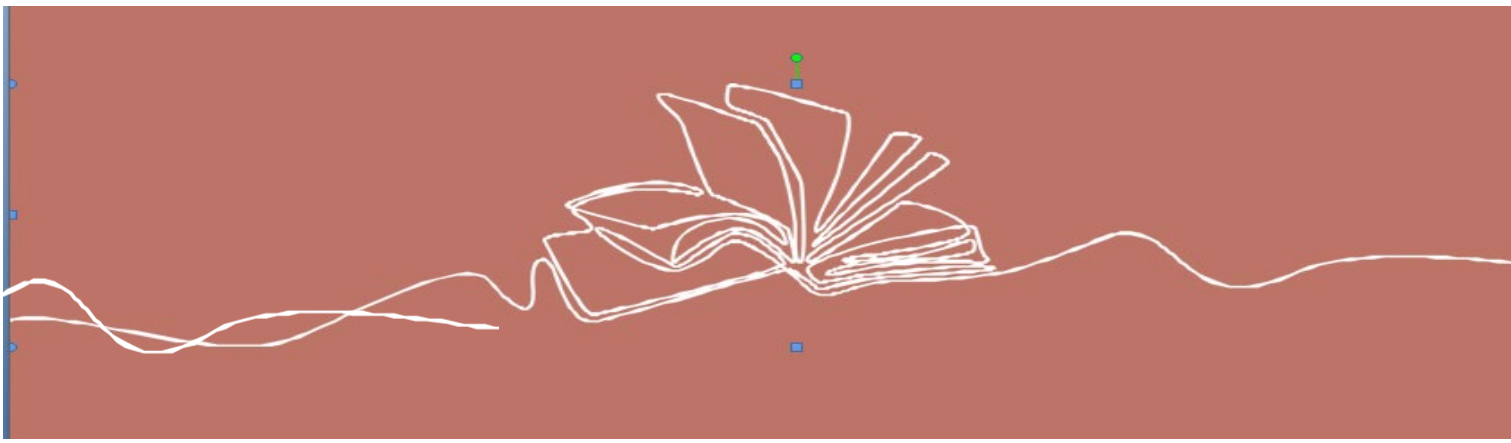

6

सुगम्य पाठ्यक्रम, शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रणालियां

6.1 पाठ्यक्रम तक समान पहुंच

सभी छात्र ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। शिक्षा में दिव्यांगता को शामिल किए जाने के लिए सहायता प्रणालियों का सृजन किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा तक पहुंच केवल एक सुगम्य पाठ्यक्रम के साथ संभव हो सकती है। यदि पाठ्यचर्या और शिक्षण कुछ छात्रों की पहुंच में नहीं हो तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को क्षति पहुंचती है।

6.1.1 पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण और ज्ञान अर्जन से संबंधित मुद्दों का समाधान कर असमानता को कम करके शिक्षा तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित की जाती है। सुगम्य पाठ्यक्रम और प्रभावी अनुदेश की पद्धतियां दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदत्त करती हैं। इससे लोगों की मान्यताओं में बदलाव आता है कि ऐसे छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। समावेशी नीतियां समावेशी पद्धतियों की ओर ले जाती हैं और यह अंततः एक ऐसा परिवेश तैयार करके जहां हर कोई महत्वपूर्ण और समर्थ महसूस करे, एचईआई में एक समावेशी संस्कृति लाती है।

6.1.2 सुगम्यता, पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण, मूल्यांकन के साथ–साथ छात्र सहायता से जुड़े सभी व्यक्तियों और प्रक्रियाओं के लिए प्रासंगिक है। एक सुगम्य पाठ्यक्रम को सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्र सहायता सेवाओं और इंटरफेस की एक सुलभ बुनियादी संरचना से युक्त किया जाना चाहिए।

6.2 सुगम्य पाठ्यक्रम प्रदान करना

एक सुगम्य पाठ्यक्रम प्रदान करना, छात्रों की विविध प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं, छात्रों में क्षमताओं, और सन्निहित लचीलापन प्रदान करना तथा अग्रिम समायोजन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक सुगम्य पाठ्यक्रम छात्रों के बीच समानता, समावेश, भागीदारी और आपसी जुड़ाव पैदा करने में योगदान देता है जो छात्रों को इष्टतम ज्ञानार्जन परिणाम, संतुष्टि और कुशलता की ओर ले जाता है। सुगम्य पाठ्यक्रम न केवल अपने छात्रों बल्कि शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के बीच विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं और वरीयताओं का अनुमान लगाता है और प्रत्याशित करता है। अतः सुगम्यता, पाठ्यक्रम में गुणवत्ता का एक द्योतक और एक विधिक अपेक्षा है।

कक्षा में विविध शिक्षार्थी कक्षा के संसाधन हैं, बोझ नहीं है। ज्ञान अर्जन में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, छात्रों को पाठ्यक्रम और शिक्षण–ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया से सार्थक तरीके से लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। विषयवस्तु की प्रस्तुति, विषयवस्तु के साथ जुड़ाव और ज्ञान अर्जन का मूल्यांकन, अपेक्षित सामंजस्य और अनुकूलन / परिवर्तनों के साथ लचीला होना चाहिए।

6.2.1 **सामंजस्य** एक विशिष्ट माध्यम अथवा एक साधन अथवा एक कार्यनीति है जिसे दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। किसी छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए विशिष्ट भाषा अथवा माध्यमों का उपयोग जैसे ब्रेल, स्क्रीन रीडिंग डिवाइस, भारतीय संकेत भाषा अथवा वैकल्पिक संवर्धक संचार (एएसी) कुछ उदाहरण हैं जो समान भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

6.2.2 इसके अलावा, **अनुकूलन अथवा संशोधन,** अनुदेश के स्तर अथवा पद्धति में परिवर्तन हैं जो किसी छात्र को उनकी विशिष्ट दिव्यांगता के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है। अतिरिक्त शिक्षण समय, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप ज्ञान अर्जन में सहायता, कठिनाई के स्तर में कमी, अनुकूलन के कुछ उदाहरण हैं। इसे इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि सामंजस्य और संशोधन पाठ्यक्रम तक पूर्ण पहुंच को प्रभावित न करें।

6.3 सुगम्य पाठ्यक्रम में लचीलेपन और समायोजन की व्यवस्था

एक सुगम्य पाठ्यक्रम, प्रारूपों, प्रक्रियाओं और भाषा का उपयोग करता है जो शिक्षण और मूल्यांकन में विकल्पों, लचीलेपन और उचित समायोजन की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाता है। इस प्रकार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को इनका लाभ उठाने के लिए अपनी सामंजस्य नीति और प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता है। यह 'सामंजस्य योजना' और इसके कार्यान्वयन के बारे में स्पष्टता से उल्लेख करेगा। सामंजस्य में वैकल्पिक प्रारूप और अनुदेश सामग्री शामिल होनी चाहिए।

6.3.1 विषय सामग्री को सुगम्य बनाने के लिए **वैकल्पिक स्वरूपों** के एक प्रारूप को दूसरे में परिवर्तित करके उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सामान्य परिवर्तित प्रारूप हैं: प्रिंट सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, 'प्रिंट टू ब्रेल' अथवा 'ऑडियो' अथवा 'लार्ज प्रिंट', वीडियो की 'कैप्शनिंग', वीडियो अथवा ऑडियो सामग्री का 'ट्रांसक्रिप्शन'।

6.3.2 **अनुदेश सामग्री के विकल्पों** को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। संकाय और संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक/ई–पुस्तक, श्रव्य/दृश्य मल्टीमीडिया सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री जैसे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। 'क्लॉस हैंडऑउट', पठन हेतु अपेक्षित और अनुशंसित सूची, 'गृह कार्य' के संबंध में जानकारी, ग्रेडिंग रूब्रिक, परीक्षा और परीक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

6.3.3 छात्र के ज्ञान अर्जन प्रोफाइल के अनुसार **कठिनाई के स्तर** का निर्णय किया जा सकता है। संकाय को (प) कौशल स्तर, समस्या के स्वरूप अथवा नियमों पर शिक्षार्थी किस प्रकार कार्य को आरंभ करे, को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, (पप) कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देने, (पपप) साप्ताहिक शब्दावली, वर्तनी शब्दों के लिए शब्द बैंक बनाने, (पअ) छात्रों को उत्तर खोजने में मदद करने के लिए पृष्ठ संख्या और पैराग्राफ उपलब्ध कराने, (अ) शब्दों को सीमित करके लिखित निदेशों को सरल बनाने और चरणों और पृष्ठों को क्रमांकित करने, (अप) 'कार्य प्रवाह' को सरल बनाने की आवश्यकता होती है। संकाय को कक्षा में कवर की गई विषयवस्तु के अनुरूप ही 'गृह कार्य' तैयार करना चाहिए।

6.4 सामाजिक–भावनात्मक ज्ञान अर्जन (एसईएल)

संरचित ज्ञान अर्जन के अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (अवलोकन, सामाजिक संपर्क, समस्या को सुलझाने) में अयोजनाबद्ध अथवा अनभिप्रेत शिक्षा भी दिव्यांगजन के शैक्षिक परिणामों में बहुत बड़ा योगदान देती है। समान पहुंच, विविध आवश्यकताओं वाले छात्र के तनाव को कम करती है और अवसरों में सुधार करने के साथ–साथ परिवेश से सीखने की क्षमता में सुधार करती है। सामाजिक–भावनात्मक ज्ञान अर्जन (एसईएल) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसईएल, ज्ञान अर्जन के लिए पूर्वापेक्षाओं के रूप में प्रेरणा, सामाजिक जुड़ाव और स्व–नियमन संबंधी छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। एक सुरक्षित सामाजिक और भावनात्मक ज्ञान अर्जन के माहौल का विकास जरूरी है और सहपाठियों और शिक्षकों द्वारा सकारात्मक स्वीकृति और बातचीत के माध्यम से एसईएल के लिए एक पूर्वापेक्षा भी माना जाता है। छात्रों को यह महसूस करना चाहिए कि जब वे चिंतित अथवा परेशान हों तो उनके पास बातचीत करने के लिए कोई है। शिक्षक, उनसे निजी तौर पर बात करने के लिए स्वयं उपलब्ध होते हैं। शिक्षण–ज्ञान अर्जन परिवेश में विविध छात्रों को अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

6.5 शिक्षण–ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में अनुकूलन

संकाय, आवश्यकता के अनुसार, कार्य की प्रमात्रा, समय, सहायता, समस्याओं के स्तर, भागीदारी और वास्तविक अनुकूलन के संदर्भ में शिक्षण–ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में संशोधन कर सकता है अथवा उन्हें अनुकूलित कर सकता है।

6.5.1 (प) प्रतिलिपि करने को इष्टतम बनाना, (पप) पढाई में आने वाली समस्याओं को कम करके, (पपप) उन शब्दों की संख्या, जो छात्र को एक समय में सीखने चाहिए, को अनुकूलित कर, (पअ) उन अवधारणाओं की संख्या को अनुकूलित कर जिन्हें किसी दिए गए समय में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, पर विचार कर **कार्य की प्रमात्रा को कम करना**। शिक्षक को छात्र पर अधिक भार को कम करने 'गृह कार्य' को कम करने अथवा छात्रों के तनावग्रस्त होने पर 'गृह कार्य' को कम–ज्यादा करने हेतु अन्य शिक्षकों के साथ 'गृह कार्य' का समन्वय करने की आवश्यकता है।

6.5.2 संकाय को (प) कार्य पूरा करने के लिए कक्षा में अथवा बाहर अतिरिक्त समय की अनुमति देने, (पप) वास्तविक शिक्षण से पूर्व, पाठ के संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करना, (पपप) किसी परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति देना, (पअ) छात्र को अल्प अवकाश लेने की अनुमति देने के संबंध में **समय को समायोजित करने** की आवश्यकता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी छात्र हेतु एक समय–सीमा को वैयक्तिकृत करके वैयक्तित सहायता प्रदान की जा सकती है।

6.5.3 छात्रों को समय–समय पर **सहायता** की आवश्यकता होती है। उन्हें निम्नवत हेतु सहायता उपलब्ध कराना (प) एक विशिष्ट शिक्षार्थी के साथ व्यक्तिगत सहायता की राशि बढ़ाकर, (पप) सहकर्मी अथवा सहकर्मी अनुशिक्षक को तैनात करके, (पपप) एक छोटे समूह में सहकारी कार्य उपलब्ध करवाकर, (पअ) प्रस्तुतियों (प्रेजेंटेशन) से 'नोट्स' की प्रतिलिपि बनाने से सहायता प्रदान करना ताकि जो छात्र अच्छी तरह से लिख नहीं सकता है अथवा प्रभावी ढंग से नहीं सुन सकते हैं, उसके पास अध्ययन करने के लिए 'नोट्स' हो सकें। संकाय, अतिरिक्त सामग्री तैयार कर सकता है जो छात्र घर पर उपयोग कर सके।

6.6 सुगम्य पुस्तकालय संसाधन

पुस्तकालय संसाधनों को वैकल्पिक प्रारूपों में उपलब्ध कराने, मल्टीमीडिया/वीडियो संसाधनों की खरीद करने और दिव्यांगजनों को वैकल्पिक और सुगम्य प्रारूप सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए पुस्तकालय को एक उचित सामंजस्य नीति का पालन करने की भी आवश्यकता है। पुस्तकालय सुविधाओं और सेवाओं में **'टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज़ इन इंडिया'** के माध्यम से नेटवर्क वाली टॉकिंग बुक लाइब्रेरी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, सुविधा में एक प्रिंट–सुगम्य पुस्तकालय होना चाहिए ताकि पुस्तकालय की कोई भी सामग्री दिव्यांगजन उपयोगकर्ताओं सहित सभी के लिए सुगम्य हो सके। विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी 'बुकशेयर इंटरनेशनल' पठन संबंधी अवरोधों से जूझने वाले लोगों के लिए सुगम्य ई–बुक सुविधा प्रदान करती है।

6.7 'इक्विटेबल क्लासरूम' तैयार करने हेतु ज्ञान अर्जन के लिए सार्वभौमिक डिजाइन

कोई भी एकल विधि सभी शिक्षार्थियों तक नहीं पहुंच सकती है; इसलिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्गों की आवश्यकता होती है। 'सार्वभौमिक डिजाइन' केवल विशेष शिक्षा के लिए मात्र एक तकनीक भर नहीं है बल्कि यह एक समावेशी तरीके से सभी छात्रों के ज्ञान अर्जन को प्रोत्साहित करने की एक तकनीक है। संकाय को निम्नलिखित बिंदुओं के लिए **ज्ञान अर्जन हेतु सार्वभौमिक डिजाइन (यूडीएल)** पर विचार करने की आवश्यकता है।

6.7.1 यह सार्वभौमिकता और साम्यता का अनुसरण करता है। ज्ञान अर्जन के अवसरों की आयोजना में सभी छात्रों के ज्ञान अर्जन को शामिल करना चाहिए, चाहे उनकी

उपलब्धि का स्तर कुछ भी हो, और प्रत्येक को अपनी क्षमता तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए।

6.7.2 यह लचीलेपन और समावेशिता का अनुसरण करता है। शिक्षण की योजना और शिक्षकों द्वारा छात्रों के क्रियाकलापों के लिए दिया जाने वाला समय पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए ताकि छात्रों के निष्पादन के स्तर के अनपेक्षतः सभी छात्रों को बेहतरीन ज्ञान अर्जन अनुभव प्राप्त हो सके। छात्रों को विभिन्न शिक्षण कार्यनीतियों और ज्ञान अर्जन सामग्रियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है जोकि उनके ज्ञान अर्जन की आवश्यकताओं के प्रति प्रासंगिक, दिलचस्प और प्रतिक्रियात्मक हैं; जो सभी इंद्रियों का उपयोग करता है; और यह रूप, कठिनाई के स्तर और प्रस्तुति के तरीके में भिन्न होता है।

6.7.3 इसमें उचित रूप से डिजाईन किए गए स्थान पर विचार होता है। एक ज्ञान अर्जन के परिवेश में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिएः (प) सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, (पप) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्योन्यक्रियात्मक पाठों सहित सीखने की सभी सामग्री, सभी छात्रों की सहज पहुंच में हो, (पपप) सहायक उपकरणों के लिए पर्याप्त स्थान हो।

6.7.4 इसमें सरल सिद्धांत का पालन होता है। शिक्षक (प) सुसंगत और प्राप्य अपेक्षाओं का सम्प्रेषण कर, (पप) स्पष्ट, छात्र–अनुकूल भाषा का उपयोग कर ज्ञान अर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए छात्रों के साथ मिलकर कार्य करना, (पपप) जानकारी को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कर उसके सापेक्ष महत्व को स्पष्ट करना, (पअ) अनुदेशों को छोटे भागों में बांटना, (अ) ज्ञान अर्जन के दौरान विवरणात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर अनावश्यक जटिलताओं से बच सकते हैं और विचलित करने वाली जानकारी को कम कर सकते हैं।

6.7.5 सुरक्षा, ज्ञान अर्जन की एक पूर्व शर्त है। कक्षाएं शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित होनी चाहिए। उन्हें एक देखभाल भरा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए जो सभी छात्रों के लिए आकर्षक, समावेशी और सम्मानपूर्ण हो और छात्रों की उपलब्धि और कल्याण को बढ़ावा देता हो, जिससे प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता के अनुसार सबसे बेहतर ज्ञान अर्जन अनुभव करने की व्यवस्था हो।

6.8 ज्ञान अर्जन हेतु सार्वभौमिक डिज़ाइन को लागू करना

एक दृष्टिकोण के रूप में **ज्ञान अर्जन हेतु सार्वभौमिक डिज़ाइन** (यूडीएल) को उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की शिक्षण और ज्ञान अर्जन की सामग्री का उपयोग करके प्रोत्साहित किया जाए जो सभी पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं (अर्थात्, जो सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जो विभिन्न 'मीडिया' को नियोजित करते हैं, आदि)। समस्या के विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुति के अनेक साधनों का उपयोग, जैसा कि कक्षा में छात्रों के लिए उपयुक्त समझा जाता है (उदाहरण के लिए अनुदेश के दौरान दृश्य, श्रवण और 'किनेस्थेटिक' प्रारूपों का उपयोग करके जानकारी को प्रस्तुत करना; इसमें सांकेतिक भाषा सहित श्रवण के साथ–साथ भाषा का एक दृश्य रूप भी शामिल है)। ज्ञान अर्जन के लचीले मॉडल को सुनिश्चित करने के लिए स्थान का विविध उपयोग करें। ज्ञान अर्जन और पर्याप्त स्थान और कम से कम विकर्षणों को सुकर बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करें ताकि छात्र अनुदेश के तत्वों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कक्षा में देखभाल और ज्ञान अर्जन का एक सुरक्षित परिवेश उपलब्ध होता है। शिक्षकों को सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने सहज क्षेत्र से बाहर निकलने और (प) शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से उन्हें सुनने (पप) विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों सहित 'सभी' छात्रों के लिए शिक्षण–ज्ञान अर्जन का समायोजन करते समय अनुभव पर प्रतिक्रिया देना, (पपप) नियमित आधार पर शिक्षण–ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में सुधार के लिए पुनर्विचार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6.9 सुगम्य पाठ्यक्रम सामग्रियों को तैयार करना

किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान के लिए समावेशन में सहायता करने हेतु सुगम्य पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना महत्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दिव्यांग छात्र, सामान्य छात्रों की भांति ही विषयवस्तु का उपयोग कर पाए तथा उसके साथ जुड़ सके।

6.9.1 विषयवस्तु के 'डेवलपर्स' को सुगम्य पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उन लोगों के लिए कैप्शन के साथ वीडियो उपलब्ध होना चाहिए जो सुनने संबंधी दिव्यांगता से ग्रस्त हैं और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ऑडियो की सहायता होनी चाहिए। दृष्टिबाधित छात्र, स्क्रीन रीडर प्रौद्यागिकी का उपयोग करके सामग्री तक पहुंचने में सक्षम होने चाहिए। यदि पीडीएफ केवल एक स्कैन की गई छवि है, तो स्क्रीन रीडर तकनीक इसे पढ़ने में सक्षम नहीं होगी। तब पढ़ पाने में समस्या का सामना करने वाले (डिस्लेक्सिया) छात्रों के पास मुद्रित शब्द को पढ़ने की सीमित क्षमताएं होती हैं और उन्हें सहायक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता होती है जो उन्हें शब्द को देखने और उसी समय इसे सुन पाने में सक्षम बनाती हैं।

6.9.2 सुगम्य पाठ्यक्रमों को तैयार करते समय, शिक्षकों को (प) पढ़ने में आसान 'फांट', (पप) पाठ के लिए रंग निरूपण, (पपप) सरल स्वरूपण, (पअ) श्रव्य / दृश्य फाइलों को जोड़ने पर विचार करना चाहिए। 'बोल्ड' और 'इटैलिक' शैली के अनावश्यक उपयोग से बचें। श्रृव्य सामग्री को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि में कोई शोर न हो। ऑडियो और वीडियो व्याख्यान के 'ट्रांसक्रिप्ट' को शामिल करना महत्वपूर्ण है जिस तक छात्र सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ उपयोग कर पहुंच बना सकते हैं।

6.10 उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समावेशी पाठ्यचर्या और शिक्षण हेतु आंतरिक नीति तैयार किया जाना

एचईआई / विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित मार्गदर्शी बिंदुओं को शामिल करके शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया के साथ–साथ अपने पाठ्यक्रम के लिए अपनी विस्तृत आंतरिक नीति और प्रक्रियाएं तैयार करने की आवश्यकता है।

6.10.1 पाठ्यक्रम से छात्रों को उन्नत जानकारी मिलनी चाहिए कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा, उन्हें किस प्रकार के क्रियाकलापों को आरंभ करने की आवश्यकता होगी और उनका मूल्यांकन कैसे और क्यों किया जाएगा।

6.10.2 नई शिक्षण और ज्ञान अर्जन कार्यनीतियों को सुगम्य पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने और प्रदान करने की प्रतिबद्धता को उद्धृत करना चाहिए।

6.10.3 विभिन्न छात्र क्षमताओं, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए सहायता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षण विधियों, ज्ञान अर्जन के परिणामों और मूल्यांकन डिज़ाइन को शामिल करके मौजूदा पाठ्यक्रम को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

6.10.4. पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए विशेषज्ञ समिति को नियमित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करना चाहिए जो पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु पहुंच संबंधी मामलों का समाधान कर सकता हो।

6.10.5 संस्थानों को शिक्षण और ज्ञान अर्जन के संबंध में एक कार्यप्रणाली संहिता विकसित करनी चाहिए जिसके लिए छात्रों को पहले ही व्याख्यान नोट्स, स्लाइड अथवा अन्य पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होती है। सांकेतिक भाषा सहायता सेवाएं (जैसे संकेत भाषा दुभाषिया, रिले सेवाएं, प्रशिक्षण, सेवाओं के रूप में प्रौद्योगिकी समाधान आदि) भी जहां भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6.10.6 एचईआई/विश्वविद्यालयों को पहुंच संबंधी पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षण–ज्ञान अर्जन प्रक्रिया पर अपने संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए (उदाहरण के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र, संवर्धक और वैकल्पिक पद्धतियों, संचार के विविध साधनों और प्रारूपों, आदि का उपयोग करना) अथवा संकाय सदस्यों को उचित संसाधनों से समान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

.....

7

सुगम्यता का आकलन और परीक्षा प्रणाली

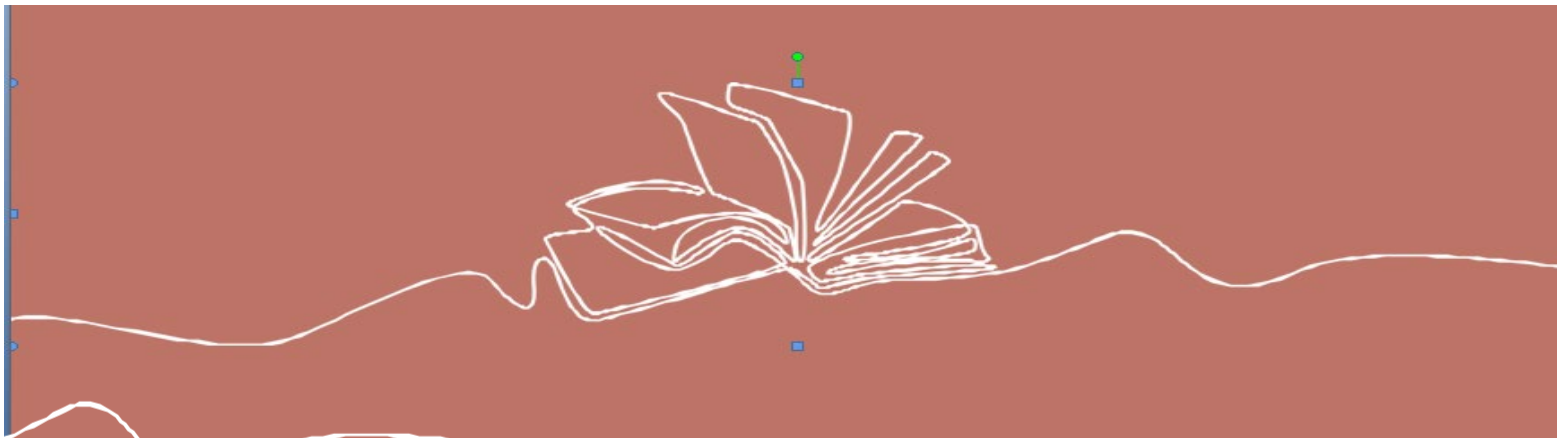

7

सुगम्यता का आकलन और परीक्षा प्रणाली

शिक्षा तक पहुंच केवल एक सुलभ पाठ्यक्रम और सुलभ मूल्यांकन अथवा परीक्षा प्रणालियों हेतु प्रावधान करने के साथ संभव हो सकती है। मूल्यांकन का विविधीकरण, विभिन्न क्षमताओं और दिव्यांगता वाले छात्रों को अपने ज्ञान अर्जन का प्रदर्शन करने में मदद करता है। पारंपरिक और गैर–लचीली मूल्यांकन विधियां, विशेष कौशल और प्राथमिकताओं वाले छात्रों का साथ देती हैं और यह उन छात्रों के एक विशेष समूह के लिए अच्छी तरह से काम करती है जिनके पास दबाव में बेहतर स्मरण शक्ति होती है और जिनकी कोई दिव्यांगता नहीं है। इसलिए, एचईआई को एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में व्यापक मूल्यांकन विधियों को अपनाना चाहिए जो छात्रों की एक बड़ी संख्या को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। एक सुलभ परीक्षा प्रणाली छात्रों के बीच समानता, समावेशन, भागीदारी और साथ मिलकर कार्य करने में योगदान देती है जो छात्रों के इष्टतम ज्ञान अर्जन के परिणाम, संतुष्टि और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है।

7.1 सुगम्य मूल्यांकन की आवश्यकता

एक सुगम्य मूल्यांकन करना, छात्रों की विविध प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं, क्षमताओं का अनुमान लगाकर और स्वाभाविक लचीलापन और अग्रिम समायोजन प्रदान करने की एक प्रक्रिया ही है। यह समान स्तर प्रदान करता है और छात्रों की दिव्यांगता की बजाय उनके ज्ञान की परीक्षा लेने की अनुमति देता है। कोई भी आशोधन जो नियमित कक्षा में किया जाता है जो दिव्यांगजन की मदद करता है, उसे परीक्षण के दौरान भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7.1.1. **ज्ञान अर्जन का मूल्यांकन लचीला होना चाहिए** और इसमें आवश्यक छूट, अनुकूलन अथवा आशोधनों का उपयोग किया जाएगा। एक छात्र की विविध जरूरतों को समायोजित करने के लिए एक विशिष्ट साधन अथवा एक उपकरण अथवा एक कार्यनीति का उपयोग किया जाना चाहिए। ब्रेल, बड़े प्रिंट, स्क्रीन रीडिंग उपकरणों का उपयोग, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो मूल्यांकन प्रक्रिया में न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, अनुकूलन अथवा संशोधन, अनुदेश के स्तर अथवा पद्धति में परिवर्तन हैं जो एक छात्र को अपनी विशिष्ट दिव्यांगता के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है।

7.1.2. **सुलभ मूल्यांकन किसी भी मूल्यांकन की एक अभिन्न अथवा अंतर्निहित विशेषता होनी चाहिए**। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित छात्र स्क्रीन रीडर का उपयोग करके परीक्षा तक पहुंच बना सकते है अथवा छात्र प्रश्नों को देखने के लिए उन्हें अपने तरीके को अपनी सुविधानुसार परिवर्तित कर सकते हैं (उदाहरण के लिए फॉन्ट प्रकार, आकार अथवा रंग) अथवा 'टेक्स्ट टू स्पीच' सॉफ्टवेयर प्रश्नों के पाठ को ऊँची आवाज में पढ़ सकता है। यह ऐसे छात्रों की मदद कर सकता है जो डिस्लेक्सिक हैं अथवा दृष्टिबाधित हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के अर्थ अथवा संबद्ध संसाधनों के साथ पहुंच बना सकते हैं।

7.2. मूल्यांकन प्रक्रिया को सुगम्य बनाना

मूल्यांकन प्रक्रिया को सुगम्य बनाने के लिए, परीक्षा प्रक्रिया अथवा सामग्री, समय, सेटिंग, शेड्यूलिंग, प्रस्तुतिकरण अथवा प्रतिक्रिया प्रारूप में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होती है। सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए और उनके उपयोग को

प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपयोग में लाए गए आशोधन से परीक्षाओं के प्राप्तांकों के अर्थ अथवा तुलनात्मकता को नहीं बदला जा सकता है।

दिव्यांगजनों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए अनेक स्थितियों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

7.2.1. यदि परीक्षा देने वाला अभी तक अपर्याप्त अनुदेशों के कारण लक्ष्य कौशल में महारत हासिल नहीं कर पाया है, तो परीक्षा देने वाले को मूल्यांकन से पूर्व एक विस्तारित अथवा अनुकूलित ज्ञान अर्जन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

7.2.2 यदि छात्रों में परीक्षा के प्रश्नों तक पहुंच बनाने के लिए आवश्यक क्षमताओं की कमी है, तो कुछ दिव्यांगताओं के कारण वे कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए कि पहुंच कौशल किस प्रकार विकसित किया जाए।

7.2.3 यदि छात्र सीमित पहुंच के कारण खराब प्रदर्शन करता है, तो पहुंच प्राप्त करने के कौशल विकसित करें अथवा परीक्षा मद में आशोधन करें। उदाहरण के लिए, गणित का मूल्यांकन, पढ़ने के कौशल पर काफी अधिक बोझ डाल सकता है और जो कि बाद में गणित कौशल के बजाय पढ़ने संबंधी कठिनाइयों के कारण पहुंच संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है।

7.2.4 यदि छात्र किसी परीक्षा की मद, विसंगतियों, चूक अथवा अपर्याप्त निदेश में त्रुटि से संबंधित डिज़ाइन खामियों के कारण अनुपयुक्त कार्य प्रस्तुति के चलते खराब प्रदर्शन करता है, तो मूल्यांकन/परीक्षण की त्रुटिरहित डिज़ाइन और पहुंच के लिए ठीक से जांच की जानी चाहिए थी/मॉडरेट किया जाना चाहिए था।

मूल्यांकन को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि परीक्षा में (प) परीक्षा के सुगम्य परीक्षा प्रश्न हों, (पप) छूट प्रदान करने के लिए उपयुक्त कसौटियों (पपप) सरल, स्पष्ट और सहज ज्ञानयुक्त निदेश और प्रक्रिया, (पअ) अधिकतम पठनीयता और बोध क्षमता, (अ) अधिकतम स्पष्टता हो।

7.3. दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षाओं में छूट हेतु मौजूदा प्रावधान

'बेंचमार्क' दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डीओईपीडब्ल्यूडी द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2018 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2019 को जारी की गई अधिसूचना एफ. संख्या 6–2/2013 (एससीटी) के माध्यम से निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं।

7.3.1 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 29 (त) के तहत परिभाषित 'बेंचमार्क' दिव्यांगता से ग्रसित किसी भी व्यक्ति को यदि लेखन संबंधी समस्याएं हैं, जिसमें लेखन संबंधी गति भी शामिल है यदि उसके द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है (दृष्टिबाधित, चलने–फिरने सबंधी दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित–बीए और सेरेब्रल पाल्सी) तो उसे स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

7.3.2. 'बेंचमार्क' दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों को, जहां तक संभव हो, परीक्षा देने के लिए पद्धति का चुनाव करने अर्थात् ब्रेल, अथवा कम्प्यूटर में अथवा बड़े प्रिंट में अथवा यहां तक कि उत्तर आदि को दर्ज करने का विकल्प दिया जाना चाहिए क्योंकि जांच करने वाला निकाय, प्रश्न–पत्र को बड़े प्रिंट, ई–टेक्स्ट अथवा ब्रेल में परिवर्तित करने के लिए आसानी से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, वे ब्रेल पाठ को अंग्रेज़ी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में भी परिवर्तित कर सकते हैं।

7.3.3. प्रतिपूरक समय (अर्थात् अतिरिक्त समय) उन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम नहीं होना चाहिए जिन्हें लेखक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक का उपयोग करने की अनुमति है।

7.3.4. अभ्यर्थियों को परीक्षा में 'टाकिंग' कैलकुलेटर जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए (ऐसे मामले में जहां कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति है), 'टेलर' फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्यामिति किट, ब्रेल मापने वाले टेप और 'कम्यूनीकेशन' चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे एएसी उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

7.3.5. परीक्षा के दौरान भ्रम अथवा अनावश्यक ध्यान बंटने से बचने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले बैठने की उचित व्यवस्था (बेहतर हो कि भूतल पर व्यवस्था की जाए) की जानी चाहिए। परीक्षा केंद्र दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य होना चाहिए।

7.3.6. परीक्षा लेने वाले निकाय को 'ओपन बुक' परीक्षा के लिए ब्रेल अथवा ई–टेक्स्ट अथवा उपयुक्त स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाले कम्प्यूटर पर पढ़ने की सामग्री भी उपलब्ध करानी चाहिए। इसी प्रकार, ऑनलाइन परीक्षा सुगम्य प्रारूप में होनी चाहिए अर्थात, वेबसाइट, प्रश्न–पत्र और अन्य सभी अध्ययन सामग्री इस संबंध में निर्धारित किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुगम्य होनी चाहिए।

7.3.7. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दृश्य आदानों की आवश्यकता वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न देने की मौजूदा नीति के साथ–साथ, श्रवण संबंधी दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए विवरणात्मक प्रश्नों के बदले वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाने चाहिए।

(ब्योरे के लिए, संपूर्ण दिशानिर्देश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अथवा https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7348678_Guidelines_Exam-Divyangjan-JAN-2019.pdf पर देखा जा सकता है।)

7.4. सुलभ और लचीली मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार करना

विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा संस्थान, मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिकाधिक सुगम्य और लचीला बनाने के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों की और सहायता करने पर विचार कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिव्यांग व्यक्ति को प्रदान की गई सहायता अथवा उचित छूट, मामला दर मामला आधार पर होगी और व्यक्ति की दिव्यांगता की सीमा अथवा प्रतिशत पर आधारित न होकर व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकता पर आधारित हो। इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति जो 'बेंचमार्क' दिव्यांगता (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) से ग्रसित नहीं हो, उसे उनकी विशिष्ट मूल्यांकन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रकार की उचित छूट/रियायत प्रदान की जा सकती है।

7.4.1. मूल्यांकनकर्ता परीक्षा की मदों की संख्या को कम करके कार्य की प्रमात्रा को कम करने पर विचार कर सकता है। ऐसा करते समय मूल्यांकनकर्ता दिव्यांग अभ्यर्थी से परामर्श कर सकता है।

7.4.2. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की छूट के लिए बार–बार छात्र की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। व्यक्तिगत रूप से छात्रों को अपने मूल्यांकन के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। छात्र को परिचित होना चाहिए और 'टर्म–एंड' अथवा अंतिम परीक्षाओं से पूर्व कक्षा परीक्षाओं में समान छूट और संशोधनों का लाभ उठाया जाना चाहिए।

7.4.3. यदि संभव हो तो अंतिम परीक्षा से एक अथवा दो दिन पूर्व, 'प्री–टेस्ट' देकर छात्र को परीक्षा के लिए तैयार करें। किसी परीक्षा के लिए छात्रों में आत्मविश्वास का संचार करने और परीक्षा के लिए सुखकर स्थिति में लाने के लिए, जोड़े अथवा छोटे समूहों में समान परीक्षाओं का अभ्यास करें। अभ्यर्थी एक सहपाठी अथवा वयस्क (लेखक) को किसी परीक्षा के उत्तर लिखवा सकता है, परीक्षा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दें। छात्रों को परीक्षा में प्रदान की जाने वाली छूट और संशोधनों के बारे में

स्व–मूल्यांकन वार्ता के माध्यम से अपने मुद्दों और चुनौतियों का वर्णन करने के अवसर प्रदान करें।

7.4.4. बहुविकल्प वाले प्रश्नों की परीक्षा देते समय जहां 'ए, बी, सी, डी' विकल्प के रूप में उत्तर दिया जाना होता है, बड़े अक्षरों का उपयोग करें और छात्रों को 'ए, बी, सी, डी' विकल्प के रूप में उत्तर देने के लिए कहें ताकि 'बी' और 'डी' के बीच होने वाले भ्रम से बचा जा सके जोकि एक विशिष्ट ज्ञान अर्जन संबंधी दिव्यांगता से ग्रसित छात्र को समान दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं में 'उपरोक्त सभी' अथवा 'उपरोक्त में से कोई नहीं' के विकल्पों को समाप्त करें। सही/गलत, बहुविकल्पीय प्रश्नों, मिलान करने, छोटे उत्तर अथवा निबंध स्वरूप के प्रश्नों जैसे अलग–अलग प्रारूप रखें। यदि संभव हो तो, वैकल्पिक परीक्षा दें।

.....

8

संसाधनों तथा सेवाओं तक पहुंच

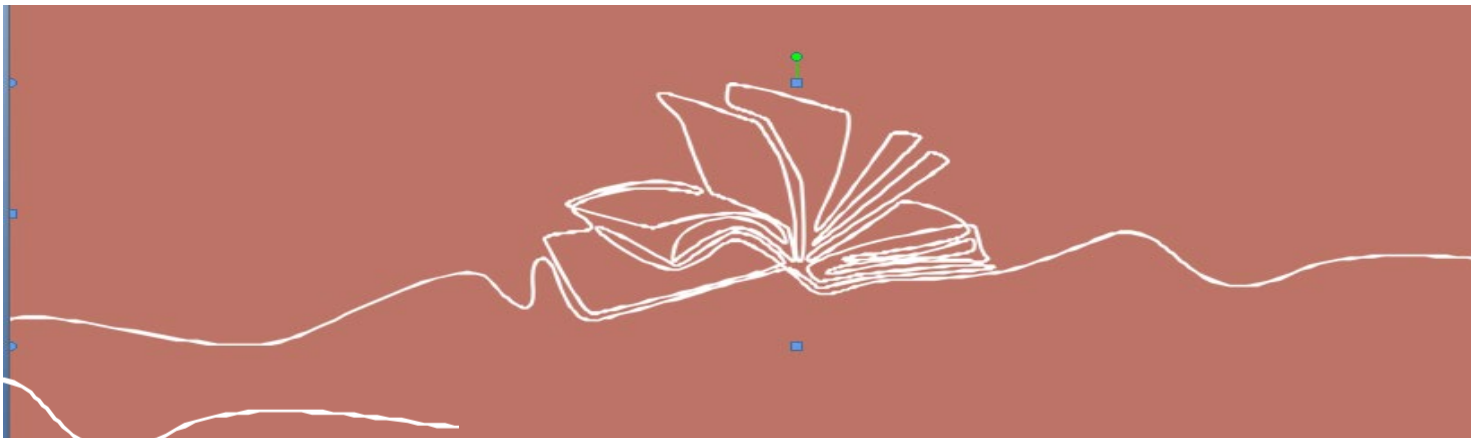

8

संसाधनों तथा सेवाओं तक पहुंच

उपकरणों/संसाधनों की व्यवस्था करने से इस उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि सेवाओं को प्रदान करने और प्रणाली के प्रचालन पर प्रभावी ढंग से बल नहीं दिया जाता है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत सभी इकाइयों को दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सतत् लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और बिना किसी भेदभाव के समान आधार पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। जहां दिव्यांगजनों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वहां पारदर्शी तरीके से हर स्तर पर इसका समाधान करने के लिए तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। विशेषरूप से, पहुंच सुनिश्चित करने और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्तर पर एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया जाना चाहिए।

8.1 समावेशी पद्धति से संसाधनों तथा सेवाओं का समेकन

संसाधन एकीकरण का अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है, जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थापना की इकाइयों के भीतर अथवा इसमें शामिल अन्य प्रतिष्ठानों के साथ संसाधानों की तैनाती, समूहीकरण, साझाकरण और संसाधनों के आदान–प्रदान को अपनाता है जहां इकाइयों के बीच उचित समन्वय होता है। उच्चतर शिक्षा संस्थान में विभिन्न इकाइयां वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वास्तविक, शिक्षण–ज्ञान अर्जन, ज्ञान, सॉफ्टवेयर आदि जैसे विभिन्न संसाधनों को एकीकृत कर सकती हैं। संसाधनों के इस तरह के एकीकरण से दिव्यांगजनों को आवाजाही और सेवाओं के साथ–साथ सभी इकाइयों तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

निशक्त व्यक्तियों के लिए सक्षमकारी इकाइयों का सृजन, समान अवसर प्रकोष्ठ आदि ऐसी पहल हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बाधामुक्त पहुंच प्रदान करने, समन्वय सेवाओं और सहायक प्रौद्योगिकियों के प्रावधान, जागरूकता पैदा करने और सामना की जाने वाली चुनौतियों अथवा कठिनाइयों से निपटने से जुड़े मुद्दों को हल करने की मंशा के साथ पहले ही शुरू कर दिया है। तथापि, इस संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा निम्नलिखित उपाय भी अपनाए जा सकते हैं:

8.1.1 प्रवेश पूर्व संसाधनों/सेवाओं का समकेन

दिव्यांगजनों की पहचान की गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं को समायोजित करने के लिए एक सक्रिय व्यापक प्रणाली विकसित की जा सकती है। दिशानिर्देशों को दिव्यांगजन (वास्तविक और/अथवा ऑनलाइन) की सहायता करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र के साथ विकसित किया जाना चाहिए और पूरी तरह से प्रचालन–संचार प्रणालियों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसे अधिकारियों को नामित कर सकते हैं जो उठाई गई आपत्तियों का समाधान करेंगे अथवा प्रवेश प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का हल करेंगे। प्रवेश संबंधी जानकारी को नामित अधिकारियों के संपर्क विवरण के साथ एक अलग कॉलम में ऑडियो/वीडियो पद्धति में प्रक्रिया के पूर्ण विवरण के साथ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

8.1.2 संसाधनों की उपलब्धता

आवश्यकताओं की पहचान करने के बाद सभी आवश्यक उपकरण/सेवाओं को सभी इकाइयों (जैसे पुस्तकालय, फोटोकॉपी सेवा क्षेत्र, प्रयोगशालाओं, संसाधन केंद्रों आदि) में उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त संसाधनों और सेवाओं को न्यूनतम समय अंतराल के साथ तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

8.1.3 उपचारी कक्षाएं

उच्चतर शिक्षा संस्थान, दिव्यांगजनों को उनके अध्ययन में सहायता करेंगे। शिक्षण–ज्ञान अर्जन संबंधी पहलुओं से संबंधित सभी मुद्दों को समय पर हल किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रारूपों और पद्धतियों से उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। तथापि, संकाय सदस्य भी स्वेच्छा से उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने के लिए आगे आ सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थान, वर्तमान दिशानिर्देश जारी करने के बाद उपचारात्मक कक्षाओं के लिए अपनी सहमति प्रदान करने वाले दिव्यांगजनों की संख्या का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। (संदर्भः उपचारात्मक कक्षाओं के वित्तपोषण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना को देखें।)

8.1.4 ई–विषयवस्तु का समेकन

उच्चतर शिक्षा संस्थान, विभिन्न प्रौद्योगिकी–आधारित प्लेटफार्मों जैसे 'स्वयं'/'दीक्षा' आदि को दिव्यांगजनों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण–ज्ञान अर्जन के साथ एकीकृत करेंगे। जहां कहीं भी ई–सामग्री उपलब्ध कराई गई है अथवा उपलब्ध कराई जा रही है, इसे सभी दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य विभिन्न प्रारूपों में प्रदान किया जाएगा।

8.1.5 छात्रवृत्ति और लाभकारी योजनाएं

दिव्यांग छात्रों को समय–समय पर विभिन्न सरकारी, निजी अथवा अन्य छात्रवृत्तियों अथवा लाभकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु सहायता के साथ उपयुक्त और सुलभ जानकारी प्रदान की जाएगी।

8.1.6 प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण और नियोजन संबंधी सेवाएं

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिव्यांगजन द्वारा उनके डिग्री कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता और समर्थन करना चाहिए। व्यापक रूप से दिव्यांगजनों के लिए रोजगार योजनाओं, महत्वपूर्ण तिथियों, आवेदन प्रक्रियाओं आदि के बारे में विभिन्न अधिसूचनाएं सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध कराई जाएंगी। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रशिक्षुता अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रगत अथवा व्यावहारिक शिक्षा के लिए विभिन्न उद्योग भागीदारों, निकायों और विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ जुड़ने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, साथ ही उनमें अंतिम रूप से नियोजन हेतु संभावनाओं की भी तलाश करनी चाहिए।

संभावित नियोक्ताओं और छात्र समुदायों, दोनों में समावेशी रोजगार और दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों का एक नियमित क्रियाकलाप होगा।

8.2 स्वास्थ देखभाल और परा–चिकित्सा सुविधाएं

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 25 (1) और (2) के अनुसार सभी दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल और उन्हें परा–चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली को अपनाना चाहिए। इन उपबंधों के अनुपालन से प्रणाली का प्रचालन आरंभ होगा। दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल के लिए बिंदु 8.1 के पैरा और उप–पैरा को लागू किया जा सकता है।

विविध दिव्यांगताओं के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों में सुगम्यता सम्प्रेषण सहायक प्रणाली जैसे भारतीय सांकेतिक भाषा आशु अनुवाद, 'स्पीच टू टेक्स्ट' संपरिवर्तन सुविधाओं, मूक बधिरों आदि के लिए स्पर्श संकेत भाषा सहायता आदि शामिल की जानी चाहिए।

8.3 ग्रंथालय सुविधाएं

ग्रंथालय छात्रों के ज्ञान की बुनियाद को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निशक्त व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकालयों में निशक्त पाठकों की सहायता करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के अलावा बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीके से संरचित पुस्तकालय भवन, वैकल्पिक प्रारूपों में पठन सामग्री, सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ पुस्तकालय सेवाओं की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। एक प्रतिष्ठान में अनेक पुस्तकालयों के मामले में, संस्थान को दिव्यांगजन पाठकों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के बीच सूचना का आदान–प्रदान, संसाधनों को साझा करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। दिव्यांगजन की विभिन्न स्वरूपों की दिव्यांगताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संसाधन/सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इन्हें इन दिशानिर्देशों के अध्याय 2 और 3 के उपबंधों के साथ जोड़ कर पढ़ा जाना चाहिए।

8-3-1 शारीरिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ग्रंथालय सुविधाएं

शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को पुस्तकालय तक पहुंच बनाने के दौरान कुछ भौतिक कार्यों को करने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। पुस्तकालय सहायता प्रदान करेगा, समायोज्य फर्नीचर, स्व–सेवा परिसंचरण स्टेशनों, सुलभ शौचालयों, सुलभता से चलने–फिरने के लिए संकेत ताकि शारीरिक रूप से दिव्यांगजन पाठक की सहायता की जा सके। तथापि, उच्चतर शिक्षा संस्थान, यदि उनमें इन सुविधाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है तो, शारीरिक रूप से दिव्यांगजन पाठकों के लिए पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध रहेंगे।

8.3.2 दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ग्रंथालय सेवाएं

दृष्टिबाधित व्यक्तियों और 'प्रिंट' संबंधी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों को जेएडब्ल्यू, एनवीडीए, सुपर ओवीए, कुर्जवील आदि जैसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर की सहायता से आवर्धक, डिजिटल सुलभ सूचना प्रणाली, डिजीटल कैटलॉग, वेब–ब्रेल सिस्टम, स्क्रीन रीडर और स्क्रीन आवर्धक की सेवा प्रदान करना, बड़ी छपाई वाली पुस्तकों, स्कैनर, ओसीआर रीडर के माध्यम से दस्तावेजों को परिवर्तित करना, वैकल्पिक प्रारूप सेवाएं, 'टॉकिंग नोटिस बोर्ड', विशिष्ट स्थानों पर स्पर्श मानचित्रों की व्यवस्था, सुलभ वेबसाइटों और डिजिटल पुस्तकालयों की व्यवस्था करना अपेक्षित होता है।

8.3.3 बहरेपन और श्रवण संबंधी दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए ग्रंथालय सेवाएं

ग्रंथालयों को श्रवण सहायक उपकरणों, संवर्धक और वैकल्पिक संचार उपकरणों, 'क्लोज़्ड एंड ओपन कैप्शनिंग वीडियो' लूप सिस्टम, ऑडियो लूप और काउंटर लूप; भारतीय सांकेतिक भाषा और दूरसंचार उपकरणों आदि के साथ बहरापन अथवा श्रवण संबंधी दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों को भी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि पुस्तकालयों में ऐसे पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

8.3.4 संज्ञानात्मक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए ग्रंथालय सेवाएं

इसके अतिरिक्त, संज्ञानात्मक और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पुस्तकालयों में उचित सेवा भी प्रदान की जानी चाहिए और उनकी जरूरतों के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों को प्रवेश देने के बाद पुस्तकालयों को ऐसे छात्रों की ज़रूरतों का आकलन करना चाहिए और ज्ञान अर्जन और बोध संवर्धन के लिए 'पठन हेतु सुलभ' अथवा 'साधारण भाषा' में विषयवस्तु, बड़ी छपाई वाले प्रिंट, श्रवण विषयवस्तु, बोले गए शब्दों का संग्रहण, डेजी प्रारूप में 'ऑडियो और वीडियो' जैसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

8.4 शिकायत निवारण प्रणाली (जीआरएम)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी दिनांक 06 मई, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 नामक विनियम जारी किए हैं जिसमें महाविद्यालय, विभागीय, संस्थागत और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के गठन के उपबंध को भी शामिल किया गया है। साथ ही, उस पर अपील की सुनवाई करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति को भी एक सांविधिक अपेक्षा बना दिया गया है। चूंकि, निशक्त व्यक्तियों द्वारा दर्ज शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इसलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विशेषरूप से इन दिशानिर्देशों के माध्यम उठाए गए मुद्दों पर एसजीआरसी के माध्यम से भेजी गई दिव्यांगजनों की शिकायतों का समाधान करने के लिए विशिष्ट उपबंध करने चाहिए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिव्यांगजनों के लिए एक सक्रिय और सुलभ शिकायत कार्रवाई तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वेबसाइट पर जीआरएम के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और शिकायतों को ई–मेल द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी सभी शिकायतों को प्रस्तुत किए जाने के 15 दिनों के भीतर उनका समाधान किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए कि किसी विशेष प्रकार की शिकायत की पुनरावृत्ति न हो। ऐसी शिकायतों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए और मांगे जाने पर उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगले संशोधन के दौरान दिव्यांगजनों से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए विनियमों को अद्यतन किया जाएगा। {विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 देखें}

वर्तमान दिशानिर्देशों सहित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किए जाने पर अधिनियम की धारा 89 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

8.5 सामान्य व्यवस्थाएं

8.5.1 उपस्करों अथवा उपकरणों की मरम्मत/रखरखाव

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पास निशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए उपस्कर/उपकरणों आदि का उचित रिकॉर्ड होगा और ऐसे उपस्कर/उपकरणों के संबंध में तकनीकी जानकारी होगी। निशक्त व्यक्तियों को उपकरणों को बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इनकी समय से बिना किसी विलम्ब के मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है। पैनलबद्ध विक्रेताओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि विभिन्न विभाग इसका उपयोग कर सकें।

8.5.2 अभिलेखों का रख–रखाव

उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दिव्यांगजनों को प्रवेश दिए जाने के समय, दिव्यांगजनों द्वारा अपेक्षित सभी विशिष्ट आवश्यकताओं को एक विनिर्दिष्ट प्रकोष्ठ/इकाई/व्यक्ति के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रस्तुतियों को तैयार करने में दिव्यांगजनों की सहायता की जानी चाहिए। यह संस्थानों को उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करेगा और ऐसे ज़रूरतमंद छात्र की सहायता के लिए कार्य योजना बनाएगा। प्रदान की गई सुविधाओं और तत्संबंधी अन्य जानकारी का एक उचित समेकित रिकॉर्ड का प्रतिष्ठानों द्वारा रखरखाव किया जाना चाहिए।

8.5.3 कर्मचारी/संकाय/छात्रों की क्षमता निर्माण

विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को समझने के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और किसी विशेष इकाई में प्रवेश करते समय आवश्यक संसाधन/सेवाएं प्रदान करने के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

.....

9

समावेशी कैम्पस जीवन

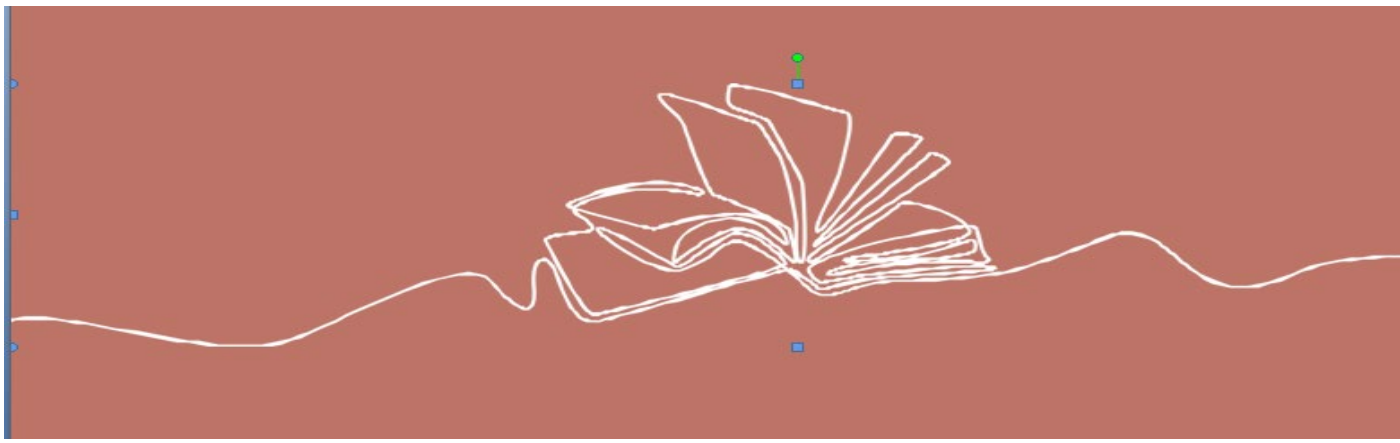

9

समावेशी कैम्पस जीवन

किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में एक समावेशी कैम्पस जीवन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जोकि इस बात पर विचार करता है कि किस प्रकार संस्कृति को बदलकर दिव्यांग संकाय और कर्मचारियों को पूरी तरह से कैसे अपनाया जाए और न केवल सुगम्यता सुनिश्चित कर और आवश्यकता आधारित विशिष्ट आवास प्रदान किए जाएं बल्कि विविधता के प्रभावी समावेश के लिए सम्मान और गरिमा का परिवेश भी तैयार किया जाए।

विभिन्न सांविधिक अनुपालनों को पूरा करने के अलावा, विभिन्न अवरोधों पर दिव्यांग कर्मचारियों और संकाय से एक प्रतिक्रिया प्रणाली तैयार करने से दिव्यांगजनों के समावेशी कैम्पस जीवन को सुदृढ़ करने में बहुत मदद मिलेगी।

9.1 समावेशी 'कैम्पस' जीवन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को समावेशन के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाना और घोषित करना चाहिए जो उच्चतर शिक्षा में समानता, सुगम्यता, अवसर और दिव्यांगजनों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और उनके विरूद्ध भेदभाव को कम करने में योगदान देते हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को इस सिद्धांत द्वारा निर्देशित होना चाहिए कि सभी दिव्यांगजनों के पास निम्नवत है:

- शिक्षा तक पहुंच बनाने और इसमें भागीदारी करने का अधिकार।
- ज्ञान अर्जन की क्षमता; और
- उन्हें उनके स्वयं के शिक्षा संबंधी अनुभवों का प्रबंधन करने में उनकी अभिव्यक्ति, विकल्प को अपनाने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार।
- अपनी पूरी क्षमता तक विकास करने और समुदाय में सक्रिय महत्वपूर्ण नागरिक होने का अधिकार।
- संसाधनों के उचित और पर्याप्त आवंटन का अधिकार ताकि शिक्षा में सार्थक रूप से पहुंच और भाग लेने के उनके अधिकार को सक्षम बनाया जा सके।
- सुरक्षित होने का अधिकार – शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से और सम्मानपूर्वक व्यवहार किए जाने का अधिकार।

9.2 समावेशिता हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों को तैयार करना

उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में नेतृत्व को कैम्पस मे वृहत्तर समावेशी जीवन हेतु तैयार करने के लिए निम्नवत पर ध्यान देना चाहिए:

9.2.1 दिव्यांगता के प्रति उचित रवैया

कैम्पस की संस्कृति को एचईआई के प्रशासन और संकाय के दृष्टिकोण तथा जिस दृष्टि से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के हितधारकों द्वारा दिव्यांगताओं को देखा जाता है उससे आकार दिया जाता है। यहां तक कि जब छात्र सीधी शत्रुता का अनुभव नहीं करते हैं, अनेक व्यक्ति उनके प्रति एक सामान्य विचार बना लेते हैं और वे कलंक जैसे अवरोधों का लगातार सामना करते रहते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक समावेशी परिसर तैयार करते हुए दिव्यांगजनों

के विरूद्ध सामान्य पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए नेतृत्व को सभी स्तरों पर शामिल होने की आवश्यकता है।

9.2.2 समावेशी परिवेश तैयार करना

छात्रों को एक विविध, समावेशी कैम्पस के परिवेश से लाभ होता है, जो उन्हें कामकाजी और नागरिक और सामुदायिक जुड़ाव के लिए तैयार करने में मदद करता है। एक पूरी तरह से समावेशी परिवेश तैयार करना दिव्यांगता समावेशन के बोध को बढ़ाने की एक सतत् यात्रा है, इस प्रकार यह हमेशा विकसित और परिवर्तित होती रहेगी और इसके लिए दिव्यांगजनों के साथ निरंतर बातचीत और भागीदारी की आवश्यकता होगी।

9.2.3 समावेशी संस्कृति का सतत् सुदृढ़ीकरण

उच्चतर शिक्षा संस्थानों का नेतृत्व, सभी स्तरों पर मार्गदर्शन, संदेश का प्रसार और समावेश में सुधार का मापन करेगा। सभी कर्मचारियों की उसमें भूमिका होनी चाहिए, और समावेशिता में अपना योगदान देना चाहिए। जमीनी स्तर पर संकाय, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा एक साथ मिलकर कार्य किया जाना चाहिए जिसमें निदेशक, संकाय अध्यक्ष, कुलपति, अथवा प्रोवो के स्तर पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिन्हें सतत् रूप से तथा सार्वजनिक रूप से दिव्यांगता विविधता और समावेश की भावना को अंगीकार करना चाहिए।

9.2.4 'कैम्पस' में उचित भाषा का उपयोग

दिव्यांगता और दिव्यांगजनों को संदर्भित करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा हतोत्साहित करने वाली सकती है। दिव्यांगता के प्रति क्षतिकारक दृष्टिकोण अथवा कलंक को बदलने का एक तरीका, जानबूझकर अधिक समावेशी भाषा का उपयोग करना है जो लोगों की छवियों और अपेक्षाओं को सम्मानित करता है। विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले दिव्यांगजन की सकारात्मक छवियों का उपयोग करना भी दिव्यांगता को परिचित कराने में मदद कर सकता है। दिव्यांगता के बारे में बात करना और समावेशी भाषा का उपयोग करने की शुरूआत इस बात से होती है कि हम दिव्यांगता, विविधता और समावेश जैसी सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणाओं को किस प्रकार परिभाषित करते हैं।

9.3 आवासीय निवास स्थानों/छात्रावासों में सुगम्यता

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परिसर स्थित आवासीय निवास स्थानों और छात्रावासों में सीढी–मुक्त प्रवेश द्वार, चौड़े दरवाजे, पहुंच योग्य शौचालय, कम ऊंचाई पर स्थित नियंत्रण प्रणालियों जैसे सार्वभौमिक डिज़ाइन के आधार पर सुगम्यता को शामिल करना चाहिए। मौजूदा आवास को रेट्रोफिटिंग द्वारा सुगम्य बनाया जाना चाहिए और परिसर में दिव्यांगजनों को भू–तल पर आवास आवंटित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिव्यांग संकाय अथवा ऐसे कर्मचारी, जिनके पति अथवा पत्नी दिव्यांग हों अथवा बच्चे दिव्यांग हों, को भी उस प्राथमिकता के आधार पर सुगम्य आवास आवंटित किए जाने चाहिए।

इस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित ऐसे दिव्यांगजनों के लिए छात्रावासों में कक्ष के आवंटन के लिए एक समावेशी मॉडल सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि वे छात्रावास के परिवेश में अच्छी तरह से वितरित हो जाएं। तथापि, यह केवल तभी संभव होगा जब एक छात्रावास को सार्वभौमिक सुगम्य सुविधाओं के लिए तैयार अथवा 'रेट्रोफिट' किया गया हो।

9.4 अतिथि गृह

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सभी अतिथि गृहों अथवा अतिथि आवास सुविधाओं को सार्वभौमिक डिज़ाइन–आधारित सुगम्य सुविधाओं के साथ तैयार/'रेट्रोफिट' और प्रबंधित किया जाएगा ताकि यह व्यापक रूप से दिव्यांग अतिथियों के लिए सुगम्य रहें। इसका तात्पर्य है कि ऐसा करने के लिए सुगम्य तथा समावेश को मुख्य अवधारणाओं के रूप में विकसित करना होगा।

9.5 सम्मेलन संबंधी सुविधाएं/ सामान्य सुविधाएं

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसर में सभी सामान्य सुविधाएं और सम्मेलन हेतु सुविधाएं, वास्तुकला सुगम्यता और आईसीटी सुगम्यता का अनुपालन करते हुए पहुंच योग्य होनी चाहिए ताकि सभी दिव्यांगजन दूसरों के समतुल्य, समान आधार पर बिना किसी भेदभाव के उनमें भाग ले सकें।

9.6 विश्वविद्यालयों में भौतिक/सांस्कृतिक/खेल–कूद का संवर्धन

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को न केवल संस्कृति, विश्राम और खेल–कूद के लिए 'फिज़िकल स्पेस' में पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजनों के लिए ब्लाइंड क्रिकेट, पैरालंपिक समिति आदि जैसे राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ साझेदारी में विभिन्न खेल विधाओं को तैयार किया जाए और शामिल किया जाए और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। इसमें दिव्यांगता के बारे में मिथकों को तोड़ने और दिव्यांगजनों को शिक्षा के अलावा अन्य विषयों में स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करने की क्षमता है। उच्चतर शिक्षा संस्थान, विभिन्न स्तरों पर खेल पाठ्यक्रम भी चला सकते हैं।

9.7 अन्य महाविद्यालयों के बीच/महाविद्यालय के भीतर क्रियाकलाप

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न विषयों में दिव्यांगजनों को शामिल करते हुए अन्य महाविद्यालयों के बीच और अन्य विश्वविद्यालयों के बीच, अन्य संस्थानों के बीच क्रियाकलापों को बढ़ावा देना चाहिए, सहायता प्रदान करनी और आयोजन करना चाहिए। ऐसे क्रियाकलाप, प्रतियोगिताएं हमेशा दिव्यांगजनों के बीच नहीं होनी चाहिए बल्कि दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ समान आधार पर ऐसे सभी क्रियाकलापों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए।

9.8 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने और यात्रा करने के अवसर दिए जाएंगे। यात्रा करने के लिए, उपयुक्त आवास, जहां आवश्यक हो, साथ में किसी व्यक्ति/देखभालकर्ता की सहायता प्रदान की जाए और दिव्यांगजनों द्वारा मांगी गई अन्य विशिष्ट सहायता को कार्यक्रम के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और उसका वित्तपोषण किया जाना चाहिए ताकि वे परिसर में निवास कर रहे गैर–दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध अवसरों का भी उपयोग कर सकें।

.....

10

सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों का अभिशासन और निगरानी

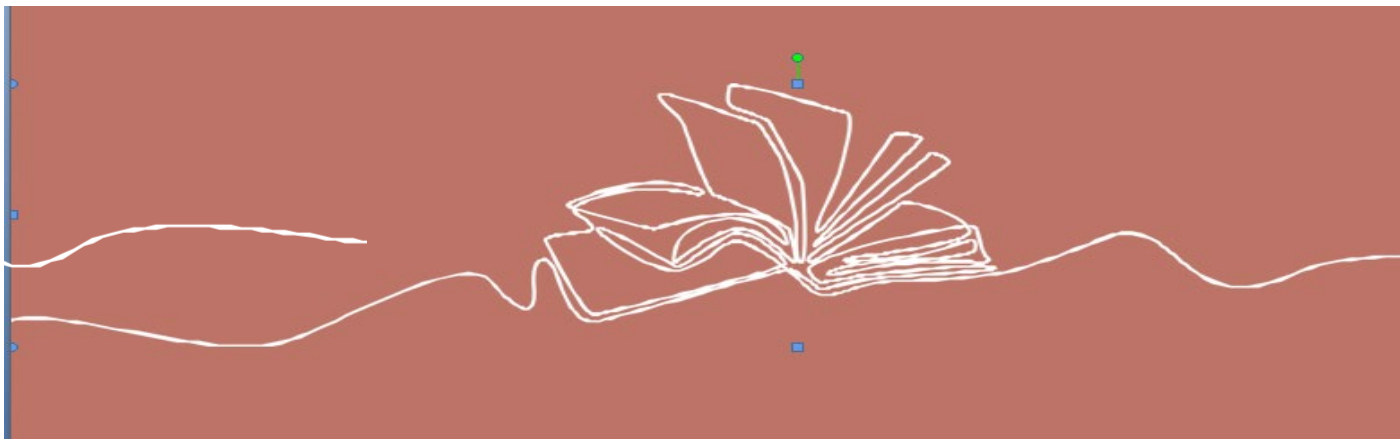

10

सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों का अभिशासन और निगरानी

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों का अभिशासन और निगरानी दो स्तरों पर की जाएगी। सर्वप्रथम, संस्थानों/विश्वविद्यालयों को अपने संस्थान के भीतर एक विनिर्दिष्ट प्रकोष्ठ अथवा इकाई की अपेक्षा एक विशेषज्ञ/ सलाहकार समिति के माध्यम से आयोजना और कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे का विकास करना होगा। दूसरे, पहुंच और समावेशी पद्धतियों को रैंकिंग और प्रत्यायन उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन में महत्वपूर्ण मापदंडों के रूप में और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुपालन में पहुंच के लिए स्व–प्रमाणन और उसके बाद तृतीय पक्ष के मूल्यांकन को संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समय–समय पर (वार्षिक आधार पर) किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट/ प्रमाणन को उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों के कार्यान्वयन की प्रगति के समग्र अभिशासन और निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने अधिदेश के तहत गठित एक सक्षम समिति के माध्यम से वर्ष में दो बार इसकी समीक्षा करेगा।

10-1 संस्थागत अभिशासन के माध्यम से पहुंच तथा समावेशी पद्धतियां

क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आंतरिक रूप से उपयुक्त सुगम्यता और समावेशी नीतियों को तैयार करके समावेशी संस्थागत संस्कृति बनाने और समावेशी पद्धतियों के लिए इन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि क्या पहल सही दिशा में हैं और वांछित परिणाम प्राप्त कर रही है और साथ ही आवश्यक संशोधनों और अनुकूलन का सुझाव भी दे रही हैं। सटीक रूप से, कतिपय प्राथमिक सर्वोत्तम पद्धतियों से कुछ में एक सक्षम सलाहकार बोर्ड का गठन करना, लक्ष्यों के साथ कार्यनीतियों को संरेखित करना, जवाबदेह और ज़िम्मेदार होना, नैतिकता संहिता का पालन करना, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना और शिकायतों से प्रभावी ढंग से निपटना शामिल है (जैसा कि ऊपर 8.4 में विस्तार से दिया गया है)। इसलिए, प्रभावी ढंग से दिव्यांगजन को सुविधा प्रदान करने के लिए एक इकाई की आवश्यकता है जो उनके लाभ के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देख–रेख कर सकती है।

ख) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक संसाधन केन्द्र सह कार्यान्वयन इकाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिव्यांग छात्रों को सशक्त बनाने के लिए पहले ही कतिपय पहल की हैं। इन पहल में, विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) (एचईपीएसएन) के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायता योजनाएं और समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) का गठन करना शामिल है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के पारित होने के साथ, उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा क्रियाकलाप और सुविधाएं उपलब्ध कराने, जोकि एचईपीएसएन और ईओसी योजना का भाग थी, से इतर संस्थान के उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। अब उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उस इकाई को सुदृढ़ करना होगा जो परिसर में सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। समान अवसर प्रकोष्ठों/सक्षमकारी इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान, ऐसे प्रकोष्ठों/इकाइयों के लिए परिभाषित भूमिका और कार्यकरण का कड़ाई से

अनुपालन करते हुए समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी दिव्यांगजन को ऐसे प्रकोष्ठ/इकाई का समन्वयक/संयोजक बनाया जाना चाहिए।

ग) प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को एक स्पष्ट विज़न और एक वर्ष–वार उपलब्धि के साथ प्राथमिक रूप से, पांच वर्षों के लिए अपनी स्वयं की कार्य योजना विकसित करनी चाहिए। एक विशेषज्ञ, सलाहकार अथवा समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए जो संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख की अध्यक्षता में नियमित आधार पर बैठक करती है। समिति में विविध स्वरूप की दिव्यांगता से ग्रस्त छात्रों और संकायों/कर्मचारियों, माता–पिता/देखभाल करने वाले व्यक्ति, दिव्यांगजनों के संगठन, गैर सरकारी संगठन, दिव्यांगता/पहुंच विशेषज्ञ और अन्य व्यक्ति जिन्हें उपर्युक्त समझा जाए, सम्मिलित किया जाएगा। समिति के क्रियाकलापों के साथ–साथ प्राप्त लक्ष्यों को साक्ष्यों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय की वेबसाइट/सोशल मीडिया पर विशेषरूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

घ) सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी प्रकोष्ठ/इकाई भी एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगी। दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार, चाहे वे छात्र हों अथवा संकाय अथवा कर्मचारी हों, संसाधन केंद्र के रूप में कार्यरत इकाई को विशेषज्ञ/सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में, जहां तक संभव हो, अतिरिक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। यह केंद्र, संकेत भाषा के क्षेत्र में मित्र के रूप में दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर सकता है, सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सकता है अथवा एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए एक पाठक के रूप में उनको सहायता प्रदान कर सकता है अथवा यदि चलने–फिरने में निशक्त किसी दिव्यांगजन व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी सहायता कर सकता है। प्रकोष्ठ/इकाई को परिसर में खेल–कूद, सामाजिक, सांस्कृतिक और कॉर्पोरेट जीवन में भागीदारी सहित संस्थान के सभी क्रियाकलापों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को सुकर बनाना चाहिए।

ङ) प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को इस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए अपने स्वयं के प्रशासनिक ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें खरीद संबंधी नीतियां (आईसीटी, एटी, सिविल अवसंरचना) शामिल होनी चाहिए। यह आशा की जाती है कि उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी समावेशी पद्धतियों और सुगम्यता की लेखापरीक्षा का वार्षिक आधार पर स्व–मूल्यांकन करेंगे।

10.2 उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन तथा रैंकिंग हेतु सुगम्यता मूल्यांकन

यह भाग, उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रत्यायन और रैंकिंग के लिए मूल्यांकन फ्रेमवर्क में मानक के रूप में सुगम्यता और समावेशी पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा में समावेशिता लाने के लिए रैंकिंग प्राप्त करने के अलावा, सुगम्यता मूल्यांकन को सक्षमकारी ढांचे का एक अभिन्न अंग होना आवश्यक है।

10.2.1 भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न मूल्यांकन ढांचों के माध्यम से अपने शिक्षण, अनुसंधान और सुविधाओं की गुणवत्ता के संबंध में प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता मूल्यांकन के संबंध में सरकार के प्रयास के रूप में प्रथमोप्रथम पहल वर्ष 1994 में **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्** (एनएएसी– महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए) और **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड** (एनबीए– तकनीकी और पेशेवर संस्थानों के लिए) के गठन के साथ आरंभ हुई। इसके अलावा, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को सरकार द्वारा वर्ष 2015 में देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए अनुमोदित किया गया था। मूल्यांकन और प्रत्यायन को आधार प्रदान करने हेतु अनेक मानक और संकेतक विकसित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश संकेतक शैक्षिक, प्रशासनिक, अवसंरचनात्मक, वित्तीय और मानव संसाधनों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, एनआईआरएफ,

मोटे–तौर पर ''शिक्षण, ज्ञान अर्जन और संसाधन,'' ''अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धतियों,'' ''स्नातक परिणाम,'' ''पहुंच और समावेशिता,'' और ''बोध'' को कवर करता है।

10.2.2 यह नोट किया जाता है कि समावेशिता और पहुंच आयाम ऐसे पहलू हैं जो अभी भी विकसित हो रहे हैं और उच्चतर शिक्षा संस्थान के मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग प्रक्रिया के प्रति जागरूकता और बोध के साथ अधिक बल दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा संस्थान के इस पहलू के संबंध में एक छोटा सा महत्व है और इसमें (प) कक्षाओं तक सुलभ पहुंच के लिए रैंप/लिफ्टों के साथ तैयार परिवेश, (पप) दिव्यांगजन के अनुकूल शौचालय, (पपप) स्पर्श पथ, प्रकाश, 'डिस्प्ले बोर्ड' और 'साइनपोस्ट' सहित संकेतक, (पअ) दिव्यांगजनों हेतु सहायक प्रौद्योगिकी तथा सुविधाएं यथा दिव्यांगजन सुलभ वेबसाइट, स्क्रीन–रीडिंग सॉफ्टवेयर, मशीनीकृत उपकरण; और (अ) पूछताछ और जानकारी के लिए व्यवस्थाः मानव सहायता, पाठक, लेखक, पठन सामग्री की सॉफ्ट प्रतियां, स्क्रीन रीडर, 'फॉन्ट एन्लार्जमेंट' आदि शामिल हैं।

जबकि, एनआईआरएफ में कुछ पहलुओं को शामिल किया गया है जिनमें केवल 'शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं' शीर्ष के तहत तीन ही प्रश्न हैं जैसे कि –

(प) क्या आपके संस्थान के भवन में लिफ्ट/रैंप हैं?

(पप) क्या आपके संस्थान में दिव्यांग छात्रों के लिए व्हीलचेयर सहित पैदल चलने के लिए सहायक उपकरण और एक भवन से दूसरे भवन तक परिवहन की व्यवस्था है?

(पपप) क्या आपके संस्थान के भवनों में दिव्यांग छात्रों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुगम्य शौचालय हैं?

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ने अभी तक मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में सुगम्यता घटकों पर विचार नहीं किया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पहुंच और समावेशी पद्धतियां उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल वर्तमान मापदंडों से इतर हैं।

10.2.3 इस प्रकार, एनएएसी, एनबीए और एनआईआरएफ को सुगम्यता के व्यापक पहलुओं पर विचार करने और उन्हें अपने मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है। समावेशी कैम्पस जीवन को बढ़ावा देने के लिए सुगम्य आईसीटी, सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग, आवागमन हेतु अवसंरचना, निर्मित अवसंरचना, सुलभ पाठ्यक्रम, शिक्षण और ज्ञान अर्जन, सुलभ मूल्यांकन और परीक्षाएं, संसाधन और सेवाएं शामिल करने की सिफारिश की जा सकती है। इस दिशानिर्देश दस्तावेज़ को इस प्रयोजनार्थ संदर्भित किया जा सकता है।

10.2.4 प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय अपनी सूचना प्रणालियों, बुनियादी ढांचे की प्रणालियों और स्वयं प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए अपने आपको मूल्यांकित और प्रमाणित करने के लिए प्रयास करेगा। सुगम्यता मूल्यांकन प्रणाली को विविध श्रेणी और संस्थानों के पैमाने के लिए विकसित और मानकीकृत किया जाना जारी रखा जाएगा।

10.2.5 वर्तमान दिशानिर्देशों को समय–समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों, अधिनियमों, अध्यादेशों, संविधियों का पूरक माना जाएगा ताकि दिव्यांगजनों के लिए प्रणाली को सुदृढ़ और समावेशी बनाया जा सके।

.....

कवर डिज़ाइन अवधारणा

कवर डिज़ाइन में उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में सरलता, स्पष्टता और समावेशिता संबंधी विषयवस्तु की संकल्पना की गई है।

पुस्तक के आगे और पीछे दिए गए आठ 'आइकन' विविध स्वरूप की दिव्यांगता के विचार तथा शिक्षा संस्थानों के कैम्पस में मानवीय विविधता को समावेशिता के मुख्य कारक के रूप में दर्शाते हैं।

पिछली ओर चित्रित 'खुली हुई पुस्तक', संस्थानों/विश्वविद्यालयों में खुलेपन के विचार को सुगम्यता तथा समावेशिता को एक पद्धति के रूप में अपनाए जाने को प्रतिबिम्बित करता है जैसा कि संयोजक 'बिल्ट फार्म' के माध्यम से दर्शाया गया है।

पृष्ठभूमि का 'पेस्टल' लाल रंग, समावेशिता के समर्थन हेतु आधार के रूप मे स्नेहमयता और संवेदनशीलता के सिद्धांत को अंगीकार करता है।

उच्चतर शिक्षा संस्थान/ विश्वविद्यालय

खुली हुई पुस्तक

विविध दिव्यांगताओं तथा मानवय विविधता हेतु प्रतीकात्मक वर्णन

सत्यमेव जयते

शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सभी के लिए गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा